सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन
2012-13

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

वार्षिक प्रतिवेदन

2012–13

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

विषय सूची

अध्याय		पृष्ठ संख्या
अध्याय – I सिंहावलोकन		1–9
अध्याय – II संगठनात्मक ढांचा और कार्य		10–20
अध्याय – III कंपनी अधिनियम, 1956 और इसका प्रशासन		21–51
अध्याय – IV प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002: नीति, प्रावधान और कार्य निष्पादन		52–61
अध्याय – V सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 और इसका कार्य निष्पादन		62–65
अध्याय – VI संबद्ध विधान		66–68
अध्याय – VII परस्पर क्रियाशील एवं उत्तरदायी प्रशासन की ओर		69–79
अनुलग्नक		
अनुलग्नक – I	कारपोरेट कार्य मंत्रालय की निर्देशिका	83–89
अनुलग्नक – II	कारपोरेट कार्य मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट	90–93
अनुलग्नक – III	कारपोरेट कार्य मंत्रालय के मुख्य कार्यवाहक	94
अनुलग्नक – IV	क्षेत्रीय निदेशकों, कंपनी रजिस्ट्रारों, शासकीय समापकों तथा कंपनी रजिस्ट्रार–सह–शासकीय समापकों के नाम एवं पते	95–101
अनुलग्नक – V	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	102
अनुलग्नक – VI	परिणाम संरचना दस्तावेज (2011–12)	103–118
अनुलग्नक – VII	निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (2011–12)	119–123

अध्याय–I
सिंहावलोकन

1.1.1 भारतीय अर्थव्यवस्था ने क्रय शक्ति समतुल्यता (पीपीपी) के अनुसार वर्ष 2011 में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद) बनने का गौरव प्राप्त किया है। क्रय शक्ति समतुल्यता (पीपीपी) के अनुसार विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में भारत का हिस्सा 5.65% हो गया है। किन्तु, वर्ष 2011–12 और 2012–13 भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी के वर्ष थे। यह मंदी वर्ष 2011–12 की दूसरी तिमाही में प्रारंभ हुई और सकल घरेलू उत्पाद का विकास दर पिछली तिमाही में प्राप्त 8.0% से गिरकर 6.7% रह गई। पश्चातवर्ती तिमाहियों में भी यह गिरावट जारी रही और वर्ष 2011–12 में जीडीपी की विकास दर 6.2% रही। वर्ष 2012–13 के लिए विकास संभावनाएं और कम हो गई तथा प्रथम तीन तिमाहियों में औसत विकास दर 5.5% से भी कम रही।

1.1.2 यह गिरावट अकेले भारत तक ही सीमित नहीं रही है बल्कि यह एक वैश्विक घटनाक्रम है। भारत में इस मंदी ने अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। आर्थिक मंदी के अतिरिक्त, लगातार मूल्य वृद्धि, औद्योगिक विकास में कमी, वित्तीय घाटे के उच्च स्तर और चालू खाते में घाटे के अधिक होने से भारतीय व्यवसाय के माहौल पर लगातार दबाव पड़ा है।

1.1.3 वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में अनिश्चितता के बावजूद, भारतीय कारपोरेट क्षेत्र पर जो विकास का प्रमुख वाहक है, एक बडी जिम्मेदारी रही है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय, कारपोरेट विकास को प्रोत्साहित करने हेतु समर्थक विनियामक ढाँचा उपलब्ध कराने के अपने उद्देश्य पर लगातार कार्य कर रहा है। मंत्रालय ने समावेशी एवं सुस्थायी कारपोरेट विकास की दृष्टि से वर्ष 2012–13 के दौरान विधायी, विनियामक, सेवा अदायगी एवं प्रशिक्षण के क्षेत्रों में कई पहलें की है।

1.1.4 मंत्रालय, अन्य बातों के साथ–साथ, कारपोरेट क्षेत्र के विनियमन हेतु कई कानूनों को प्रशासित करता है जिनमें निम्नलिखित अधिनियम शामिल हैं:–

(i) कंपनी अधिनियम, 1956

(ii) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002

(iii) सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008

(iv) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949

(v) लागत एवं संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959

(vi) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980

(vii) भागीदारी अधिनियम, 1932

(viii) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860

(ix) कंपनी (राष्ट्रीय निधि में दान) अधिनियम, 1951

विधायी उपलब्धियां

(क) कंपनी विधेयक, 2012–लोक सभा द्वारा पारित

1.2.1 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे विकास के मद्देनजर भारत में कारपोरेट विनियमन की संरचना के आधुनिकीकरण और सुविचारित विनियमन

और अच्छे कारपोरेट शासन व्यवहारों के माध्यम से भारतीय कारपोरेट क्षेत्र के संवर्धन की आवश्यकता हेतु विभिन्न हितधारकों जैसे उद्योग मंडलों, व्यावसायिक संस्थानों, सरकारी विभागों, विधि विशेषज्ञों, व्यावसायिकों आदि से परामर्श करके वर्तमान कंपनी अधिनियम, 1956 में व्यापक संशोधन करने का निर्णय लिया गया।

1.2.2 कंपनी विधेयक, 2011 दिनांक 14.12.2011 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और उस पर संसद की वित्तीय स्थायी समिति द्वारा विचार किया गया। समिति ने दिनांक 26.06.2012, को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 13.08.2012 को संसद में प्रस्तुत किया गया। समिति की अनुशंसाओं के मद्देनजर कंपनी विधेयक, 2011 में कुछ आधिकारिक संशोधन करने का निर्णय लिया गया। अक्तूबर, 2012 में मंत्रिमंडल ने कंपनी विधेयक, 2011 में प्रस्तावित आधिकारिक संशोधनों को अनुमोदन प्रदान किया जिसे तदपश्चात लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और लोक सभा ने दिनांक 18.12.2012 को इसे पारित किया। इस विधेयक को कंपनी विधेयक, 2012 नाम दिया गया है।

1.2.3 कंपनी विधेयक, 2012 को लोक सभा द्वारा पारित किया जाना वर्ष 2012–13 के दौरान कारपोरेट कार्य मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कानून बन जाने पर यह नया कंपनी विधेयक भारत में कारपोरेट क्षेत्र के विकास एवं विनियमन हेतु एक आधुनिक विधान उपलब्ध कराएगा। कंपनी विधेयक, 2012 में प्रस्तावित विभिन्न सुधार गत और समकालीन प्रावधानों के मद्देनजर तथा कुछ वर्तमान अवांछित और पुराने पड़ चुके अनुपालन अपेक्षाओं को हटाने से देश में कंपनियां प्रस्तावित कंपनी अधिनियम की अपेक्षाओं का बेहतर और अधिक प्रभावी तरीके से अनुपालन करने में समर्थ होंगीं।

(ख) प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2012–लोक सभा में प्रस्तुत

1.3.1 पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के वास्तविक कार्य से प्राप्त अनुभवों के आलोक में प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 को अद्यतन करने और प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे और अधिक सामंजस्य पूर्ण बनाने के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 07.12.2012 को प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2012 लोक सभा में प्रस्तुत किया।

1.3.2 विधेयक में प्रस्तावित प्रमुख संशोधन, जैसे ''टर्नओवर'', ''समूह'' की परिभाषा बदलने, संयोजनों को अंतिम रूप देने की कुल समय–सीमा 210 दिनों से घटाकर 180 दिन करने, तथा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के परामर्श से आयोग द्वारा अधिग्रहणों, विलयनों एवं समामेलनों की जाँच के उद्देश्य से उद्यमों के किसी वर्ग या वर्गों के लिए विभिन्न न्यूनतम सीमा तय करने की शक्ति केन्द्र सरकार को देने के लिए एक नई धारा 5क अंतःस्थापित करने से संबंधित है। अन्य संशोधन आयोग के कार्य में प्रक्रियात्मक पहलुओं से संबंधित हैं।

1.3.3 अप्रैल, 2012 में प्रारंभिक विचार के पश्चात् प्रस्ताव को विशेषकर प्रतिस्पर्धा संबंधित विषयों पर, विषयगत विनियामकों के विशेष संदर्भ में, मंत्रिसमूह को विस्तृत जाँच हेतु, संदर्भित किया गया।

1.3.4 मंत्रिसमूह ने मंत्रिमंडल द्वारा संदर्भित विषयों पर विचार किया और मूल प्रस्तावों का समर्थन करते हुए प्रतिस्पर्धा अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव भी किया। इसके तहत विषयगत विनियामकों द्वारा ऐसे मामले जो 'प्रतिस्पर्धा' को प्रभावित करते हो उनको अनिवार्य रूप से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को संदर्भित करने और इसके विपरीत उन विनियामकों से संबंधित मामले भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा

संबंधित विनियामकों को भेजने का सुझाव दिया गया है। इस सीमा तक मूल प्रस्ताव में संशोधन किया गया है।

अन्य नीतिगत कदमः

(ग) राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति

1.4 ''प्रतिस्पर्धा संस्कृति'' को प्रशासन के प्रत्येक स्तर, केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय निकाय, पर शासन का अंतर्विष्ट भाग बनाने की दृष्टि से सरकार राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति लाने पर विचार कर रही है। वर्ष के दौरान, मंत्रालय ने इस नीति पर राज्य सरकारों का विचार मांगा। राज्य सरकारें मोटे तौर पर प्रस्तावित नीति से सहमत हैं। मंत्रालय ने हितधारकों, उद्योग, विधि फर्म, अनुसंधानकर्ताओं, अर्थशास्त्रियों आदि जैसे समाज के विभिन्न क्षेत्रों से टीकायें आमंत्रित की और परामर्श प्रारंभ किया तथा उनसे प्राप्त मत को नीति में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। इस नीति को शीघ्र ही अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है।

(घ) कारपोरेट शासन पर समिति

1.5.1 कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कारपोरेट शासन पर नीति दस्तावेज बनाने हेतु दिनांक 07.03.2012 को श्री आदि गोदरेज की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। मजबूत आंतरिक लेखापरीक्षा, बेहतर जोखिम प्रबंधन और विस्तृत प्रकटीकरण की चुनौतियों को पूरा करने के लिए भारत में एक विस्तृत कारपोरेट शासन नीति अपेक्षित थी क्योंकि समय के साथ ये कारपोरेट शासन के महत्वपूर्ण पहलू बन चुके हैं। इसके अतिरिक्त, मूल्य विवरण, कारपोरेट सामाजिक दायित्व और सुस्थायित्व पर विशेष जोर देने से कंपनियों को भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सहायता मिलेगी।

1.5.2 समिति ने अपना प्रतिवेदन केन्द्र सरकार को सौंप दिया है जिसमें एक औपचारिक नीति के स्थान पर 17 मार्ग दर्शक सिद्धांतों का सुझाव दिया गया है। इन सिद्धांतों पर आम जनता की टीकायें/सुझाव आमंत्रित करने का प्रस्ताव है ताकि कारपोरेट शासन पर नीति मार्ग–निर्देश बनाया जा सके।

(ङ) लेखांकन मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन

1.6 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 210क के तहत फा.सं. 1/5/2001–सीएल–V दिनांक 11.04.2012 द्वारा जारी सांविधिक आदेश के माध्यम से केन्द्र सरकार ने श्री एम.एम. चिताले, प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट की अध्यक्षता में बारह सदस्यीय लेखांकन मानकों पर एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति (एनएसीएएस) गठित की है। समिति में मंत्रालय, तीन व्यावसायिक संस्थानों (भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान), सेबी, आरबीआई, कैग, आईआईएम, कोलकाता, सीबीडीटी एवं व्यवसाय मंडलों के प्रतिनिधि शामिल है। एनएसीएएस केन्द्र सरकार को कंपनियों या कंपनियों के वर्ग द्वारा अपनाए जाने हेतु लेखांकन नीतियां और लेखांकन मानक बनाने पर सलाह देगा। एनएसीएएस का कार्यकाल दिनांक 28.02.2013 तक है।

(च) बहु–राज्यीय सोसाइटी पंजीकरण विधि

1.7 भारत में सोसाइटियों के कार्य संचालन को अधिशासित करने वाले सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के विधायी एवं विनियामक संरचना का अध्ययन करने और अधिनियम के प्रचालन का अध्ययन करने के लिए भी मंत्रालय ने एक विशेषज्ञ समूह गठित किया है। इससे विनियामक कमियों की पहचान करने और इस विषय पर एक मॉडल विधि बनाने के लिए पर्यवेक्षण तंत्र बनाने में सहायता मिलेगी। विशेषज्ञ समूह ने दिनांक 05.07.2012 को अपना प्रतिवेदन मंत्रालय को सौंप दिया है जिसमें ''बहु–राज्यीय सोसाइटी

पंजीकरण'' पर विधेयक का प्रस्ताव है। प्रतिवेदन और प्रस्तावित विधेयक को मंत्रालय की वेबसाइट (*www.mca.gov.in*) पर अपलोड किया गया है। प्रतिवेदन पर विभिन्न व्यक्तियों/विशेषज्ञों/संस्थानों/संगठनों से प्राप्त टीकाओं, मतों एवं सुझावों पर विचार किया जा रहा है।

(छ) ''विनियामक वातावरण में सुधार'' पर समिति

1.8.1 मंत्रालय ने ''भारत में व्यवसाय करने हेतु विनियामक वातावरण में सुधार'' पर श्री एम. दामोदरन, पूर्व अध्यक्ष, सेबी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। इस समिति का उद्देश्य प्रक्रियात्मक अवरोधों, सीमेतर क्षेत्राधिकारों, सुविधाजनक व्यवसाय करने में तंत्रगत जड़ता का अध्ययन करना और इनसे प्रभावी रूप से निपटने के लिए उपाय सुझाना है।

1.8.2 दिनांक 10.10.2012 को आयोजित इसकी पहली बैठक हुई। चर्चा के दौरान समिति में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/एनटीपीसी और भेल के प्रतिनिधियों को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है ताकि इसे और विस्तार दिया जा सके। समिति द्वारा जून, 2013 के अंत तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की संभावना है।

(ज) आंकडा निस्तारण नीति पर समिति

1.9 विभिन्न दिशाओं से आंकड़ों की मांग को सरल और सहज बनाने के उद्देश्य से कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने साझा किए जाने योग्य कारपोरेट क्षेत्र के आंकड़ों की पहचान हेतु आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। यह समिति वर्तमान आंकडा निस्तारण प्रणाली की आलोचनात्मक जाँच करेगी और इसमें सुधार हेतु सुझाव देगी। समिति के सुझावों के आधार पर कारपोरेट कार्य मंत्रालय की विस्तृत आंकडा निस्तारण नीति तैयार होने की उम्मीद है।

(झ) लुप्त कंपनियों पर केन्द्रीय निगरानी समिति और क्षेत्रीय कार्य दल

1.10.1 मंत्रालय ने लुप्तप्राय कंपनियों के मामलों को रोकने की दृष्टि से लुप्त कंपनियों पर केन्द्रीय निगरानी समिति और क्षेत्रीय कार्य दल गठित की है। अब तक 87 कंपनियों को ''लुप्त कंपनियाँ'' पाया गया है। इन सभी 87 कंपनियों और उनके निदेशकों का पता लगाने और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दायर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, लुप्त कंपनियों एवं उनके निदेशकों के विरूद्ध सांविधिक विवरणी दायर न करने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 162 एवं 220 के तहत और विवरणी में गलत विवरण देने/गलत तरीके से लोगों को धन निवेश हेतु प्रलोभन देने और प्रस्ताव दस्तावेज में गलत विवरण देने आदि हेतु कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 62/63, 68 और 628 के तहत अभियोजन दायर किए गए हैं।

1.10.2 लुप्त कंपनियों के प्रवर्तकों/निदेशकों को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा भी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम की धारा 11ख के तहत आम जनता से धन उगाहने से वंचित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, लुप्त कंपनियों एवं उनके प्रवर्तकों/निदेशकों के विवरण समाचार–पत्रों में प्रकाशित किए गए हैं और साथ ही मंत्रालय की वेबसाइट (*www.mca.gov.in*) पर भी डाले गए हैं, ताकि निवेशक लुप्त कंपनियों के विरूद्ध शिकायत दर्ज करा सकें।

ई–प्रारूपों का संशोधन

1.11 मंत्रालय ने समय–समय पर कंपनी (केन्द्र सरकार) सामान्य नियम एवं प्रारूप (संशोधन) नियम, 2012 में 23कख, 24ककक, 8, 10, 17, 21, 23,

23ख, 23कग, 23कगक तथा 18 हेतु ई–प्रारूपों में तथा कंपनी (निदेशक पहचान संख्या) संशोधन नियम, 2012 के अर्न्तगत डीआईएन–1, डीआईएन–4 प्रारूपो में संशोधन अधिसूचित किये है एवं कंपनी (विस्तारणीय व्यवसाय रिपोर्टिंग भाषा में दस्तावेज एवं प्रपत्र दायर करना) नियम में भी संशोधन किया है।

नियमों एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण

1.12 कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा वर्तमान वर्ष के दौरान (दिनांक 31.12.2012 तक) कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत नियमों एवं प्रक्रियाओं को सरल करने के लिए इकतीस (31) अधिसूचनाएं और छब्बीस (26) सामान्य परिपत्र/प्रेस नोट जारी किए गये हैं।

निवेशक जागरूकता कार्यक्रम

1.13 मंत्रालय ने वर्ष के दौरान तीन व्यावसायिक संस्थानों अर्थात् भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान, के साथ भागीदारी में निवेशकों, नवयुवक निवेशकों सहित, को विभिन्न निवेश विकल्पों के संबंध में शिक्षित करने के लिए बड़ी संख्या में निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये कार्यक्रम देश के विभिन्न शहरों एवं नगरों (द्वितीय एवं तृतीय स्तर के शहर सहित) में आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों की पहुंच बढाने के उद्देश्य से यह महसूस किया गया कि इन कार्यक्रमों के आयोजन में क्षेत्रिय निदेशकों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों को सक्रिय रूप से शामिल किया जाए। तदनुसार, सभी सात क्षेत्रिय निदेशकों को निधि जारी किए गए हैं, जो इन कार्यक्रमों के आयोजन में व्यावसायिक संस्थानों के साथ सहयोग कर रहे हैं। वर्ष 2012–13 के दौरान पूरे देश में ऐसे 2000 कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है। नवंबर, 2012 तक लगभग 1200 निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि

1.14 मंत्रालय ने कंपनियों द्वारा निवेशकों को अदा नहीं किए गए और गैर दावाकृत राशि का विवरण, जो उनके पास पड़ा है, दावा प्रस्तुत करने हेतु मंत्रालय की वेबसाइट *www.mca.gov.in* पर एक उप–साइट लांच किया है। दिनांक 31.12.2012 तक 6099 कंपनियों ने अपने आंकड़े अपलोड किए हैं। इस वेबसाइट ने निवेशकों, विशेषकर छोटे निवेशकों और दूरदराज के निवेशकों को सूचना खोजने और उसे प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। दावा न की गई राशि सात वर्षों के पश्चात् निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित कर दी जाती है। इसके पूर्व निवेशकों का दावा न की गई और अदा न की गई राशि के बारे में सूचित करने की कोई सुविधा नहीं थी। इस वेबसाइट ने निवेशकों को उनकी ऐसी बकाया राशि के बारे में सूचना प्राप्त करने और सात वर्ष के पूर्व संबंधित कंपनी के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत करने में सहायता की है।

निवेशकों की शिकायतों का समाधान

1.15 निवेशकों/जमाकर्ताओं को मंत्रालय की वेबसाइट *www.mca.gov.in* पर ''निवेशक सेवाएं'' के तहत एमसीए–21 प्रणाली के माध्यम से अपनी शिकायतें दायर करने की शक्ति दी गई है। साथ ही मंत्रालय ने नोडल अधिकारी के अतिरिक्त, क्षेत्रीय स्तर पर नोडल अधिकारियों की प्रणाली स्थापित की गई है। मंत्रालय ने निवेशक शिकायतों का प्रभावी और जवाबदेह समाधान करने के लिए एमसीए–21 प्रणाली पर अपनी शिकायत मॉड्यूल का पुनर्गठन किया है।

कारपोरेट शासन

1.16 कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने भारतीय कारपोरेट क्षेत्र की अच्छी कारपोरेट शासन प्रथाओं को बढ़ावा देने की दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर सामंजस्य

स्थापित करने तथा कारपोरेट शासन संबंधी विभिन्न प्रयासों को सुव्यवस्थित करने तथा विश्व भर में इसी प्रकार के संगठनों के साथ विचार–विमर्श के लिए राष्ट्रीय कारपोरेट शासन प्रतिष्ठान (एनएफसीजी) के रूप में एक मंच उपलब्ध कराया है। एनएफसीजी के तत्वावधान में किए जाने वाले कार्यकलापों में भारतीय कंपनियों में कारपोरेट शासन, कारपोरेट शासन संबंधी प्रथाओं तथा अनुसंधान कार्यकलाप आदि से संबंधित सेमिनार और सम्मेलन शामिल हैं। वर्तमान वर्ष के दौरान (दिनांक 31.12.2012 तक) एनएफसीजी ने चौदह सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशालाएं संचालित की और इस विषय पर तीन अनुसंधान अध्ययन पूर्ण किए।

कारपोरेट धोखाधड़ियों की जाँच

1.17.1 भारत सरकार अपनी बहु–विषयक जांच एजेंसी, गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय (एसएफआईओ), के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत जाँच करवाती है।

1.17.2 अपनी शुरूआत से एसएफआईओ को 133 मामले जाँच हेतु संदर्भित किए गए। इनमें से एसएफआईओ ने 31 दिसंबर, 2012 तक 100 मामलों में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया [वर्ष 2011–12 में प्रस्तुत 20 प्रतिवेदन और वर्तमान वर्ष में (दिनांक 31.12.2012 तक) प्रस्तुत 18 प्रतिवेदन सहित]। पांच मामलों पर न्यायालयों द्वारा या तो रोक लगाई गई हैं या उन्हें निरस्त कर दिया गया है।

1.17.3 वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान केन्द्र सरकार ने अलग–अलग आदेशों द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 235/237 के तहत तेरह मामलों में जाँच के आदेश दिए। वर्तमान वर्ष के दौरान (दिनांक 31.12.2012 तक) 41 मामलों में जांच के आदेश दिए गए (एक मामले को छोड़कर जिसे पहले छोड़ दिया गया था और वर्ष के दौरान पुनर्जीवित किया गया है)। दिनांक 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार एसएफआईओ द्वारा 28 मामलों में जाँच की जा रही है (उन तीन मामलों जिन पर रोक लगाई गई है और एक मामला जिसे छोड़ दिया गया है, को छोड़कर)।

एमसीए–21 ई–शासन परियोजना–द्वितीय चरण

1.18.1 कारपोरेट कार्य मंत्रालय की ''एमसीए–21 परियोजना'', जो वर्ष 2006 में प्रारंभ हुई, कंपनी अधिनियम के तहत यथा परिभाषित कंपनियों के निगमन और विनियमन के सभी पहलुओं पर एक प्रमुख ई–शासन पहल है। यह एक आद्योपांत ई–शासन कार्यक्रम है जिसमें एक सुरक्षित सह–संबंधी पोर्टल के माध्यम से दस्तावेजों की ऑन–लाइन इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, कंपनियों का पंजीकरण और कारपोरेट सूचना तक आम जनता की पहुंच शामिल है। इस पोर्टल की सेवाएं कहीं से भी, किसी भी समय, जो कारपोरेट निकायों, व्यावसायिकों और आम जनता को सुगम हो, प्राप्त की जा सकती हैं।

1.18.2 अपने शुरूआत से एमसीए–21 परियोजना ने इसके अपनाये जाने और स्वीकार्यता का बहुत उच्च स्तर प्राप्त किया है जिसमें 19 लाख से अधिक डीआईएन जारी किए गए। पोर्टल पर 4.7 करोड़ अनन्य आगंतुक, 6.2 लाख पंजीकृत प्रयोक्ता, 2.15 करोड़ ई–फाइलिंग, 5.12 लाख कंपनियों का निगमन, 8 लाख पंजीकृत चार्ज, डीएससी सहित 56,980 पंजीकृत प्राधिकृत बैंकर एवं व्यावसायी तथा 4.56 लाख सेवा संबंधी प्रश्नों के दिए गए उत्तर शामिल हैं। प्रतिवर्ष तंत्र के प्रयोग की उच्चतम संख्या लगातार बढ़ी है और 2012 के व्यस्ततम् सत्र में सर्वोच्च 87,841 दैनिक फाइलिंग की गई। एमसीए–21 ने, कारपोरेट कार्य मंत्रालय को एमसीए सेवाओं हेतु सेवा अदायगी का सर्वोच्च स्तर प्राप्त करने में समर्थ बनाया है। इसके अतिरिक्त, सरकार को बेहतर निर्णय लेने के लिए यह एक व्यापक राष्ट्रीय कारपोरेट सूचना

आंकड़ा आधार उपलब्ध कराता है। एमसीए–21 का प्रथम चक्र 16 जनवरी, 2013 को पूर्ण हो गया।

1.18.3 वर्तमान वर्ष के दौरान आर्थिक कार्य पर मंत्रिमंडल समिति ने एमसीए–21 परियोजना के द्वितीय चरण को जनवरी, 2013 से जुलाई, 2021 तक जारी रखने को अनुमोदित किया है। परियोजना का नया चरण एक गैर–योजना कार्यक्रम होगा जिसका साढ़े आठ वर्षों की अवधि में कुल परियोजना परिव्यय 357.81 करोड़ रुपए होगा जिसमें स्वतंत्र परियोजना प्रबंधन एवं प्रमाणन हेतु 54.42 करोड़ रुपए का परिव्यय शामिल है। इसमें कारपोरेट कार्य मंत्रालय के इलेक्ट्रॉनिक सेवा अदायगी के लगातार सुधार और उन्नयन के लिए 29.84 करोड़ रुपए का परिव्यय भी शामिल है।

1.18.4 इस परियोजना से भारत में पंजीकृत सभी कंपनियों एवं एलएलपी को लाभ होगा। इसके अतिरिक्त, यह परियोजना अपने आईईपीएफ सब–पोर्टल के माध्यम से निवेशक जागरूकता एवं प्रकटीकरण हेतु नागरिकों को भी लाभ पहुंचेगा। बैंक एवं वित्तीय संस्थान भी एमसीए–21 से बड़े लाभान्वित होते हैं क्योंकि यह कंपनी/कंपनियों की संपत्ति के मामले में प्रभार सूचना का भंडार भी है। एमसीए–21 परियोजना ने इलेक्ट्रॉनिक स्टांप (ई–स्टांप) के नवाचारी प्रयोग के माध्यम से विभिन्न राज्य सरकारों को भी लाभान्वित किया है।

1.18.5 एमसीए–21 ई–शासन परियोजना का परिणाम पहले ही बेहतर सेवा अदायगी के रूप में सामने आ चुका है और अपने द्वितीय चरण में इससे यह कार्य जारी रहने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, यह परियोजना कंपनी प्रकटीकरणों की बेहतर पूर्व परीक्षण, कारपोरेट विधि का बेहतर प्रवर्तन और कागजरहित कार्य में सुधार करेगा।

1.18.6 इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने ई–शासन का विस्तार शासकीय समापक कार्यालयों तक कर दिया है और इसके द्वितीय चरण में एसएफआईओ तथा सीएलबी आदि संबद्ध कार्यालयों को जोड़ना है। मंत्रालय हितधारकों के अनुभव पर आधारित सुधार हेतु पोर्टल को पुनः डिजाइन करने पर विचार कर रहा है। एसएमएस और मोबाइल समर्थित संपर्क जैसी नई सेवाएं भी बेहतर सेवा अदायगी हेतु उपलब्ध कराई जाएंगी। वर्ष के दौरान अपने नए चरण में पोर्टल को चलाने के लिए एक नये वेंडर का चयन भी कर लिया गया है।

एक्सबीआरएल वैधिक उपकरण

1.19.1 वर्ष के दौरान एमसीए एक्सबीआरएल वैधिक उपकरण (कंपनी अधिनियम, 1956 की नई अनुसूची–VI पर आधारित वित्तीय विवरण) का अंतिम रूप भी जारी किया गया। इस पहल के तहत दिनांक 01.04.2011 से प्रारंभ होन वाले लेखांकन वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों की एक्सबीआरएल फाइलिंग एमसीए वेबसाइट पर दिनांक 14.10.2012 से सक्षम बनाया गया। अंतिम प्रयोक्ता की सुविधा के लिए वित्तीय विवरणों की एक्सबीआरएल प्रारूप में फाइलिंग हेतु मंत्रालय की वेबसाइट के एक्सबीआरएल पोर्टल पर एक ''फाइलिंग मैनुअल'' उपलब्ध कराया गया है।

1.19.2 एमसीए एक्सबीआरएल वैधिक उपकरण (लागत टेक्सोनॉमी के लिए) भी जारी किया गया और दिनांक 02.12.2012 से एमसीए वेबसाइट पर लागत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और अनुपालन प्रतिवेदनों की एक्सबीआरएल फाईलिंग शुरू की गयी है।

1.19.3 सामान्य परिपत्र संख्या 39/2012 दिनांक 12.12.2012 के अनुसार बिना किसी अतिरिक्त शुल्क की अदायगी के वित्तीय विवरण को एक्सबीआरएल मोड में दायर करने की समय–सीमा (दिनांक 01.04.2011 अथवा उसके पश्चात् से प्रारंभ वित्त वर्ष हेतु) दिनांक 15.01.2013 तक अथवा कंपनी की वार्षिक आम बैठक के 30 दिनों के भीतर, जो भी बाद में हो, तक बढ़ा

दी गई। अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2011–12 के लिए दिनांक 15.01.2013 तक 22,000 से अधिक फाईलिंग किए गए जिसमें एक्सबीआरएल के तहत दिसंबर, 2012 के अंत तक हुए 10,703 फाईलिंग शामिल हैं।

एलएलपी का एमसीए–21 प्रणाली के साथ एकीकरण

1.20.1 हितधारकों की प्रचालन सुविधाओं को और अधिक सुगम बनाने, उसे विस्तृत करने और सभी पंजीकरण संबंधी कार्यों को एक प्लेटफॉर्म पर समूहीकृत करने के उद्देश्य से दिनांक 11.06.2012 से सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) ई–शासन को एमसीए–21 के साथ एकीकृत कर दिया गया। इस एकीकरण से अब ''एलएलपी प्रपत्रों'' की फाईलिंग और अनुमोदन एमसीए–21 वेबसाइट के माध्यम से की जा रही है और हितधारक एलएलपी प्रपत्र दायर करने से संबंधित सभी वर्तमान सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं जिसमें क्रेडिट कार्ड द्वारा अदायगी के अतिरिक्त, ऑनलाइन अदायगी सहित, या नामित बैंकों से इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग, शामिल हैं।

1.20.2 इसके अतिरिक्त, एलएलपी के विनियमन का कार्य देश में 20 कंपनी रजिस्ट्रारों में विकेन्द्रीकृत किया गया है जिससे उनके क्षेत्र में कारपोरेट निकाय के नए रूप को सीधा प्रोत्साहन प्राप्त हो। पहले यह कार्य केन्द्रीय स्तर पर एलएलपी पंजीयक, नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा था।

ई–फाइलिंग की स्थिति और बेहतर सेवा अदायगी

(क) *व्यस्ततम फाइलिंग*

1.21.1 एमसीए–21 पोर्टल को मजबूत करने, साथ ही वार्षिक विवरणी एवं तुलन पत्र दायर करने को ओर सरल तथा कारगर बनाया गया है, जिससे वर्ष 2012 के दौरान व्यस्ततम फाइलिंग के लिए एक नया रिकार्ड बना है। मंत्रालय ने अक्तूबर एवं नवंबर, 2012 के दौरान व्यस्ततम फाइलिंग की प्रक्रिया को सुगम किया है इसके परिणामस्वरूप अक्तूबर एवं नवंबर, 2012 के महीनों में लगभग 15.76 लाख फाइलिंग (सभी प्रपत्र) प्राप्त हुए – जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2.74 लाख अधिक है। इस पूरे वर्ष हेतु अंतिम आंकड़ा 17.40 लाख फाईलिंग का है, जो पिछले वर्ष के 15 लाख फाईलिंग की तुलना में कहीं अधिक है।

1.21.2 कुल 6.69 लाख वार्षिक फाइलिंग (वार्षिक विवरणी और तुलन–पत्र) प्राप्त हुए जो पिछले वर्ष से लगभग 1.02 लाख अधिक है। एमसीए–21 में दिनांक 21.11.2012 को एक दिन में 88,119 फाइलिंग प्राप्त हुए जो पिछले वर्षों की तुलना में अब तक का सर्वोच्च स्तर है तथा पिछले वर्ष के दौरान किसी एक दिन में हुए कुल फाईलिंग से 24% अधिक है। यह प्रगति एक्सबीआरएल फाईलिंग के अतिरिक्त है।

1.21.3 प्रणाली में स्थायित्व, फाइलिंग की बढ़ी हुई मात्रा और बेहतर अनुपालन को दर्शाने वाली प्रचालन सांख्यिकी **तालिका 1.1** में दी गई हैं।

(ख) *एमसीए–21 के तहत सेवा अदायगी में कौशल*

1.21.4 इस परियोजना के कार्यान्वयन से सेवा अदायगी हेतु समय में महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव हुआ है। यह दिसंबर, 2012 के अंत में एमसीए–21 प्रणाली के सेवा मैट्रिक्स के परिणामस्वरूप है जैसा कि **तालिका 1.2** में दिया गया है।

तालिका–1.1
दिसंबर, 2012 की स्थिति के अनुसार फाइलिंग की स्थिति

क्र. सं.	विवरण	संख्या
1.	प्रतिदिन औसत पोर्टल हिट्स	31147
2.	प्रणाली के माध्यम से कुल फाइलिंग	187.10 लाख
3.	एक दिन (21.11.2012) में दायर दस्तावेजों की अधिकतम संख्या	88119
4.	ऑनलाइन पंजीकृत कंपनियों की संख्या	510152
5.	अब तक जारी कुल डीआईएन	21.43 लाख
6.	ऑनलाइन देखे गए कंपनियों के रिकार्डों की संख्या	138.45 लाख
7.	दायर तुलनपत्रों की संख्या	32.58 लाख
8.	दायर वार्षिक विवरणी की संख्या	33.11 लाख
9.	संकलित ई–स्टापिंग शुल्क की राशि	41959.55 लाख
10.	वर्ष के दौरान परिवर्तित ई–प्रपत्रों की संख्या	25 (कंपनियां) + 20 (एलएलपी)

तालिका–1.2
एमसीए–21 की सेवा मैट्रिक्स

सेवा का प्रकार	एमसीए–21 से पहले	एमसीए–21 के बाद
मूलभूत दस्तावेजों का पंजीकरण		
नाम का अनुमोदन	7 दिन	1–2 दिन
कंपनी निगमन	15 दिन	1–3 दिन
नाम में परिवर्तन	15 दिन	3 दिन
प्रभार लगाना/संशोधन	10–15 दिन	तत्काल
प्रमाणित प्रतिलिपि	10 दिन	2 दिन
अन्य दस्तावेजों का पंजीकरण		
वार्षिक विवरणी	60 दिन	तत्काल
तुलन–पत्र	60 दिन	तत्काल
निदेशकों में परिवर्तन	60 दिन	तत्काल
पंजीकृत कार्यालय के पते में परिवर्तन	60 दिन	1–3 दिन
प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि	60 दिन	1–3 दिन
सार्वजनिक दस्तावेजों का निरीक्षण	स्वयं उपस्थित होकर	ऑन–लाइन

अध्याय–II
संगठनात्मक ढांचा और कार्य

2.1 प्रशासनिक ढांचा

2.1.1 मंत्रालय में तीन स्तरीय संगठनात्मक ढांचा है जिसमें नई दिल्ली स्थित मुख्यालय, अमहदाबाद, चेन्नई, गुवाहाटी (वर्तमान में शिलांग से कार्यरत), हैदराबाद, कोलकाता, मुम्बई एवं नोएडा स्थित क्षेत्रीय निदेशकों के सात कार्यालय, राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में पन्द्रह कंपनी रजिस्ट्रार, चौदह शासकीय समापक (वर्ष 2012–13 में जोधपुर में खोले गए एक कार्यालय सहित) तथा नौ कंपनी रजिस्ट्रार–सह–शासकीय समापकों के कार्यालय शामिल है। शासकीय समापक मंत्रालय के समग्र प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं और संबंधित उच्च न्यायालयों से संबद्ध होते हैं।

क मुख्यालय

2.1.2 मुख्यालय के संगठन के अंतर्गत एक सचिव, एक अपर सचिव, चार संयुक्त सचिव, एक आर्थिक सलाहकार, एक लागत सलाहकार, दो निरीक्षण एवं जांच निदेशक और प्रशासन, कानून, लेखांकन, आर्थिक एवं सांख्यिकी मामलों के विशेषज्ञ अधिकारी हैं। मंत्रालय की दूरभाष निर्देशिका अनुलग्नक–I पर दी गई है। मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट अनुलग्नक–II पर और मुख्य अधिकारियों की सूची अनुलग्नक–III में दी गई है।

ख क्षेत्रीय निदेशक

2.1.3 क्षेत्रीय निदेशक अपने संबंधित क्षेत्रों के प्रभारी हैं, प्रत्येक क्षेत्र में कई राज्य और संघ शासित क्षेत्र सम्मिलित हैं। ये निदेशक अपने–अपने क्षेत्रों में कार्यरत कंपनी रजिस्ट्रार और शासकीय समापक कार्यालय के कार्यों का पर्यवेक्षण करते हैं। ये कार्यालय कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रशासन से संबंधित मामलों में संबंधित राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के बीच संपर्क भी बनाए रखते हैं। अधिनियम के अंतर्गत केन्द्र सरकार के कुछ अधिकार क्षेत्रीय निर्देशकों को प्रत्यायोजित किए गए हैं। इन्हें वित्तीय शक्तियाँ नियमों के अंतर्गत विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है। अधिनियम की धारा 209क के अंतर्गत कंपनियों की लेखा–बही के निरीक्षण के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय के साथ एक निरीक्षण एकक भी है।

ग कंपनी रजिस्ट्रार और शासकीय समापक

2.1.4 अधिनियम की धारा 609 के अंतर्गत विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लिए नियुक्त कंपनी रजिस्ट्रारों का प्राथमिक कर्तव्य संबंधित राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में शुरु होने वाली कंपनियों का पंजीकरण करना और यह सुनिश्चित करना है कि ये कंपनियां अधिनियम के अंतर्गत सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन कर रही हैं। ये कार्यालय उनमें पंजीकृत कंपनियों से संबंधित रिकार्डों की रजिस्ट्री के रूप में कार्य करते हैं जो निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर आम जनता को दिखाए जाते हैं। केन्द्र सरकार संबंधित क्षेत्रीय निदेशकों के माध्यम से इन कार्यालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखती है।

2.1.5 शासकीय समापक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 448 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं और विभिन्न उच्च न्यायालयों से संबद्ध हैं। शासकीय समापक संबंधित क्षेत्रीय निदेशकों के प्रशासनिक प्रभार के अंतर्गत आते हैं जो केन्द्र सरकार

की ओर से इनके कार्य का पर्यवेक्षण करते हैं। शासकीय समापक कंपनियों को बंद किए जाने के संबंध में उच्च न्यायालयों के निदेशों और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करते है। साथ ही केन्द्र सरकार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 463 के तहत शासकीय समापकों पर समग्र नियंत्रण रखने का दायित्व भी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपना कर्तव्य निर्वहन निष्ठा से करते हैं और उक्त अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत सभी लागू अपेक्षाओं का पालन करते हैं।

2.1.6 अधिनियम की धारा 457 में यथा निर्धारित शासकीय समापकों के कर्तव्य और अधिकार मुख्यतः कंपनी को देय ऋण की वसूली के लिए ऋणी व्यक्तियों के विरूद्ध दावे दायर करना, शासकीय समापक द्वारा कब्जे में ली गई कंपनी की चल और अचल परिसंपत्तियों की बिक्री, कंपनी के पूर्व निदेशकों के विरूद्ध उनके कार्य, चूक तथा विश्वास भंग के लिए अपराधिक शिकायतें दर्ज करना और कदाचार की कार्यवाही शुरू करना, ऋणदाताओं से दावे मंगवाना, ऋणदाताओं के दावों का निर्णय और निपटारा, लाभांश से ऋणदाताओं को भुगतान करना और जहां कही आवश्यक हो अंशदाताओं की सूची का निपटान करना, तथा कंपनी की परिसंपत्तियां उसकी देयता से अधिक होने की अवस्था में पूंजी को लौटाना और अंततः अधिनियम की धारा 481 के अंतर्गत कंपनी का विघटन करना है।

2.1.7 कार्यालय ज्ञापन सं. 42011/12/2009–प्रशा.–II दिनांक 11.08.2011 द्वारा मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों का पुनर्गठन किया गया है। क्षेत्रीय निदेशक, कंपनी रजिस्ट्रार, शासकीय समापक और कंपनी रजिस्ट्रार–सह–शासकीय समापकों की सूची और उनके ई–मेल पते अनुलग्नक–IV में दिये गये है।

मुख्यालय में प्रभाग/अनुभाग/कक्ष

2.2.1 कारपोरेट कार्य मंत्रालय के मुख्यालय का कंपनी कानूनों, कारपोरेट नीति आदि के विभिन्न अंशों का प्रशासन/नियमन करने के लिए विभिन्न प्रभागों/अनुभागों/कक्षों में गठन किया गया है। कंपनी अधिनियम के प्रशासन के लिए तंत्र का विस्तृत विवरण अध्याय–III में दिया गया है जबकि प्रतिस्पर्धा अधिनियम और सीमित देयता भागीदारी अधिनियम से संबंधित मामले क्रमशः अध्याय–IV और अध्याय–V में दिए गए हैं।

2.2.2 कंपनी अधिनियम के प्रावधानों पर कार्यवाही संबंधित संयुक्त सचिवों के पर्यवेक्षण के अधीन विभिन्न अनुभागों द्वारा की जाती है। इन अनुभागों की प्रमुख कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया हैः

कंपनी विधि – I अनुभाग कंपनी अधिनियम, 1956 और एलएलपी अधिनियम, 2008 तथा उनके अंतर्गत विशिष्ट प्रावधानों में समय–समय पर संशोधन के प्रस्तावों संबंधी कार्य करता है। यह अनुभाग इस प्रयोजन के लिए गठित कार्यदल/विशेषज्ञ समिति के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करता है।

कंपनी विधि – II अनुभाग वाह्य कार्यालयों से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदनों, जांच प्रतिवेदनों एवं तकनीकी जांच प्रतिवेदनों पर विचार करके यथोचित अभियोजन दायर करने के आदेश देता हैं। इसके अतिरिक्त, यह अनुभाग कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत, निधि के दुरुपयोग अथवा परिवर्तन और कंपनियों के कुप्रबंधन के शिकायतों पर विचार करता है। उचित मामलों में विशेष लेखापरीक्षा कराने के निदेश देता है और ऐसी लेखापरीक्षा के प्रतिवेदनों पर कार्यवाही करता है।

कंपनी विधि – III अनुभाग पूंजी जुटाने (इश्यू निकालने, ऋणों और ऋण पत्रों का परिवर्तन) अथवा शेयर पूंजी में कटौती, लाभांश का भुगतान, तुलन–पत्र और लाभ–हानि विवरण के प्रपत्र और सरकारी कंपनियों का समामेलन एवं विलयन, विदेशी कंपनियों के लेखे, कंपनियों के नामों का अनुमोदन करने के लिए क्षेत्रीय निदेशक/कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालयों से प्राप्त संदर्भ, संगम ज्ञापन और अनुच्छेदों में परिवर्तन आदि का कार्य करता है।

कंपनी विधि – IV अनुभाग अधिनियम की विभिन्न धाराओं और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत चूक के मामलों, जिससे अभियोजन उत्पन्न होते है, का कार्य करता है। यह अधिनियम की धारा 399(4) के अंतर्गत कथित कदाचार और उत्पीड़न के निवारण के लिए याचिका दायर करने हेतु अनुमति लेने के लिए केन्द्र सरकार को किए गए आवेदनों/याचिकाओं पर विचार करता है। कंपनी रजिस्ट्रार, क्षेत्रीय निदेशक, शासकीय समापकों और मंत्रालय के अन्य संबद्ध कार्यालयों द्वारा दाखिल उत्तर/शपथ–पत्रों के प्रारूप को मंजूरी दी जाती है। इसके अतिरिक्त, यह अनुभाग मंत्रालय के अन्य अनुभागों और अन्य मंत्रालयों को कानूनी सलाह भी देता है।

कंपनी विधि – V अनुभाग (जिसे नीति अनुभाग कहा जाता है)

नीति अनुभाग मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल समितियों और सचिव समिति के विचारार्थ नीति मामलों से संबंधित कार्य करता है। साथ ही, यह अनुभाग संस्थानों को सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में घोषित करने, पूंजी बाजार और सेबी के साथ समन्वय, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, काले धन को सफेद कराना और भारत में आतंकवाद को वित्तीय सहायता के खिलाफ कार्यवाही, आईएफआरएस के साथ लेखांकन मानकों के सुमेलन, कंपनी अधिनियम, 1956 और एलएलपी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित विभिन्न नियमों एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण/स्पष्टीकरण जारी करना, कारपोरेट विधि के कार्यान्वयन में सहायता के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू करना, ई–गवर्नेंस के प्रपत्र और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कार्यों में एकरूपता के लिए दिशा–निर्देश बनाने हेतु समन्वय, सरकारी कंपनियों को वार्षिक आम बैठक के आयोजन के लिए स्थान परिवर्तन में छूट संबंधी कार्य भी करता है।

कंपनी विधि – VI अनुभाग निदेशकों को ऋण, अंतः कारपोरेट ऋण/कारपोरेट गारंटी/प्रतिभूति के अनुमोदन, रिजर्व से लाभांश का घोषना करना, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 620क के तहत निधि कंपनी के रूप में घोषित करना अधिनियम की धारा 58क(8) के तहत कंपनियों को छूट देने, एकल विक्रय एजेंटों की नियुक्ति तथा प्रभुत्वपूर्ण स्थिति वाले उपक्रमों के शेयरों, या उनके द्वारा शेयरों का अधिग्रहण/अंतरण से संबंधित कार्य करता है।

कंपनी विधि – VII अनुभाग सूचीबद्ध कंपनियों और सूचीबद्ध कंपनियों की अनुषंगी कंपनियों के प्रबंधकीय निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक की नियुक्ति और पारिश्रमिक का भुगतान, प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक बढ़ाने अथवा उनकों पूर्व में अधिनियम के प्रावधानों से अधिक भुगतान की गई पारिश्रमिक को पुर्नवसूली न करने की मंजूरी, कंपनी को व्यावसायिक सेवाएं देने हेतु निदेशक की पात्रता/अभियोग्यता की जांच, निदेशकों की संख्या में वृद्धि हेतु आवेदन, तथा कंपनी के बोर्ड

में सरकार द्वारा नामित निदेशक की नियुक्ति से संबंधित कार्य करता है।

2.2.3 निरीक्षण एवं जांच निदेशक (डीआईआई) और कंपनी रजिस्ट्रारों को कंपनी की लेखा बही का निरीक्षण करने, विशेष लेखापरीक्षा का निदेश देने, कंपनी के मामलों में जांच का आदेश देने और कंपनी अधिनियम, 1956 का उल्लंघन करने के लिए अभियोजन शुरू करने का अधिकार दिया गया है। किसी कंपनी द्वारा अवैध/धोखाधड़ी किए जाने के मामलों में, जिसका शेयरधारकों, ऋणदाताओं, कर्मचारियों और अन्य के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव हो, कार्यवाही शुरू करने के लिए कंपनी की लेखाबही और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण किया जाता है। समुचित मामलों में निरीक्षण के परिणाम अन्य मंत्रालय/विभागों जैसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, प्रवर्तन निदेशालय, राज्य सरकार अथवा भविष्य निधि प्राधिकारियों को भी सूचित किए जाते हैं।

लागत लेखापरीक्षा शाखा

2.2.4 कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन लागत लेखापरीक्षा शाखा में भारतीय लागत लेखा सेवा (आईसीएएस) के व्यावसायिक कार्यरत हैं और इसका प्रमुख कार्य कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1)(घ) और 233ख से संबंधित है। यह धारा 209(1)(घ) के अंतर्गत विभिन्न उद्योगों/उत्पादों के लिए लागत लेखा रिकार्ड नियम (सीएआरआर) तैयार एवं अधिसूचित करती है। इन नियमों में कंपनियों की विशिष्ट श्रेणी द्वारा लागत रिकार्डों को रखने का तरीका निर्धारित किया जाता है। यह शाखा नियामक निकायों तथा अन्य सरकारी एजेंसियों की बदलती हुई अपेक्षाओं, प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रक्रिया, लेखांकन मानकों और लागत लेखा मानकों में हो रहे परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए वर्तमान सीएआरआर को तर्कसंगत भी बनाती है। केन्द्र सरकार के पूर्वानुमोदन के साथ निदेशक–मंडल द्वारा नियुक्त लागत लेखापरीक्षक द्वारा सीएआरआर के प्रावधानों के अनुसार लागत अभिलेखों की लेखापरीक्षा कराने के आदेश धारा 233ख के तहत, जारी किए जाते हैं।

निवेशक शिकायत प्रबंधन कक्ष

2.2.5 निवेशकों की शिकायतों को कंपनी रजिस्ट्रारों के माध्यम से शीघ्रता से समाधान/निपटान करने के उद्देश्य से वर्ष 1993 में निवेशक संरक्षण कक्ष (आईपीसी) की स्थापना की गई थी। यह कक्ष बाद में निवेशक शिकायत प्रबंधन कक्ष (आईजीएमसी), के रूप में परिर्वतित कर दिया गया है। यह भारतीय रिजर्व बैंक, आर्थिक कार्य विभाग तथा सेबी आदि से संबंधित, किन्तु कारपोरेट कार्य मंत्रालय में प्राप्त,निवेशकों की शिकायतों के समाधान के लिए इन एजेंसियों के साथ समन्वय भी करता है। आईजीएमसी में प्राप्तशिकायतें मुख्य रूप से निम्नलिखित मुद्दों से संबंधित हैं:

क. वार्षिक रिपोर्ट न मिलना

ख. लाभांश राशि प्राप्त न होना

ग. आवेदन राशि का वापसी न होना

घ. मैच्योर जमा राशि और उस पर ब्याज का भुगतान न मिलना

ङ. शेयर प्रमाण–पत्र जारी न करना

च. शेयरों के अंतरण का पंजीकरण न होना

छ. ऋण–पत्र प्राप्त न होना

ज. राइट्स बोनस शेयर जारी न करना

झ. डुप्लीकेट शेयर प्राप्त न होना

ञ. देरी से भुगतान करने पर ब्याज न देना

ट. ऋण–पत्र और उसके ब्याज का विमोचन न होना

ठ. परिवर्तन पर शेयर प्रमाण–पत्र न मिलना

2.2.6 निवेशक/जमाकर्ता मंत्रालय की वेबसाइट www.*mca.gov.in* का प्रयोग कर एमसीए–21 प्रणाली के माध्यम से अपनी शिकायतें संबंधित रजिस्ट्रार के समक्ष ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। प्रणाली में आनलाइन शिकायत की पावती एक शिकायत संख्या देकर दी जाती है जिसका प्रयोग भविष्य में शिकायत पर कार्रवाई जानने के लिए किया जा सकता है।

2.2.7 वाह्य कार्यालयों को निवेशक शिकायत समाधान कार्य में सक्रिय रूप से संबद्ध करने के लिए तीन विभिन्न स्तरों पर पदनामित अधिकारी की अध्यक्षता में नोडल टीम बनाई गई है: (i) सभी क्षेत्रीय निदेशक कार्यालयों (आरडी), (ii) सभी कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालयों (आरओसी), और (iii) मंत्रालय के मुख्यालय। निवेशक अपनी शिकायतें आरओसी/आरडी स्तर पर संबंधित नोडल अधिकारियों को प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि किसी निवेशक की शिकायत का समाधान एक यथोचित अवधि जैसा कि मंत्रालय के नागरिक चार्टर में दिया गया है, बीत जाने के बाद भी न हो तो उसे मंत्रालय के नोडल अधिकारी के समक्ष लाया जा सकता है। नोडल अधिकारियों की अद्यतन सूची 'निवेशक सेवाओं' के अंतर्गत मंत्रालय के वेबसाइट पर उपलब्ध है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अनुभाग

2.2.8 मंत्रालय का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अनुभाग अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे कारपोरेट रजिस्टर्स फोरम (सीआरएफ), अकाउंटिंग एंड कारपोरेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (एसीआरए), यूएस अमेरिकन चौम्बर्स ऑफ कॉमर्स के बिजनेस लीडर्स, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव्स (जीआरआई), इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इन्सोल्वेंसी रेगुलेटर्स (आईएआईआर), ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक को–ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (ओईसीडी), यूएसए के फेडरल ट्रेड कमीशन, यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, और जापान के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स (एसएआईसी) आदि के साथ संपर्क करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अनुसंधान एवं विश्लेषण प्रभाग

2.2.9 कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अनुसंधान एवं विश्लेषण प्रभाग का प्रबंधन निदेशकों, उप–निदेशकों तथा सहायक निदेशकों का एक दल करता है जो भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के व्यावसायिक हैं। यह प्रभाग भारत में कारपोरेट क्षेत्र के कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए विकास नीति के साथ–साथ समष्टि स्तर पर कारपोरेट निष्पादन, पूंजी बाजार सुधारों, विनिवेश और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मुद्दों पर आर्थिक परामर्श देता है। यह प्रभाग सरकार द्वारा समय–समय पर अपेक्षित निजी कारपोरेट क्षेत्र के बचत और निवेश के आकलन हेतु अध्ययन भी करता है।

2.2.10 यह प्रभाग कारपोरेट क्षेत्र सांख्यिकी के संबंध में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा सुझाए गए सुधारों के कार्यान्वयन हेतु भी उत्तरदायी है। यह प्रभाग कंपनी अधिनियम, 1956 के कार्य एवं प्रशासन के संबंध में सूचना/आंकड़ों के पर्यवेक्षण और प्रबंधन तथा आर्थिक विश्लेषण द्वारा सरकार को निर्विष्टियां भी उपलब्ध कराता है।

2.2.11 यह प्रभाग पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण, मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा एवं मूल्यांकन, जी–20 शिखर–सम्मेलन, केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों (सीपीएसई) के विनिवेश, पूंजी बाजार आदि, से संबंधित विषयों पर तकनीकी नोट और टिप्पणियां तैयार करता है। इसके अतिरिक्त, यह प्रभाग सीपीएसई में भारत सरकार के विनिवेश हेतु मध्यस्थों के रूप में सलाहकारों तथा मर्चेंट बैंकर के चयन हेतु विनिवेश विभाग द्वारा स्थापित अंतर–मंत्रालय समूह (आईएमजी) की सभाओं में मंत्रालय का प्रतिनिधित्व भी करता है।

2.2.12 यह प्रभाग (i) मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, (ii) कंपनी अधिनियम, 1956 के कार्य एवं प्रशासन से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट, (iii) मंत्रालय की कार्यकलापों का मासिक समाचार प्रत्र, और (iv) कारपोरेट क्षेत्र में हुए प्रगति पर साँख्यिकीय सूचना और विश्लेषण की प्रस्तुति हेतु मासिक सूचना बुलेटिन के संकलन, संपादन और प्रकाशन हेतु भी उत्तरदायी है। यह प्रभाग एमसीए–21 पोर्टल डाटाबेस से प्राप्त कारपोरेट क्षेत्र से संबंधित आंकड़े राज्य आर्थिक एवं सांख्यिकी ब्यूरो को निस्तार करता है।

सांख्यिकी प्रभाग

2.2.13 एक निदेशक के प्रभार में सांख्यिकी अनुभाग (i) एमसीए–21 पोर्टल (एक्सबीआरएल मोड सहित) से प्राप्त कारपोरेट सांख्यिकी में सुधार, (ii) कंपनी अधिनियम की संशोधित अनुसूची–VI, व्यवसाय नियम आदि के संगत विस्तारणीय व्यवसाय रिपोर्टिंग भाषा (एक्सबीआरएल) टेक्सोनॉमी तैयार करने से संबंधित विषयों पर कार्य करता है। यह प्रभाग एमसीए–21 पोर्टल से प्राप्त कारपोरेट क्षेत्र संबंधी सांख्यिकीय सूचना आवश्यकता अनुसार केन्द्रीय मंत्रालयों एवं संगठनों जैसे केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) एवं अन्य के साथ साझा करता है।

अवस्थापना अनुभाग

2.2.14 अवस्थापना अनुभाग भूमि और भवन खरीदकर बेहतर अवस्थापना उपलब्ध कराने, मंत्रालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए सभी भवनों के निर्माण/मरम्मत/रखरखाव के लिए पूंजी निर्माण कार्य और मुख्यालय तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए किराये पर भवन लेने हेतु समझौते करता है।

आरटीआई पर्यवेक्षण कक्ष

2.2.15 पर्यवेक्षण कक्ष आरटीआई संबंधी सभी सूचनाओं का भंडार होने के अतिरिक्त आवेदक/अपीलकर्ता तथा केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी के मध्य संपर्क का कार्य भी करता है। यह कक्ष सार्वजनिक प्राधिकारी के द्वारा आरटीआई अधिनियम की विभिन्न धाराओं का पालन किये जाने के लिए भी उत्तरदायी है। यह कक्ष सभी आरटीआई आवेदनों एवं अपीलों की प्रगति का पर्यवेक्षण भी करता है ताकि विहित समय–सीमा के भीतर उसका निपटान सुनिश्चित हो सके।

लिंगमूलक बजट कक्ष

2.2.16 कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने सरकारी बजट निर्माण प्रक्रिया में लिंगमूलक विश्लेषण एकीकृत करने में सहायता के उद्देश्य से एक लिंगमूलक बजट कक्ष की स्थापना की है। लिंगमूलक बजट कक्ष ने मंत्रालय की विभिन्न शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों, संबद्ध कार्यालयों तथा व्यावसायिक संस्थानों में लिंग प्रतिनिधित्व पर सूचना/डाटाबेस प्रणाली तैयार करने के उपाय किए हैं। लिंगमूलक बजट कक्ष का उद्देश्य समानता और महिला सशक्तिकरण के मुद्दों पर कारपोरेट क्षेत्र की नीतियों के प्रभाव का मूल्यांकन करते हुए बजट नियतन के लिंगमूलक विभाजन पर बढ़ती हुई जागरूकता में सहायता करना है।

राजभाषा अनुभाग

2.2.17 राजभाषा अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का कार्यान्वयन राजभाषा अनुभाग द्वारा किया जाता है जिसका प्रमुख मंत्रालय का एक संयुक्त सचिव है। राजभाषा अनुभाग का कार्य राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी होने वाले दस्तावेजों का अंग्रेजी से हिन्दी में तथा विलोमतः अनुवाद करना और संसदीय राजभाषा समिति से संबंधित कार्य करना है। यह अनुभाग राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन करने और हिन्दी सलाहकार समिति द्वारा लिए गए

निर्णयों का कार्यान्वयन करने के लिए उत्तरदायी है। यह अनुभाग हिन्दी शिक्षण योजना और हिन्दी कार्यशालाओं के आयोजन का कार्य भी करता है। यह मंत्रालय में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए सुझाव भी देता है।

सीमित देयता भागीदारी अधिनियम का प्रशासन

2.3.1 प्रारंभ में सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत प्रशासनिक संरचना एक एलएलपी रजिस्ट्रार, एक सहायक एलएलपी रजिस्ट्रार और उसकी सहायतार्थ 12 कर्मचारियों की द्विस्तरीय संरचना थी। एलएलपी रजिस्ट्रार एक निरीक्षण एवं जांच निदेशक के माध्यम से नीति मामलों हेतु तथा दूसरा निदेशक के माध्यम से ई–शासन एवं प्रशासन सहित बाकी मामलों हेतु दो संयुक्त सचिवों को रिपोर्ट करता था। दिनांक 11.06.2012 से सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) हेतु रजिस्ट्री सेवाएं देश भर में फैले बीस रजिस्ट्रारों में विकेन्द्रीकृत कर दी गई हैं। यह विकेन्द्रीकरण एलएलपी के रूप में नए व्यवसाय निकायों के निगमन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से किया गया है।

2.3.2 सीमित देयता भागीदारी हेतु ई–शासन प्रणाली, जिसे अब तक केन्द्रीय सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र (एनआईसी) द्वारा चलाया जा रहा था को अब दिनांक 11.06.2012 से एमसीए–21 पोर्टल के तहत ई–शासन प्रणाली से एकीकृत कर दिया गया है। वर्तमान में एमसीए–21 प्रणाली कंपनियों एवं एलएलपी दोनों हेतु ई–शासन सेवाओं का कार्य करता है।

2.3.3 कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने अपने नए एलएलपी पोर्टल पर हितधारकों हेतु नए मार्ग–निर्देश डाले हैं। वर्तमान में सभी प्रपत्र आदि एमसीए–21 अपेक्षाओं के अनुरूप जमा किए जाएंगे। कंपनियों एवं एलएलपी हेतु सेवाओं संबंधी अदायगियां एनईएफटी, क्रेडिट कार्ड, और छः नामित बैंकों (आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी बैंक, इंडियन बैंक, यूबीआई) से नेट बैंकिंग द्वारा की जा सकती है। प्रयोक्तागण असुविधा से बचने के लिए एलएलपी प्रपत्र दायर करने से पूर्व एमसीए–21 पोर्टल पर दिए हुए प्रयोक्ता मार्ग–निर्देश और अनुदेश किट का अध्ययन कर लें। एलएलपी प्रपत्र दायर करने में किसी समस्या की स्थिति में प्रयोक्ता एमसीए–21 सहायता डेस्क (हेल्प–डेस्क) की सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय/संगठन

2.4 नोडल मंत्रालय के रूप में यह मंत्रालय कंपनी विधि बोर्ड (सीएलबी), भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई), प्रतिस्पर्धा अपीलीय ट्रिब्यूनल (सीओएमपीएटी) तथा गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) जैसे कई संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के कार्य संचालन हेतु उत्तरदायी है। यह कंपनी (द्वितीय) संशोधन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी) की स्थापना से भी जुड़ा है।

कंपनी विधि बोर्ड

2.4.1 कंपनी विधि बोर्ड कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 10ङ के अंतर्गत गठित एक स्वतंत्र अर्ध–न्यायिक निकाय है जो साम्यिक क्षेत्राधिकारका निर्वहन करता है और इसने दिनांक 31.05.1991 से कार्य प्रारंभ किया। कंपनी विधि बोर्ड के कार्यों का विनियमन कंपनी विधि बोर्ड विनियम, 1991 के तहत होता है जिसमें बोर्ड के समक्ष आवेदन/याचिकाएं दायर करने की प्रक्रिया विहित की गई है और कंपनी विधि बोर्ड (आवेदन एवं याचिका पर शुल्क) नियम, 1991 के अनुसार कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष आवेदन एवं याचिका दायर करने के लिए शुल्क निर्धारित किए गए हैं।

2.4.2 कंपनी विधि बोर्ड के संस्वीकृत संख्या नौ सदस्य हैं जिसमें अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष शामिल हैं। दिनांक 31.12.2012 के अनुसार बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य थे :

(1) न्यायमूर्ति श्री डी.आर. देशमुख, अध्यक्ष, सीएलबी।

(2) श्रीमती विमला यादव, सदस्य, सीएलबी, मुम्बई।

(3) श्री कांति नरहरि, सदस्य, सीएलबी, चेन्नई।

(4) श्री बी. एस. वी. प्रकाश कुमार, सदस्य, सीएलबी, नई दिल्ली।

(5) श्री अमलेश बंद्योपाध्याय, सदस्य, सीएलबी, कोलकाता।

(6) श्री धनराज, सदस्य, सीएलबी, नई दिल्ली।

(7) श्री ए. के. त्रिपाठी, सदस्य, सीएलबी, मुम्बई।

(8) श्री आर. वासुदेवन, सदस्य, सीएलबी, (दिनांक 23.11.2009 से निलंबनाधीन)

2.4.3 कंपनी विधि बोर्ड का प्रधान पीठ नई दिल्ली में है, और चार क्षेत्रीय पीठ नई दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई में है। सीएलबी के क्षेत्रीय पीठों का भौगोलिक क्षेत्राधिकार निम्नवत् हैं:

क्र. सं.	क्षेत्र	क्षेत्राधिकार
1.	प्रधान पीठ, नई दिल्ली	सभी राज्य और संघ शासित क्षेत्र।
2.	नई दिल्ली पीठ	दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल राज्य और संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़।
3	मुम्बई पीठ	गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ राज्य और संघ शासित क्षेत्र दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव ।
4.	चेन्नई पीठ	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य और संघ शासित क्षेत्र पुदुचेरी एवं लक्षद्वीप।
5.	कोलकाता पीठ	अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखण्ड राज्य और संघ शासित क्षेत्र अंडमान निकोबार एवं द्वीपसमूह।

2.4.4 अधिनियम की धाराएं 250, 269, 388ख के तहत आने वाले मामले प्रधान पीठ द्वारा देखे जाते हैं। अधिनियम की धाराएं 58कक, 79/80क, 111ध111क, 113/113क, 117, 117ग, 118, 144, 163, 167, 186, 196, 219, 235, 237(ख), 247, 284, 304, 397/398, 408, 409, 614 तथा 621क और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45थक पर कार्यवाही क्षेत्रीय पीठों द्वारा उनके भौगोलिक क्षेत्राधिकार के अनुसार की जाती है। सीएलबी के पास अपने आदेशों के प्रवर्तन की शक्तियां है। सीएलबी के आदेशों या निर्णयों के विरूद्ध अपील (जिसमें विधि का प्रश्न शामिल हो) संबंधित उच्च न्यायालय में साठ दिनों के भीतर की जा सकती है।

2.4.5 (i) कंपनियों के पंजीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित होने की पुष्टि और उसके परिणामस्वरूप कंपनी के संगम ज्ञापन में

परिवर्तन होने, तथा (ii) कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत प्रभारों के रजिस्टर में परिवर्तन से संबंधित प्रक्रिया में लगने वाले समय व लागत में कटौती के उद्देश्य से कंपनी विधि बोर्ड के कार्य केन्द्र सरकार को सौंपें गए हैं। आगे सरकार ने यह शक्तियां कंपनी रजिस्ट्रारों को प्रत्यायोजित कर दी हैं। इससे संबंधित कार्यकलापों को एमसीए–21 प्रणाली के तहत ऑनलाइन मोड में परिवर्तित करने के कदम उठाए गए हैं।

राष्ट्रीय कंपनी विधि ट्रिब्यूनल/राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय ट्रिब्यूनल

2.4.6 कंपनी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी विधि ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के गठन का उपबन्ध है। संशोधन अधिनियम को मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और इस मामले पर उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 11.05.2010 को अंतिम निर्णय दिया। लोक सभा द्वारा दिनांक 18.12.2012 को पारित कंपनी विधेयक, 2012 में उच्चतम न्यायालय के दिशा–निर्देश भी शामिल किए गए हैं।

2.4.7 यह ट्रिब्यूनल समापन व बंद करने, विलयन एवं समामेलन से संबंधित कार्य कर रहे कंपनी विधि बोर्ड, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड तथा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण का स्थान लेंगे।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

2.4.8 प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को दूर करने, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने तथा बनाए रखने, उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और भारत के बाजारों में होने वाले व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत दिनांक 14.10.2003 को की गई थी।

2.4.9 प्रतिस्पर्धा रोधी समझौतों और प्रभुत्वपूर्ण स्थिति के दुरुपयोग से संबंधित प्रतिस्पर्धा अधिनियम के प्रावधान दिनांक 20.05.2009 से लागू किए गए हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अपने अनुभव और विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श के बाद भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों से संबंधित व्यवसाय कार्य संबंधी प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2011 बनाया है जो दिनांक 23.02.2012 से प्रभावी है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के वास्तविक कार्य से प्राप्त अनुभव के आलोक में और प्रतिस्पर्धा क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिसंबर, 2012 में प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक लोक सभा में प्रस्तुत किया गया है।

प्रतिस्पर्धा अपीलीय ट्रिब्यूनल

2.4.10 प्रतिस्पर्धा अपीलीय ट्रिब्यूनल की स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत दिनांक 14.10.2003 को की गई थी जिसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के निदेशों अथवा निर्णयों के विरूद्ध अपीलें सुनने और आयोग व स्वयं ट्रिब्यूनल के निर्णयों के कारण क्षतिपूर्ति के लिए दावों पर निर्णय करने का अधिकार है।

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय

2.4.11 दिनांक 02.07.2003 के संकल्प द्वारा भारत सरकार ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) का गठन किया गया। यह एक बहु–विषयी जाँच एजेंसी है जिसमें बैंकिंग क्षेत्र, पूंजी बाजार, कंपनी विधि, विधि, अपराध विज्ञान, कराधान, सूचना प्रौद्योगिकी आदि के विशेषज्ञ कारपोरेट धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। एसएफआईओ धोखाधड़ी से जुड़े उन मामलों की जांच करता है जो (क) जटिल और अंतर्विभागीय और बहु–विषयी प्रभाव वाले हो; (ख) जिनमें धनराशि के दुरुपयोग के आकार (50 करोड़ या अधिक, अथवा जहां कंपनी की प्रदत्त पूंजी 5 करोड़ रुपए

हैं जिसमें से कम से कम 20% जनता से अंशदान द्वारा प्राप्त की गई है), अथवा प्रभावित व्यक्तियों की संख्या (कम से कम 5000 व्यक्ति) के अनुसार वृहत जनहित शामिल हो; तथा (ग) जहां जांच से तंत्र, विधि अथवा प्रक्रिया में स्पष्ट सुधार की संभावना हो। एसएफआईओ कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 235 से 247 तक के प्रावधानों के अंतर्गत जांच करता है। कंपनी विधेयक, 2012 में एसएफआईओ को सांविधिक दर्जा और कारपोरेट धोखाधड़ी के मामले में पुलिस कार्रवाई करने का अधिकार देने का उपबन्ध है।

2.4.12 एसएफआईओ का विभागाध्यक्ष एक निदेशक है जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी है। निदेशक की सहायता के लिए कई अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, वरिष्ठ सहायक निदेशक और सहायक निदेशक हैं। मामलों की जांच अधिकारियों के दल द्वारा की जाती है। एसएफआईओ का मुख्यालय दिल्ली में और शाखा कार्यालय मुम्बई में हैं। एसएफआईओ के क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद और नई दिल्ली में स्थापित किए जा रहे हैं।

लेखाकारों के व्यावसायिक संस्थान

2.5 मंत्रालय संसद के अधिनियमों के तहत गठित तीन व्यावसायिक संस्थानों नामतः भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के माध्यम से लेखाकार, कंपनी सचिव, लागत लेखाकार, के व्यवसायों को नियमित करने वाले कानूनों {चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949} लागत एवं संकर्म लेखाकार {लागत एवं संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959} और कंपनी सचिव {कंपनी सचिव अधिनियम, 1980} का प्रशासन भी करता है। इन संस्थानों की कार्य प्रणाली इस प्रतिवेदन के अध्याय–VI में विस्तार से दी गई है।

भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान

2.6.1 कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कारपोरेट वृद्धि, एकात्मक जानकारी प्रबंधन के माध्यम से सुधार, भागीदारी और समस्या समाधान को एक–ही–स्थान पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) की स्थापना की है जो एक ''समग्र विचार–मंडल'' और एक ''क्षमता निर्माण, सेवा सुपुर्दगी संस्थान'' के रूप में कार्य करता है। यह संस्थान बदलते हुए आर्थिक परिवेश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नीति और विधायी उपाय तैयार करने में कारपोरेट कार्य मंत्रालय की सहायता करता है और संगठनात्मक सुधार पहलों में सहायता देता है। साथ ही, यह संस्थान भारतीय कारपोरेट विधि सेवा (आईसीएलएस) के अधिकारियों और मंत्रालय में कार्यरत अन्य अधिकारियों का प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा करता है। इसके अतिरिक्त, आईआईसीए विभिन्न क्षेत्रों जैसे एमसीए–21, कारपोरेट शासन, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण आदि में सेवा सुपुर्दगी तंत्र के निरंतर सुधार में भी सहायता करता है।

2.6.2 यह संस्थान 21वीं सदी के उभरते परिवेश में सरकार, कारपोरेट, निवेशक, सभ्य समाज, व्यावसायिकों, शिक्षाविदों और अन्य हितधारकों के मध्य वार्ता, विचार–विमर्श और भागीदारी के लिए एक मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। आईआईसीए का प्रमुख महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष

2.7.1 निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) का गठन कंपनी अधिनियम, 1959 की धारा 205ग के अंतर्गत निवेशक शिक्षा, जागरूकता एवं संरक्षण से संबंधित कार्यकलापों में सहायता देने के उद्देश्य से किया गया था। इस कोष में निम्नलिखित गैर दावाकृत राशि जमा की जाती हैं:

(क) कंपनियों की भुगतान न की गई लाभांश राशि;

(ख) प्राप्त आवेदन राशि जो वापसी के लिए देय है;

(ग) मैच्योर हो गई जमा राशि;

(घ) उपर्युक्त धनराशि पर प्राप्त ब्याज;

(ङ) मैच्योर ऋण पत्र;

(च) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, कंपनियों अथवा किसी अन्य संस्थान द्वारा अनुदान और चंदा एवं

(छ) कोष से किए गए निवेश पर ब्याज अथवा प्राप्त कोई अन्य आय।

2.7.2 कोष के लक्ष्य/कार्यकलाप निम्न प्रकार हैं:–

- निवेशकों को बाजार कार्यकलापों की जानकारी/शिक्षा देना
- निवेशकों द्वारा विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए सूचना का विश्लेषण करना
- निवेशकों को बाजार उतार–चढ़ाव की जानकारी देना
- निवेशकों को विभिन्न कानूनों के अंतर्गत उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों की जानकारी देकर सशक्त बनाना
- प्रतिभूति बाजार में अनैतिक तत्व और अनुचित प्रथाओं के बारे में निरंतर जानकारी का प्रसार
- नए निवेशकों को प्रतिभूति बाजार में भाग लेने के लिए बढ़ावा देकर निवेशक आधार व्यापक करना
- सुविचारित नीति निर्णयों में मदद के लिए एक जानकारी आधार बनाने हेतु अनुसंधान एवं निवेशक सर्वेक्षण को प्रोत्साहित करना।

2.7.3 निवेशक शिक्षा, जागरूकता एवं संरक्षण से संबंधित कार्यकलापों तथा उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कोष से धनराशि व्यय करने से संबंधित निर्णय लेने के लिए अधिनियम के अंतर्गत एक समिति का गठन किया गया है।

राष्ट्रीय कारपोरेट शासन प्रतिष्ठान

2.8.1 राष्ट्रीय कारपोरेट शासन प्रतिष्ठान (एनएफसीजी) की स्थापना कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा संयुक्त रूप से एक ट्रस्ट के रूप में की गई है। संस्थापक भागीदारों ने एनएफसीजी की समग्र निधि में वित्तीय अंशदान किया है। एनएफसीजी के कार्यकलाप समग्र निधि से प्राप्त ब्याज द्वारा चलाये जाते हैं। वर्ष 2010 में भारतीय लागत एवं संकर्म लेखाकार संस्थान (अब भारतीय लागत लेखाकार संस्थान) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) को एनएफसीजी में नए सदस्यों के रूप में शामिल किया गया और उन्होंने समग्र निधि में वित्तीय अंशदान किया है। प्रतिष्ठान का मूल उद्देश्य सुस्थायी संपदा निर्माण की कुंजी के रूप में भारतीय कारपोरेट क्षेत्र में अच्छे कारपोरेट शासन व्यवहारों को प्रोत्साहित करना है।

2.8.2 एनएफसीजी का अधिशासी परिषद् नीति निर्माण के सर्वोच्च स्तर पर कारपोरेट कार्य मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता है। प्रतिष्ठान का कार्यकलाप ट्रस्टी परिषद् द्वारा चलाया जाता हैं जिसका अध्यक्ष सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय होता है। एनएफसीजी के तत्वावधान में संचालित कार्यकलापों में कारपोरेट शासन व्यवहारों पर सेमीनार, सम्मेलन, प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं, अनुसंधान कार्यकलाप आदि शामिल हैं।

अध्याय–III
कंपनी अधिनियम, 1956 और इसका प्रशासन

3.1.1 कंपनी अधिनियम, 1956 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् 'अधिनियम' कहा गया है) प्रधानतः कंपनियों के निगमन, प्रचालन, अधिशासन, परिसमापन और बंद करने सहित विस्तृत गतिविधियों का विनियमन करता है। कारपोरेट शासन का विनियमन, और कंपनियों के हितधारकों के प्रति कंपनियों की जवाबदेही, अधिमान शेयरों के मामले को अधिशासित करने वाली शर्तें, निजी नियोजन और लाभांश का संवितरण, सांविधिक प्रकटीकरण दायित्व, निरीक्षण, जांच एवं प्रवर्तन की शक्तियां तथा विलयन/समामेलन/व्यवस्थाएं/पुनः रचना आदि जैसी कंपनी की प्रक्रियाएं इस अधिनियम के प्रमुख केन्द्र बिन्दु हैं।

3.1.2 अधिनियम के प्रमुख उद्देश्यों का सार निम्नवत् हैं:–

(क) शेयरधारकों के बीच प्रजातंत्रीय व्यवस्था के माध्यम से शेयरधारकों के हितों की सुरक्षा;

(ख) समुचित प्रकटीकरण के माध्यम से अन्य हितधारकों जैसे लेनदारों, वित्तीय संस्थानों आदि के हितों की सुरक्षा;

(ग) विलयन/समामेलन आदि सहित कंपनियों की प्रक्रियाओं के विनियमन के लिए एक ढांचा उपलब्ध कराना तथा

(घ) जनहित में तथा कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सरकार को प्रवर्तन के पर्याप्त अधिकार देना।

नियमों एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण

3.2.1 वर्ष 2011–12 के दौरान, मंत्रालय ने तीस अधिसूचनाएं, तिरपन सामान्य परिपत्र, एक विभागीय परिपत्र और दो मास्टर परिपत्र जारी किए। वर्तमान वर्ष के दौरान (दिनांक 31.12.2012 तक) मंत्रालय ने इकतीस अधिसूचनाएं, एवं छब्बीस सामान्य परिपत्र जारी किए। इन अधिसूचनाओं एवं परिपत्रों की सूची, तिथि एवं विषय सामग्री का विवरण सहित इस अध्याय के अंत में दी गई है।

ई–प्रपत्रों का पुनरीक्षण

3.2.2 मंत्रालय ने समय–समय पर कंपनी (केन्द्र सरकार) सामान्य नियम एवं प्रपत्र (संशोधन) नियम, 2012 में 23कख, 24ककक, 8, 10, 17, 21, 23, 23ख, 23कग, 23कगक तथा 18 हेतु ई–प्ररूपो के संबंध में और कंपनी (निदेशक पहचान संख्या) संशोधन नियम, 2012 में डीआईएन–1 एवं डीआईआईएन–4 में संशोधन अधिसूचित किये है और कंपनी (विस्तारणीय व्यवसाय रिपोर्टिंग भाषा में दस्तावेज एवं प्रपत्र दायर करना) नियम में संशोधन किया है।

कंपनियों के पंजीकरण एवं परिसमापन की समीक्षा

कार्यरत कंपनियां

3.3.1 दिनांक 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार, कुल 12,89,229 कंपनियां रजिस्टर में थी (इनमें 11,67,226 प्राईवेट लिमिटेड कंपनियां और 1,22,003 पब्लिक लिमिटेड कंपनियां थीं)। उपर्युक्त में से 8,72,957 कंपनियां कार्यरत थी जिनमें 8,06,666

प्राईवेट लिमिटेड कंपनियां और 66,291 पब्लिक लिमिटेड कंपनियां थीं)। कार्यरत कंपनियों में से अधिकांश (लगभग 80%) कंपनियां चार प्रमुख आर्थिक गतिविधियों के अन्तर्गत आती हैं वे हैं– ''वित्त, बीमा, स्थावर संपदा एवं किराया, व्यवसाय सेवाएं'' (31.57%), ''विनिर्माण'' (22.31%), ''थोक एवं खुदरा व्यापार, रेस्तरां एवं होटल'' (15.85%), तथा ''निर्माण'' (10.74%)। दिनांक 31.12.2012 को आर्थिक गतिविधि–वार कार्यरत कंपनियों का विवरण **तालिका 3.1** में दिया गया है। 31.12.2012 को आर्थिक गतिविधि–वार कार्यरत कंपनियों का चित्रात्मक विवरण **चार्ट 3.1** में दिया गया है।

तालिका–3.1

कार्यरत कंपनियों की संख्या का आर्थिक गतिविधि–वार प्रतिशत के आधार पर वितरण

(दिनांक 31.12.2012 तक)

आर्थिक गतिविधि	प्राईवेट लिमिटेड	पब्लिक लिमिटेड	योग
(1)	(2)	(3)	(4)
वित्त, बीमा, स्थावर संपदा एवं किराया, व्यवसाय सेवाएं	29.41	2.16	31.57
विनिर्माण	20.07	2.24	22.31
थोक एवं खुदरा व्यापार, रेस्तरां एवं होटल	15.15	0.70	15.85
निर्माण	10.14	0.60	10.74
सामुदायिक, वैयक्तिक एवं सामाजिक सेवाएं	5.55	0.43	5.98
परिवहन, भंडारण एवं संचार	3.05	0.17	3.22
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	2.16	0.35	2.51
विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति	1.07	0.20	1.26
खनन एवं उत्खनन	1.17	0.09	1.26
अन्य	4.64	0.65	5.29
योग	**92.41**	**7.59**	**100.00**

3.3.2 दिनांक 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार शेयरों द्वारा सीमित कुल कंपनियों की प्राधिकृत पूंजी 39,19,877 करोड़ रुपए थी जिसमें से प्राईवेट लिमिटेड कंपनियों को 12,34,045 करोड़ रुपए की प्रदत्त पूंजी की उगाही हेतु प्राधिकृत किया गया था और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों को 26,85,832 करोड़ रुपए की प्रदत्त पूंजी की उगाही हेतु प्राधिकृत किया गया था। इनमें से कार्यरत कंपनियों की प्राधिकृत पूंजी 35,39,110 करोड़ रुपए थी जिसमें प्राईवेट लिमिटेड कंपनियों की प्राधिकृत पूंजी 10,86,233 करोड़ रुपए थी जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की प्राधिकृत पूंजी 24,52,876 करोड़ रुपए थी। कार्यरत कंपनियों में प्राधिकृत पूंजी का अधिकांश (लगभग 80%) पांच प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों, यथा ''विनिर्माण'' (24.4%), ''विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति (21.6%), वित्त, बीमा, स्थावर संपदा तथा किराया, व्यवसाय सेवाएं (19.4%), निर्माण (9.2%), थोक एवं खुदरा व्यापार, रेस्तरां एवं होटल (5.4%), में संलग्न कंपनियों के संगत थी। दिनांक 31.12.2012 को कार्यरत कंपनियों की प्राधिकृत पूंजी का आर्थिक गतिविधि–वार विवरण **तालिका 3.2**. में दिया गया है और **चार्ट 3.2** दिनांक 31.12.2012 को कार्यरत कंपनियों की प्राधिकृत पूंजी का आर्थिक गतिविधि–वार विवरण का चित्रात्मक प्रतिनिधित्व करता है।

तालिका–3.2.

कार्यरत कंपनियों के प्राधिकृत पूंजी का आर्थिक गतिविधि–वार प्रतिशत के आधार पर वितरण

(दिनांक 31.12.2012 तक)

आर्थिक गतिविधि	प्राईवेट लिमिटेड	पब्लिक लिमिटेड	योग
(1)	(2)	(3)	(4)
विनिर्माण	8.36	16.08	24.45
विद्युत, गैस और जल आपूर्ति	2.47	19.17	21.63
वित्त, बीमा, स्थावर संपदा और किराया, व्यवसाय सेवाएं	7.13	12.30	19.43
निर्माण	4.43	4.82	9.25
थोक एवं खुदरा व्यापार, रेस्तरां एवं होटल	3.05	2.37	5.42
परिवहन, भंडारण एवं संचार	1.03	3.08	4.12
सामुदायिक, वैयक्तिक एवं सामाजिक सेवाएं	1.17	2.72	3.90
खनन एवं उत्खनन	0.50	1.45	1.95
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	0.35	0.51	0.85
अवर्गीकृत कंपनियां	2.19	6.81	9.00
योग	**30.69**	**69.31**	**100.00**

नए पंजीकरण

3.3.3 34,818.34 करोड़ रुपए की प्राधिकृत पूंजी के साथ वर्ष 2011–12 के दौरान अधिनियम के तहत शेयरों द्वारा सीमित 99,639 कंपनियां पंजीकृत हुई। इनकी प्राधिकृत पूंजी रु. 34,818.34 करोड़ थी। इनमें से 52 सरकारी कंपनियां थी जिनकी प्राधिकृत पूंजी 5,749.57 करोड़ रुपए और 99,587 गैर–सरकारी कंपनियां थीं जिनकी प्राधिकृत पूंजी 29,068.77 करोड़ रुपए थी।

3.3.4 वर्ष 2011–12 के दौरान पंजीकृत शेयरों द्वारा सीमित 52 सरकारी कंपनियों में से 40 पब्लिक लिमिटेड कंपनियां थीं और 12 प्राईवेट लिमिटेड कंपनियां थीं जिनकी प्राधिकृत पूंजी क्रमशः 5,642.60 करोड़ रुपए और 106.97 करोड़ रुपए थी। वर्ष 2011–12 के दौरान पंजीकृत शेयरों द्वारा सीमित 99,587 गैर–सरकारी कंपनियों में से 3440 पब्लिक लिमिटेड कंपनियां थी और 96147 प्राईवेट लिमिटेड कंपनियां थी जिनकी प्राधिकृत पूंजी क्रमशः 5,957.78 करोड़ रुपए और 23,110.99 करोड़ रुपए थी।

विदेशी कंपनियां

3.3.5 दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार अधिनियम की धारा 591 के तहत यथा परिभाषित 3,191 विदेशी कंपनियां थीं। दिसंबर, 2012 के अंत में विदेशी कंपनियों की संख्या बढ़कर 3,799 हो गई। कुल 3,799 विदेशी कंपनियों में, जिनका व्यवसाय स्थान भारत में स्थित था, पांच राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों का 90% हिस्सा था। ये राज्य/संघ शासित क्षेत्र हैं: (i) दिल्ली (1737), (ii) महाराष्ट्र (940), (iii) कर्नाटक (338), (iv) हरियाणा (246) और (v) तमिलनाडु (228)।

निधि कंपिनयां

3.4.1 अधिनियम की धारा 620क के तहत कुछ

चार्ट 3.1

दिनांक 31.12.2012 को आर्थिक गतिविधि–वार कार्यरत कंपनियों की संख्या

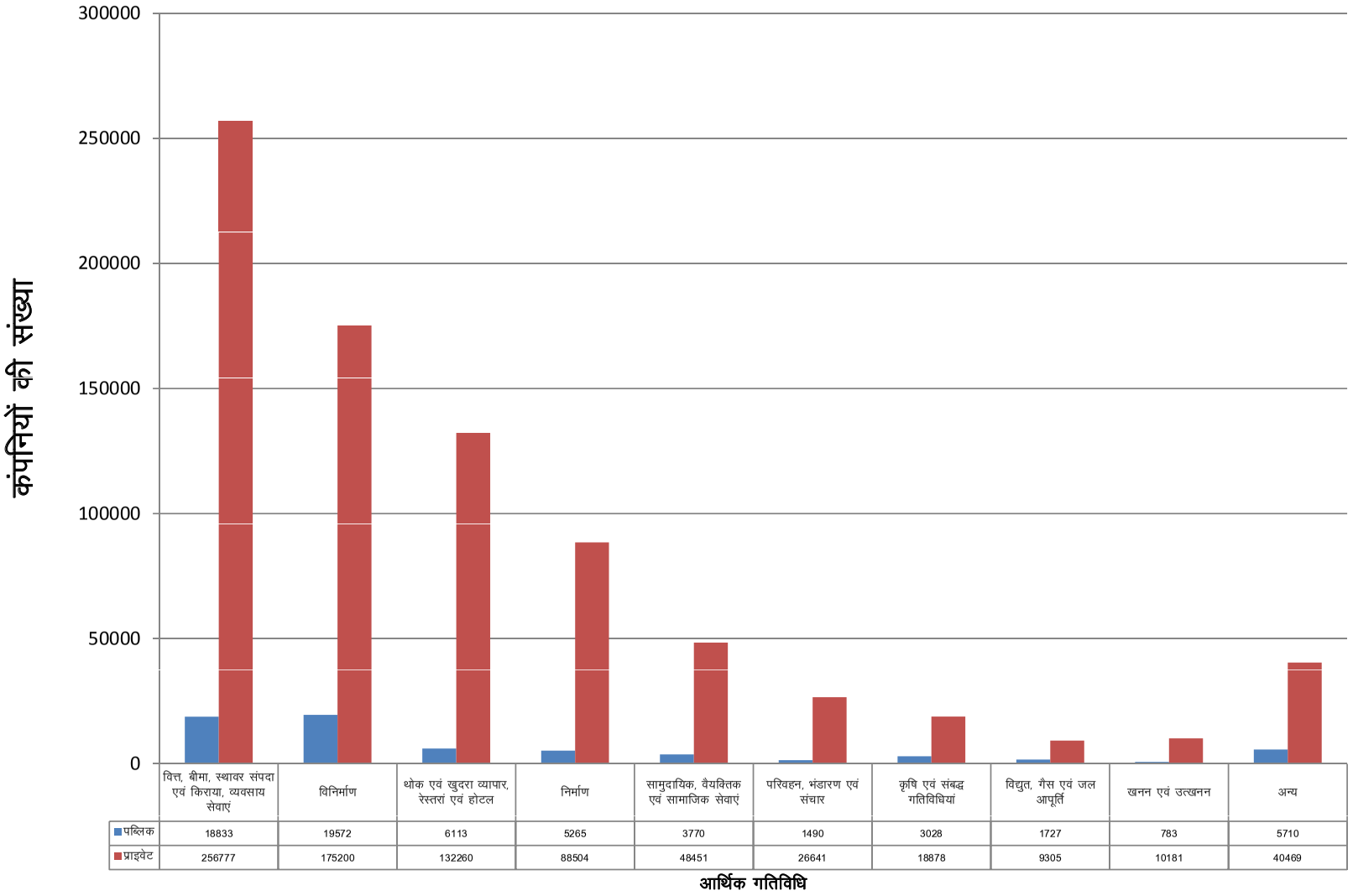

	वित्त, बीमा, स्थावर संपदा एवं किराया, व्यवसाय सेवाएं	विनिर्माण	थोक एवं खुदरा व्यापार, रेस्तरां एवं होटल	निर्माण	सामुदायिक, वैयक्तिक एवं सामाजिक सेवाएं	परिवहन, भंडारण एवं संचार	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति	खनन एवं उत्खनन	अन्य
पब्लिक	18833	19572	6113	5265	3770	1490	3028	1727	783	5710
प्राइवेट	256777	175200	132260	88504	48451	26641	18878	9305	10181	40469

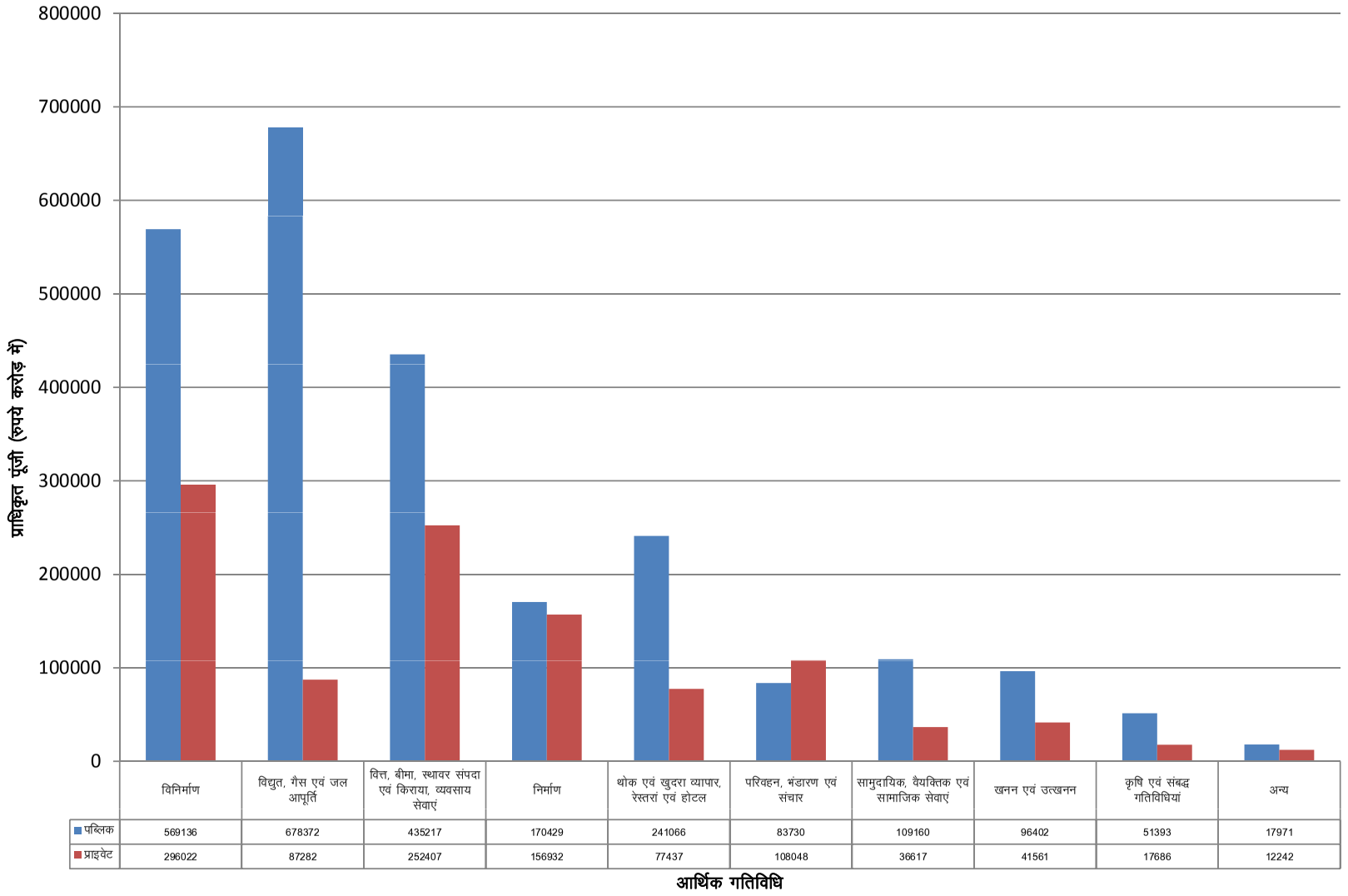

चार्ट 3.2
दिनांक 31.12.2012 को आर्थिक गतिविधि–वार कंपनियों की प्राधिकृत पूंजी

	विनिर्माण	विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति	वित्त, बीमा, स्थावर संपदा एवं किराया, व्यवसाय सेवाएं	निर्माण	थोक एवं खुदरा व्यापार, रेस्तरां एवं होटल	परिवहन, भंडारण एवं संचार	सामुदायिक, वैयक्तिक एवं सामाजिक सेवाएं	खनन एवं उत्खनन	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	अन्य
पब्लिक	569136	678372	435217	170429	241066	83730	109160	96402	51393	17971
प्राइवेट	296022	87282	252407	156932	77437	108048	36617	41561	17686	12242

आर्थिक गतिविधि

विशेष प्रकार के गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को केन्द्र सरकार द्वारा ''निधि कंपनियां'' या ''आपसी लाभ सोसाइटियां'' घोषित किये जाने का प्रावधान है। अधिनियम के कुछ विशिष्ट प्रावधान, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 555(अ) दिनांक 26.07.2001 द्वारा यथा अधिसूचित और सा.का.नि. संख्या 881(अ) दिनांक 03.11.2010 द्वार यथा संशोधित ऐसी कंपनियों के संबंध में लागू नहीं होंगे या संशोधित रूप में लागू होंगे। अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 679(अ) दिनांक 14.09.2011 द्वारा 14 और कंपनियों को निधि कंपनियां घोषित करने के साथ ही निधि कंपनियों की कुल संख्या दिनांक 31.12.2011 को 382 हो गई है।

3.4.2 दिनांक 01.04.2011 की स्थिति के अनुसार अधिनियम की धारा 620 के तहत ''निधि कंपनियां'' के रूप में घोषित किए जाने हेतु 8 आवेदन लंबित थे। वर्ष 2011–12 के दौरान केन्द्र सरकार को 10 आवेदन प्राप्त हुए। इन 18 आवेदनों में से वर्ष 2011–12 के दौरान 5 आवेदन निपटाएं गए। दिनांक 01.04.2012 को लंबित 13 आवेदनों के अतिरिक्त वर्तमान वर्ष के दौरान (दिनांक 31.12.2012 तक) 7 आवेदन प्राप्त हुए थे। इन 20 आवेदनों में से उक्त अवधि के दौरान 2 आवेदन निपटाए गए और दिनांक 31.12.2012 को 18 आवेदन लंबित थे।

लुप्त कंपनियां

3.5.1 तत्कालीन वित्त मंत्री के बजट भाषण के अनुसरण में सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय तथा अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की सह–अध्यक्षता में दिनांक 27.02.1999 को एक केन्द्रीय समन्वयन एवं निगरानी समिति (सीएमसी) का गठन किया गया जिसका मुख्य कार्य उन कंपनियों से संबंधित मुद्दों की देखरेख करना है जो पब्लिक इश्यू लाने के पश्चात् गायब हो गई थीं। जो कंपनियां तीन मानकों को पूरा करती हैं उन्हें लुप्त कंपनियां माना जाता हैं: (i) पंजीकृत कार्यालय का बनाये ना रखना (ii) संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी)/स्टॉक एक्सचेंज में दो वर्ष तक का सांविधिक विवरणी/सूचीकरण अपेक्षाएं जमा न करना; (iii) एक्सचेंज एवं कंपनी के मध्य लंबे समय तक पत्राचार न होना। सीएमसी का गठन लुप्त कंपनियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई की प्रगति की निगरानी करने के लिए किया गया था।

3.5.2 वर्ष 1992–2005 के दौरान इनीशियल पब्लिक ऑफर (आईपीओ) जारी करने वाली कंपनियों में से कुल 238 कंपनियों की पहचान विलुप्त कंपनी के रूप में की गई थी। मंत्रालय के सतत प्रयासों से 119 कंपनियों को ढूंढ़ निकाला गया है, 32 कंपनियों की पहचान समापनाधीन विलुप्त कंपनी के रूप में की गई और उनका नाम विलुप्त कंपनियों की सूची से हटा दिया गया। दिनांक 31.03.2012 को विलुप्त कंपनियों की संख्या 87 थी।

3.5.3 कारपोरेट कार्य मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों ने अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन हेतु पहचानी गईं ऐसी कंपनियों के विरूद्ध अधिनियम की धारा 63/68 और 628 के तहत अभियोजन दायर करने के साथ–साथ अधिनियम की धारा 159/220 के तहत शिकायत दायर कर कार्यवाही की है। उन्होंने इन कंपनियों का पता लगाने के लिए पुलिस अधिकारियों और सामान्य नागरिकों की सहायता लेने का भी प्रयास किया है। 87 (सत्तासी) लुप्त कंपनियों के विरूद्ध पुलिस मे एफआईआर भी दायर कराए गए हैं।

निक्षेपों का आमंत्रण एवं स्वीकरण

3.6.1 गैर–बैंकिंग, गैर–वित्तीय कंपनियों द्वारा निक्षेप आमंत्रण एवं स्वीकरण अधिनियम की धारा 58क तथा कंपनी (निक्षेप का स्वीकरण), नियम, 1975 द्वारा विनियमित होता है। यह नियम उन सीमाओं का निर्धारण करता है, जिस सीमा तक तथा जिन

शर्तों के अधीन इन कंपनियों द्वारा आम जनता अथवा अपने सदस्यों से निक्षेप आमंत्रित तथा स्वीकृत किए जा सकते हैं।

3.6.2 इन नियमों के तहत प्रत्येक कंपनी को निक्षेप आमंत्रित करते समय कंपनी के पूर्ववर्ती वित्त वर्षों के लिए वित्तीय स्थिति के सार को दर्शाते हुए विज्ञापन देना होता है। ये नियम, निम्नलिखित पहलुओं के संबंध में, निक्षेप स्वीकृत करने संबंधी शर्तों का निर्धारण करते हैंः–

(क) कंपनी के निवल मूल्य के संदर्भ में निक्षेप की ऊपरी सीमा।

(ख) अधिकतम 36 माह के लिए निक्षेप स्वीकृत किया जा सकता है।

(ग) दलाली की अधिकतम दर जिसका भुगतान कंपनी द्वारा उन दलालों को किया जाता है जिसके माध्यम से निक्षेप का संग्रहण किया जाता है।

(घ) निक्षेपकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में वर्ष के दौरान परिपक्व होने वाले निक्षेपों के 15% तक द्रव आस्ति का रखा जाना।

(ङ) निक्षेपों पर दिए जाने वाले ब्याज की अधिकतम दर।

3.6.3 अधिनियम की धारा 58क के प्रावधानों के अन्तर्गत विधित प्रतिबंधों का किसी वर्ग की कंपनियों द्वारा अनुपालन करने के लिए समय अवधि बढ़ाने, अथवा अनुपालन से छूट देने की शक्ति केंद्र सरकार को है। ऐसी छूट भारतीय रिजर्व बैंक के साथ विचार–विमर्श करने के पश्चात् ही दी जा सकती है। दिनांक 29.12.1989 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.1075अ में दी गई शर्तों को पूरा करने वाली गैर–बैंकिंग कंपनियों को ''वाणिज्यिक प्रत्र'' जारी कर निक्षेप स्वीकृत करने की अनुमति दी गई है।

3.6.4 दिनांक 01.4.2011 की स्थिति के अनुसार अधिनियम की धारा 58क(8) के तहत छूट/समय विस्तार हेतु प्राप्त दो आवेदन लंबित थे। वर्ष 2011–12 के दौरान केन्द्र सरकार को बारह आवेदन प्राप्त हुए इन चौदह आवेदनों में से वर्ष 2011–12 के दौरान 3 आवेदन निपटाए गए। दिनांक 01.4.2012 को विचारार्थ लंबित ग्यारह आवेदनों के अतिरिक्त वर्तमान वर्ष में (दिनांक 31.12.2012 तक) एक आवेदन प्राप्त हुआ। इन बारह आवेदनों में से उक्त अवधि के दौरान चार आवेदन निपटाए गए और दिनांक 31.12.2012 को आठ आवेदन लंबित थे।

3.6.5 कंपनी विधि बोर्ड (सीएलबी) को परिपक्व जमा की गैर–अदायगी के किसी मामले का संज्ञान लेने और अधिनियम की धारा 58क(9) के तहत ऐसी जमा के अदायगी हेतु कंपनी को आदेश देने की शक्ति है। सीएलबी के आदेशों का पालन न करने पर तीन वर्ष तक की कैद और आर्थिक दंड हो सकता है।

3.6.6 दिनांक 01.04.2011 की स्थिति के अनुसार सीएलबी के पास अधिनियम की धारा 58क(9) के तहत 194 आवेदन लंबित थे। वर्ष 2011–12 के दौरान सीएलबी को 253 आवेदन प्राप्त हुए। कुल 447 आवेदनों में से वर्ष 2011–12 के दौरान 409 आवेदन निपटाए गए। दिनांक 01.04.2012 को विचारार्थ लंबित 38 आवेदनों के अतिरिक्त वर्तमान वर्ष में (दिनांक 31.12.2012 तक) 373 आवेदन प्राप्त हुए थे। कुल 411 आवेदनों में से उक्त अवधि के दौरान 31 आवेदन निपटाए गए और 31.12.2012 तक 380 आवेदन लंबित थे।

रिजर्व से लाभांश की अदायगी

3.7.1 यदि कोई कंपनी संगत वर्ष में पर्याप्त लाभ की कमी के कारण पिछले वर्षों के समेकित लाभ, जिसे पूर्व में रिजर्व में अंतरित कर दिया गया था, से लाभांश की घोषणा का प्रस्ताव करती है तो वह केन्द्र

सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया के तहत ही ऐसा कर सकती है। यदि कोई कंपनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं करती है तो उसे अधिनियम की धारा 205क(3) के तहत केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

3.7.2 दिनांक 01.04.2011 की स्थिति के अनुसार अधिनियम की धारा 205क(3) के तहत दो आवेदन केन्द्र सरकार के पास लंबित थे। वर्ष 2011–12 के दौरान केन्द्र सरकार को चार आवेदन प्राप्त हुए। कुल छः आवेदनों में से वर्ष 2011–12 के दौरान चार आवेदन निपटाए गए। दिनांक 01.04.2012 को विचारार्थ लंबित दो आवेदनों के अतिरिक्त वर्तमान वर्ष में (दिनांक 31.12.2012 तक) दो और आवेदन प्राप्त हुए। इन चार आवेदनों में से उक्त अवधि के दौरान दो आवेदन निपटाए गए और 31.12.2012 तक दो आवेदन लंबित थे।

मूल्य ह्रास की दर में परिवर्तन

3.7.3 अधिनियम की धारा 205 के तहत कंपनियां मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान के पश्चात् ही संगत वर्ष के लाभ या पिछले वर्षों के लाभ से लाभांश की अदायगी कर सकती हैं। यदि यह मूल्य ह्रास मूल लागत की 95% राशि को बट्टा खाते में डालने से संबंधित हो तो अधिनियम की धारा 205(2)(ग) के तहत केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है। दिनांक 01.04.2011 की स्थिति के अनुसार अधिनियम की धारा 205(2)(ग) के तहत आठ आवेदन लंबित थे। वर्ष 2011–12 के दौरान पांच आवेदन प्राप्त हुए। इन तेरह आवेदनों में से वर्ष 2011–12 के दौरान दस आवेदन निपटाए गए। दिनांक 01.04.2012 को विचारार्थ लंबित तीन आवेदनों के अतिरिक्त वर्तमान वर्ष में (दिनांक 31.12.2012 तक) पांच आवेदन प्राप्त हुए थे। इन आठ आवेदनों में से उक्त अवधि के दौरान चार आवेदन निपटाए गए और 31.12.2012 तक चार आवेदन लंबित थे।

सरकारी कंपनियों के मध्य समामेलन/ विलयन/व्यवस्थापन

3.7.4 दिनांक 01.04.2011 की स्थिति के अनुसार अधिनियम की धारा 391–394 के तहत पांच आवेदन लंबित थे। वर्ष 2011–12 के दौरान एक आवेदन प्राप्त हुआ। इन छः आवेदनों में से पांच आवेदनों पर विचार किया गया और निपटाया गया। दिनांक 01.04.2012 को विचारार्थ लंबित एक आवेदन के अतिरिक्त वर्तमान वर्ष के दौरान (दिनांक 31.12.2012 तक) दो और आवेदन प्राप्त हुए। दिनांक 31.12.2012 तक सभी तीन आवेदन लंबित थे।

सरकारी कंपनियों का समामेलन

3.7.5 दिनांक 01.04.2011 की स्थिति के अनुसार अधिनियम की धारा 396 के तहत दो आवेदन लंबित थे। वर्ष 2011–12 के दौरान दो आवेदन प्राप्त हुए। इन चार आवेदनों में से एक का निपटान किया गया। वर्तमान वर्ष में (दिनांक 31.12.2012 तक) कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। उक्त अवधि के दौरान सभी तीन आवेदन निपटाए गए और 31.12.2012 तक कोई आवेदन लंबित नहीं था।

शेयरपूंजी में कमी करना

3.7.6 दिनांक 01.04.2011 की स्थिति के अनुसार धारा 101 के तहत एक आवेदन लंबित था। वर्ष 2011–12 के दौरान एक और आवेदन प्राप्त हुआ। कुल दो मामलों में से दिनांक 31.12.2012 तक एक मामले पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया तथा दूसरा आवेदन लंबित था। दिनांक 01.04.2012 को विचारार्थ लंबित एक आवेदन के अतिरिक्त वर्तमान वर्ष में (दिनांक 31.12.2012 तक) एक और आवेदन प्राप्त हुआ। इन दो आवेदनों में से उक्त अवधि के दौरान एक आवेदन निपटाया गया और 31.12.2012 तक एक आवेदन लंबित था।

लाभ–हानि खाते में मात्रात्मक विवरण के प्रकटीकरण से छूट

3.7.7 दिनांक 01.04.2011 की स्थिति के अनुसार अधिनियम की धारा 211(4) के तहत तीन आवेदन लंबित थे। वर्ष 2011–12 के दौरान पांच आवेदन प्राप्त हुए। मंत्रालय ने अधिसूचना सा.आ. 301(अ) दिनांक 08.02.2011 द्वारा कंपनियों को सामान्य छूट दी थी जिसके मद्देनजर यदि कंपनियां अधिसूचना में दी गई शर्तों का पालन करें तो मंत्रालय का अनुमोदन आवश्यक नहीं है। कुल आठ आवेदनों में से तीन आवेदनों पर विचार किया गया और निपटाया गया। इस प्रकार, दिनांक 31.03.2012 को पांच आवेदन विचारार्थ लंबित थे। इन पांच लंबित आवेदनों के अतिरिक्त वर्तमान वर्ष में (दिनांक 31.12.2012 तक) सात आवेदन और प्राप्त हुए थे। उक्त अवधि के दौरान सभी बारह आवेदन निपटाए गए और 31.12.2012 तक कोई आवेदन लंबित नहीं था।

अनुषंगी कंपनियों के तुलन–पत्र संलग्न करने से छूट

3.7.8 दिनांक 01.04.2011 की स्थिति के अनुसार अधिनियम की धारा 212(8) के तहत तीन आवेदन लंबित थे। वर्ष 2011–12 के दौरान एक आवेदन प्राप्त हुआ। किन्तु, मंत्रालय ने परिपत्र संख्या 8/2011 दिनांक 08.02.2011 द्वारा कंपनियों को सामान्य छूट प्रदान की गई थी। इसके मद्देनजर यदि कंपनियां परिपत्र में दी गई शर्तों का पालन करें तो मंत्रालय का अनुमोदन आवश्यक नहीं है। कुल चार आवेदनों में से तीन पर विचार किया गया और निपटाया गया। दिनांक 31.03.2012 को एक आवेदन विचाराधीन और लंबित था। दिनांक 01.04.2012 को विचारार्थ लंबित एक आवेदन के अतिरिक्त वर्तमान वर्ष में (दिनांक 31.12.2012 तक) सात आवेदन और प्राप्त हुए थे। उक्त अवधि के दौरान सभी आठ आवेदन निपटाए गए और 31.12.2012 तक कोई आवेदन लंबित नहीं था।

एकल बिक्री एजेंट की नियुक्ति

3.8.1 अधिनियम की धारा 294कक(1) के तहत केन्द्र सरकार को यह घोषित करने की शक्ति है कि कोई कंपनी ऐसे उत्पाद के लिए जिसकी मांग उत्पादन या आपूर्ति की तुलना में काफी अधिक है की बिक्री के लिए बाजार बनाने हेतु किसी ''एकल बिक्री एजेंट'' की नियुक्ति नहीं करेगी। ऐसा प्रतिबंध मात्र ''थोक दवाएं, दवाएं एवं मिश्रणों'' के संबंध में दिनांक 16.07.2010 से तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी है।

3.8.2 अधिनियम की धारा 294कक की उपधाराए (2) एवं (3) के तहत जहां एकल बिक्री एजेंट या उनके संबंधियों के पास 5 लाख रुपए की प्रदत्त पूंजी या कंपनी की प्रदत्त पूंजी का 5 प्रतिशत, जो भी कम हो, और जहां कंपनी प्रदत्त पूंजी 50 लाख रुपए या उससे अधिक हो, वहां एकल बिक्री एजेंट की नियुक्ति हेतु केन्द्र सरकार का अनुमोदन आवश्यक है।

3.8.3 दिनांक 01.04.2011 की स्थिति के अनुसार अधिनियम की धारा 294कक की उपधाराए (2) एवं (3) के तहत केन्द्र सरकार के पास दो आवेदन लंबित थे। वर्ष 2011–12 के दौरान केन्द्र सरकार को पांच आवेदन प्राप्त हुए। इन सात आवेदनों में से वर्ष 2011–12 के दौरान चार आवेदन निपटाए गए। दिनांक 01.04.2012 को विचारार्थ लंबित तीन आवेदनों के अतिरिक्त, वर्तमान वर्ष के दौरान (दिनांक 31.12.2012 तक) चार और आवेदन प्राप्त हुए। उक्त अवधि के दौरान चार आवेदन निपटाए गए और दिनांक 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार तीन आवेदन लंबित थे।

ऋण के संबंध में गारंटी देने या प्रतिभूति उपलब्ध कराने वाले निदेशकों को ऋण

3.9.1 यदि कोई सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी या इसकी अनुषंगी अपने निदेशकों को, उनके संबंधियों

या फर्मों या निजी कंपनियों को, जिसमें उनका हित हो, ऋण अग्रिम देने या ऋण प्राप्त करने के लिए गारंटी या प्रतिभूति देने पर विचार कर रही है तो अधिनियम की धारा 295 के तहत केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन अनिवार्य है।

3.9.2 दिनांक 01.04.2011 की स्थिति के अनुसार अधिनियम की धारा 295 के तहत केन्द्र सरकार के पास 26 आवेदन लंबित थे। वर्ष 2011–12 के दौरान केन्द्र सरकार को 149 आवेदन प्राप्त हुए। इन 175 आवेदनों में से वर्ष 2011–12 के दौरान 74 आवेदन निपटाए गए। दिनांक 01.04.2012 को विचारार्थ लंबित 101 आवेदनों के अतिरिक्त, वर्तमान वर्ष के दौरान (दिनांक 31.12.2012 तक) 69 आवेदन और प्राप्त हुए। उक्त अवधि के दौरान 170 आवेदनों में से 92 आवेदन निपटाए गए और दिनांक 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार 78 आवेदन लंबित थे।

शेयरों के अधिग्रहण पर प्रतिबंध

3.10.1 समान प्रबंधन के अधीन किसी व्यक्ति, फर्म, किसी समूह के घटक, कारपोरेट निकाय या निकायों द्वारा या उन्हें प्रभुत्वपूर्ण बनने की स्थिति के संबंध में, धारा 108क के अंतर्गत शेयरों के हस्तांतरण/अधिग्रहण हेतु केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करनी होती है बशर्ते ऐसे अधिग्रहण अथवा शेयरों के अंतरण के परिणामस्वरूप एकाधिकार में कोई वृद्धि हो रही हो।

3.10.2 दिनांक 01.04.2011 की स्थिति के अनुसार अधिनियम की धारा 108क के तहत एक आवेदन केन्द्र सरकार के पास लंबित था। वर्ष 2011–12 के दौरान केन्द्र सरकार को कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ और एक मात्र लंबित आवेदन निपटाया गया। वर्तमान वर्ष के दौरान (दिनांक 31.12.2012 तक) कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ और इस प्रकार दिनांक 31.12.2012 तक कोई आवेदन लंबित नहीं था।

प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति

3.11.1 पब्लिक लिमिटेड कंपनी की अनुषंगी के रूप में, किसी भी पब्लिक लिमिटेड या प्राईवेट लिमिटेड कंपनी, को अपने प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्त करने और उन्हें पारिश्रमिक देने की अनुमति है सिवाय निम्नलिखित मामलों के, जहां उक्त नियुक्ति की शर्तों हेतु केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना होता हैं:

1) जहां कंपनी को घाटा/अपर्याप्त लाभ हो और प्रस्तावित पारिश्रमिक अनुसूची–XIII के तहत यथा विहित सीमा से अधिक हो।

2) लाभ प्राप्त करने वाली कंपनी की स्थिति में प्रस्तावित पारिश्रमिक एकमात्र प्रबंधकीय नियुक्ति के मामले में निवल लाभ के 5% से अधिक हो और एकाधिक नियुक्तियों के मामले में निवल लाभ के 10% से अधिक हो।

3) जहां कंपनी ऋणों (जनता के निक्षपों सहित) और उन पर ब्याज की अदायगी में चूक कर रही हो।

4) जहां कंपनी की कोई पारिश्रमिक समिति न हो।

5) जहां नियुक्त होने वाला व्यक्ति अप्रवासी भारतीय हो।

6) जहां गैर–कार्यकारी निदेशकों के मामले में अदा किया जाने वाला प्रस्तावित पारिश्रमिक कंपनी के निवल लाभ के 1% से अधिक हो जहां कोई प्रबंधकीय कार्मिक है और 3% से अधिक हो जहां कंपनी द्वारा नियुक्त कोई प्रबंधकीय कार्मिक नहीं है।

7) जहां कंपनी ने अधिनियम की अनुसूची–XIII के भाग–I में यथा विहित अधिनियम का उल्लंघन किया हो और प्रस्तावित प्रबंधकीय कार्मिक पर कोई दंड लगाया गया हो या संबंधित प्राधिकारी ने ऐसे उल्लंघन के लिए कोई अर्थदंड लगाया हो।

3.11.2 अधिनियम की धाराएं 259, 268, 269/अनुसूची–XIII, 309(1ख)/309(4)(5ख), 310 और 314(1ख) के तहत पब्लिक लिमिटेड कंपनियों और प्राईवेट लिमिटेड कंपनियों के लिए, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की अनुषंगी कंपनियां है, प्रबंध निदेशकों, पूर्णकालिक निदेशकों एवं प्रबंधकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक की अदायगी हेतु केन्द्र सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है।

3.11.3 दिनांक 01.04.2011 की स्थिति के अनुसार अधिनियम की धाराएं 259, 268, 269/अनुसूची–XIII, 309(1ख)/309(4)(5ख), 310 और 314(1ख) के तहत केन्द्र सरकार के पास 451 आवेदन लंबित थे। वर्ष 2011–12 के दौरान केन्द्र सरकार को 1,042 आवेदन प्राप्त हुए। इन 1493 आवेदनों में से वर्ष 2011–12 के दौरान 1019 आवेदन निपटाए गए। दिनांक 01.04.2012 को विचारार्थ लंबित 474 आवेदनों के अतिरिक्त, वर्तमान वर्ष के दौरान (दिनांक 31.12.2012 तक) 761 आवेदन और प्राप्त हुए। उक्त अवधि के दौरान 1235 आवेदनों में से 707 आवेदन निपटाए गए और दिनांक 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार 528 आवेदन लंबित थे।

3.11.4 बेहतर पारदर्शिता के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया को मंत्रालय की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन किया गया है। कंपनियां वेबसाइट पर अपने आवेदन की स्थिति भी देख सकती हैं। किन्तु यह पाया गया है कि आवेदनों में कई कमियों के कारण अनुमोदन प्रदान की प्रक्रिया में बहुत समय लगता है और अधिक संवाद करना पड़ता है।

धारा 637ख(ख) के तहत विलंब की माफी हेतु आवेदन

3.11.5 दिनांक 01.04.2011 की स्थिति के अनुसार अधिनियम की धारा 637ख(ख) के तहत केन्द्र सरकार के पास 28 आवेदन लंबित थे। वर्ष 2011–12 के दौरान केन्द्र सरकार को 311 आवेदन प्राप्त हुए। इन 339 आवेदनों में से वर्ष 2011–12 के दौरान 80 आवेदन निपटाए गए। दिनांक 01.04.2012 को विचारार्थ लंबित 259 आवेदनों के अतिरिक्त, वर्तमान वर्ष के दौरान (दिनांक 31.12.2012 तक) 233 आवेदन प्राप्त हुए। उक्त अवधि के दौरान 492 आवेदनों में से 353 आवेदन निपटाए गए और दिनांक 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार 139 आवेदन लंबित थे।

धारा 166 के तहत वार्षिक आम बैठक का स्थान परिवर्तन

3.12.1 अधिनियम की धारा 166(2) के तहत केन्द्र सरकार को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के स्थान से अन्यत्र स्थान पर वार्षिक आम बैठक करने हेतु अनुमोदन प्रदान करने का अधिकार है।

3.12.2 वर्ष 2011–12 के दौरान अधिनियम की धारा 166(2) के तहत 21 आवेदन केन्द्र सरकार को प्राप्त हुए और 2011–12 के दौरान सभी आवेदनों का निपटान किया गया। वर्तमान वर्ष के दौरान (दिनांक 31.12.2012 तक) चौबीस आवेदन प्राप्त हुए और सभी को सही पाया गया तथा अनुमोदित किया गया। 31.12.2012 को कोई आवेदन लंबित नहीं था।

धारा 297(1) के तहत संविदा प्रदान करने हेतु अनुमोदन की स्वीकृति

3.13.1 अधिनियम की धारा 297(1) के अंतर्गत न्यूनतम 1 करोड़ रुपए की प्रदत्त शेयर पूंजी वाली कंपनियों के लिए यह अनिवार्य है कि उनके (क) क्रय विक्रय अथवा वस्तुओं, सामग्रियों व सेवाओं की

आपूर्ति हेतु (ख) अथवा कंपनी के शेयर अथवा ऋण पत्रों का किसी निदेशक अथवा उसके संबंधी द्वारा अभिदत्त करना, जिसमें कंपनी के निदेशक अथवा उसके संबंधी भागीदार हों ऐसे किसी भी संविदा के संबंध में केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक है। अधिनियम की धारा 297(1) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान करने की शक्ति को दिनांक 19.08.1993 से क्षेत्रीय निदेशकों को सौंप दिया गया है। यह विकेन्द्रीकरण तथा शीघ्र निपटान के दोहरे प्रयोजन हेतु किया गया है।

3.13.2 दिनांक 01.04.2011 की स्थिति के अनुसार अधिनियम की धारा 297(1) के तहत क्षेत्रीय निदेशकों के पास 516 आवेदन लंबित थे। वर्ष 2011–12 के दौरान केन्द्र सरकार को 2,027 आवेदन प्राप्त हुए। इन 2,543 आवेदनों में से वर्ष 2011–12 के दौरान 2,020 आवेदन निपटाए गए। दिनांक 01.04.2012 को विचारार्थ लंबित 523 आवेदनों के अतिरिक्त, वर्तमान वर्ष के दौरान (दिनांक 31.12.2012 तक) 1,362 आवेदन और प्राप्त हुए। उक्त अवधि के दौरान कुल 1,885 आवेदनों में से 1,461 आवेदन निपटाए गए और दिनांक 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार 424 आवेदन लंबित थे।

कंपनी परिसमापन (शासकीय समापकों द्वारा)

3.14.1 दिनांक 01.04.2011 की स्थिति के अनुसार 6,031 कंपनियां परिसमापनाधीन थी। वर्ष 2011–12 के दौरान 371 कंपनियों के परिसमापन के आदेश दिए गए। कुल 6,402 मामलों में से 675 कंपनियों को अंतिम रूप से बंद किया गया और दिनांक 31.03.2012 को 5,727 कंपनियां परिसमापनाधीन थी। न्यायालयों द्वारा बंद किए जाने वाले 4,837 कंपनियों में से 319 कंपनियों को अंतिम रूप से बंद किया गया। उक्त अवधि के दौरान सदस्यों और लेनदारों द्वारा स्वैच्छिक रूप से बंद करने के अधीन कंपनियों की संख्या क्रमशः 1,511 और 98 थी जिनमें से सदस्यों की इच्छा से 397 कंपनियां अंतिम रूप से बंद की गई और लेनदारों की इच्छा से 21 कंपनियां अंतिम रूप से बंद की गई।

3.14.2 वर्तमान वर्ष के दौरान (दिनांक 31.12.2012 तक) 253 कंपनियों के परिसमापन हेतु आदेश दिए गए और पिछले वर्ष से 5,727 कंपनियां परिसमापन हेतु अग्रेनीत की गई। कुल 5,980 मामलों में से 256 कंपनियां अंतिम रूप से बंद की गई और दिनांक 31.12.2012 को 5,724 कंपनियां परिसमापनाधीन थी। न्यायालयों द्वारा बंद किए जाने वाले 4,721 कंपनियों में से 162 कंपनियों को अंतिम रूप से बंद किया गया। उक्त अवधि के दौरान सदस्यों और लेनदारों द्वारा स्वैच्छिक रूप से बंद करने के अधीन कंपनियों की संख्या क्रमशरू 1,174 और 85 थी जिनमें से सदस्यों की इच्छा से 94 कंपनियां अंतिम रूप से बंद की गई।

निरीक्षण एवं जांच

3.15.1 अधिनियम केन्द्र सरकार को कंपनी की लेखा–बहियों का निरीक्षण करने, विशेष लेखापरीक्षा का निदेश देने, कंपनी के कार्यों की जांच का आदेश देने तथा अधिनियम के उल्लंघन के लिए अभियोजन प्रारंभ करने की शक्ति प्रदान करता है। निरीक्षण एवं जांच निदेशालय के अधिकारियों तथा कंपनी रजिस्ट्रारों द्वारा कंपनी की लेखाबहियों तथा अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि क्या वे ऐसे गैर–कानूनी/धोखाधड़ी के व्यवहारों में संलिप्त हैं जो शेयरधारकों, जमाकर्ताओं, कर्मचारियों तथा अन्यों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। जहॉ कहीं भी निरीक्षण रिपोर्टों में किसी ऐसी सूचना का प्रकटन होता है जो अन्य विभागों अथवा एजेंसियों जैसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, प्रवर्तन निदेशालय, राज्य सरकार अथवा भविष्य निधि प्राधिकरणों से संबंधित हैं तो उस सूचना को उन तक पहुंचाया जाता है। यदि किसी निरीक्षण में प्रथम

दृष्टया धोखाधड़ी अथवा फरेब का मामला सामने आता है तो अधिनियम के प्रावधानों के तहत जांच कार्रवाई प्रारंभ की जाती है।

निरीक्षण

3.15.2 अधिनियम की धारा 209क कंपनी रजिस्ट्रारों अथवा केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों को कंपनियों की लेखाबहियों तथा अन्य रिकार्डों को निरीक्षण करने हेतु शक्ति प्रदान करती है। मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों को समय–समय पर इस धारा के तहत निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अन्य बातों के साथ–साथ यह पता लगाने हेतु निरीक्षण किया जाता है कि अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध कंपनी की निधि का अन्यत्र उपयोग, किया जा रहा है अथवा कंपनी प्रबंधन नें अपनी न्यासीय स्थिति का निजी लाभ के लिए दुरुपयोग किया है अथवाा कंपनी के कुप्रबंधन से हितधारकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है या पीडा पहुंच रही है अथवा ऐसे हितो के प्रतिकूल है जिससे कंपनी को बन्द कराना न्यायसंगत और साम्य हो और इस बात का तय करना कि क्या कंपनी द्वारा अधिनियमों के प्रावधानों का उल्लघन ऐसा है जो कानूनी कार्यवाही करने के लिए उसे उत्तरदायी बनाता हो।

3.15.3 लेखाबहियों के रखरखाव में कुप्रबंधन, शेयरों/ऋण पत्रों के अंतरण में विलंब, लाभांशों के भुगतान में विलंब, निक्षेप अथवा उसके ब्याज की गैर–अदायगी संबंधी शिकायतें मंत्रालय में अथवा उसके क्षेत्रीय कार्यालयों में प्राप्त होने पर तथा रजिस्ट्रार के कार्यालय में लेखापरीक्षकों द्वारा दस्तावेजों की संवीक्षा के दौरान उल्लंघन/अनियमितताएं पाए जाने पर और अन्य सरकारी विभागों/अभिकरणों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन अथवा अन्य अनियमितताएं इंगित किए जाने पर किसी भी कंपनी की लेखाबहियों के निरीक्षण के आदेश दिए जाते हैं।

3.15.4 वर्ष 2011–12 के दौरान मंत्रालय को अपने क्षेत्रीय कार्यालयों से 80 जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुए। वर्तमान वर्ष के दौरान (दिनांक 31.12.2012 तक) 81 जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुए।

अभियोजन

3.15.5 दिनांक 01.04.2011 की स्थिति के अनुसार 60258 अभियोजन मामले लंबित थे। वर्ष 2011–12 के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत विभिन्न न्यायालयों में 6,815 अभियोजन चलाए गए। इस अवधि के दौरान 17,123 अभियोजनों का निपटान किया गया। दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार लंबित मामलों की संख्या 49,950 थी।

3.15.6 वर्तमान वर्ष के दौरान (दिनांक 31.12.2012 तक) कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत विभिन्न न्यायालयों में 4,361 अभियोजन चलाए गए। इस अवधि के दौरान 5,196 अभियोजनों का निपटान किया गया। दिनांक 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार लंबित मामलों की संख्या 49,115 थी।

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय

3.16.1 गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय की स्थापना केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 02.07.2003 के संकल्प द्वारा किया गया था। एसएफआईओ एक बहु–विषयी जांच एजेंसी है जिसमें बैंकिंग, पूंजी बाजार, कंपनी कानून, कानून, फोरेंसिक लेखापरीक्षा, कराधान, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के विशेषज्ञ मिलकर कारपोरेट धोखाधडियों को सुलझाने का कार्य करते हैं। एसएफआईओ, अधिनियम की धाराएं 235 से 247 के प्रावधानों के अनुसार कार्य करता है।

3.16.2 जांच अधिकारियों के दल द्वारा रिपोर्ट दिए जाने के पश्चात् मंत्रालय द्वारा अभियोजनों की स्वीकृति दी जाती है। तत्पश्चात् एसएफआईओ द्वारा सक्षम न्यायालयों में अभियोजन दायर किए जाते हैं।

3.16.3 प्रारंभ से लेकर अब तक एसएफआईओ द्वारा 133 मामलों की जांच की गई हैं। दिनांक 01.04.2011 की स्थिति के अनुसार पिछले वर्ष में जांच के आदेश दिए हुए दो मामले एसएफआईओ में लंबित थे। वर्ष 2011–12 के दौरान 13 मामलों और वर्तमान वर्ष के दौरान (दिनांक 31.12.2012 तक) 42 मामलों में केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 235/237 के तहत अलग–अलग आदेशों के तहत जांच के आदेश दिए गए। कुल 133 मामलों में से एसएफआईओ ने दिनांक 31.12.2012 तक 100 मामलों में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है [(इसमें वर्ष 2011–12 में प्रस्तुत 20 और वर्तमान वर्ष में (दिनांक 31.12.2012 तक) प्रस्तुत 18 प्रतिवेदन शामिल है)]। न्यायालयों द्वारा पांच मामलों में या तो रोक लगाई गई है या उसे निरस्त कर दिया गया है। दिनांक 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार 28 मामले एसएफआईओ में जांचाधीन है।

3.16.4 दिनांक 01.04.2012 की स्थिति के अनुसार धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में 914 अभियोजन चलाए गए। वर्तमान वर्ष के दौरान (दिनांक 31.12.2012 तक) 74 अभियोजन चलाए गए और दिनांक 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार अभियोजनों की कुल संख्या 988 हो गई (इसमें कंपनी विधि के तहत अपराध के 878 और भारतीय दंड संहिता के तहत 110 मामले शामिल हैं)।

कंपनी विधि बोर्ड

3.17.1 कंपनी विधि बोर्ड एक स्वतंत्र अर्ध–न्यायिक निकाय है जिसका साम्यपूर्ण क्षेत्राधिकार है। अधिनियम की धारा 250, 269, 388ख के तहत आने वाले मामले प्रधान पीठ द्वारा देखे जाते हैं। जबकि अधिनियम के तहत अन्य मामले और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45थक के तहत मामले क्षेत्रीय पीठों द्वारा अपने भौगोलिक क्षेत्राधिकार के अनुसार निपटाए जाते हैं। कंपनी विधि बोर्ड के पास अपने आदेशों के प्रवर्तन की शक्ति है। कंपनी विधि बोर्ड के निर्णयों के विरूद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष कंपनियों की याचिकाएं

3.17.2 दिनांक 01.04.2011 की स्थिति के अनुसार कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष 2,664 आवेदन/मामले लंबित थे। वर्ष 2011–12 के दौरान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 13352 आवेदन/मामले दायर किए गए। 16016 आवेदन/मामलों में से सीएलबी ने 13606 आवेदन/मामले निपटाए और दिनांक 31.03.2012 को 2,410 आवेदन/मामले लंबित है। उक्त अवधि के दौरान सीएलबी को फाइलिंग शुल्क के रूप में 69,39,401/– रुपए प्राप्त हुए और इसी अवधि के दौरान प्राप्त शुल्कों का योग 3,47,85,596/–रुपए था।

3.17.3 वर्तमान वर्ष के दौरान (दिनांक 31.12.2012 तक) सीएलबी द्वारा अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 9,798 आवेदनों/मामलों पर विचार किया गया जिसमें से सीएलबी द्वारा 6,769 आवेदन/मामले निपटाए गए। उक्त अवधि के दौरान सीएलबी को फाइलिंग शुल्क के रूप में 42,91,219/– रुपए प्राप्त हुए और इसी अवधि के दौरान प्राप्त शुल्कों का योग 4,24,79,780/–रुपए था।

3.17.4 छोटे एवं जरूरतमंद जमाकर्ताओं, जिन्होंने कंपनियों के पास सावधि जमा में राशि जमा की है और इन कंपनियों ने उसे लौटाने में चूक की है, की दिक्कतों पर विचार करते हुए सीएलबी ने एक कठिनाई निवारण समिति का गठन किया है। कठिनाई निवारण समिति की बैठक सीएलबी, नई दिल्ली में आयोजित होती है जिसमें 8 कंपनियों के संबंध में कठिनाई के आधारों पर जमा की पुनः अदायगी के आवेदनों पर विचार किया जाता है। वर्ष 2011–12 के दौरान

1,311 जमाकर्ताओं के मध्य 1,45,04,800/– रुपए की राशि वितरित की गई। वर्तमान वर्ष में (दिनांक 31.12.2012 तक) 648 जमाकर्ताओं में 81,03,789/– रुपए की राशि वितरित की गई।

3.17.5 कंपनियों द्वारा अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दायर 2,410 आवेदन/याचिकाएं दिनांक 31.03.2012 तक लंबित थी और वर्तमान वर्ष में (दिनांक 31.12.2012 तक) कुल 7,388 आवेदन/याचिकाएं प्राप्त हुई। कुल 9,798 मामलों में से 6,769 मामले निपटाए गए। दिनांक 31.12.2012 तक सीएलबी में 3029 आवेदन/याचिकाएं लंबित थी।

लागत लेखा

3.18.1 लागत लेखांकन अभिलेख नियम कंपनियों द्वारा लागत अभिलेख के रखरखाव के तरीकों को विहित करता है। लागत अभिलेख कंपनियों को अपने निष्पादन में सुधार हेतु उनके अपने उपयोग के लिए लागत डाटाबेस रखने तथा प्रतिस्पर्धी वातावरण का सामना करने में सहायता प्रदान करता है। इन अभिलेखों का उपयोग मूल्य नियतन प्राधिकारियों, नियामक निकायों, डब्ल्यूटीओ कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण एजेंसियों, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, राजस्व प्राधिकारियों एवं अन्य संस्थानों जैसे विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा भी किया जाता है। वर्ष 2011–12 के दौरान सभी विद्यमान 44 लागत लेखांकन अभिलेख नियमों की जगह केन्द्र सरकार ने कंपनी (लागत लेखांकन अभिलेख) नियम, 2011 और विनियमित उद्योगों के लिए छः उद्योग विशिष्ट संशोधित लागत लेखांकन अभिलेख नियम अधिसूचित किया है।

3.18.2 नए अधिसूचित नियम उत्पादन, प्रोसेसिंग, विनिर्माण या खनन गतिविधियों में शामिल प्रत्येक कंपनी पर लागू होते है जिनके सन्निकट पूर्व वित्त वर्ष की अंतिम तिथि को नेट वर्थ का मूल्य पांच करोड़ रुपए से अधिक हो; या सन्निकट पूर्व वित्त वर्ष के दौरान सभी उत्पादों या गतिविधियों से टर्नओवर का कुल मूल्य बीस करोड़ रुपए से अधिक हो; या कंपनी के इक्विटी या ऋण प्रतिभूतियां भारत में या भारत के बाहर कहीं भी किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो या सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया में हो। ये नियम किसी विशेष अधिनियम द्वारा शासित कारपोरेट निकाय पर लागू नहीं होते हैं।

3.18.3 लागत लेखा रिपोर्ट नियम कंपनियों द्वारा लागत लेखा प्रतिवेदन जमा करने के तरीकों एवं प्रारूपों को विहित करता है। वर्ष 2011–12 के दौरान लागत लेखा रिपोर्ट नियम, 2001 को भी निरस्त किया गया और दिनांक 3 जून, 2011 को कंपनी (लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट) नियम, 2011 अधिसूचित किया गया है। ये नियम उन एकल कंपनियों पर लागू होंगे जिनके संबंध में अधिनियम की धारा 233ख(1) के तहत लागत लेखा आदेश जारी किए गए हैं।

3.18.4 कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 617(अ) दिनांक 07.08.2012 द्वारा कंपनी (आवेदनों पर शुल्क) नियम, 1999 को संशोधित किया और कंपनी द्वारा लागत लेखाकारों की नियुक्ति हेतु केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए ई–प्रपत्र 23ग दायर करने में विलंब के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाया। किन्तु, वर्तमान लागत लेखापरीक्षक की मृत्यु की स्थिति में लागत लेखापरीक्षक बदलने के मामले में कंपनियों को मृत्यु की तिथि से 90 दिनों के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के नया ई–प्रपत्र 23ग दायर करने की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या सा.आ. 1747(अ) दिनांक 07.08.2012 द्वारा सभी कंपनियों के लिए लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट और अनुपालन रिपोर्ट दायर करने हेतु कंपनियों के 'उत्पाद/गतिविधि समूह' का वर्गीकरण जारी किया है।

3.18.5 उत्पाद/गतिविधि समूह वर्गीकरण अधिसूचना के परिणामस्वरूप और लागत लेखापरीक्षा

लागू होने के संबंध में कंपनियों के मध्य भ्रम को हटाने के लिए तथा दिनांक 02.05.2011, 03.05.2011, 30.06.2011 और 24.01.2012 को जारी पूर्व आदेशों की जगह कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 06.11.2012 को एक संशोधित लागत लेखापरीक्षा आदेश जारी किया जिसमें लागत लेखापरीक्षा को अधिसूचित उत्पाद/गतिविधि समूह से जोड़ा गया है। ये आदेश दिनांक 01.01.2013 को या उससे पश्चात् प्रारंभ वित्त वर्ष से प्रभावी होंगे।

3.18.6 अनुमोदनों और प्रतिवेदनों की ऑन लाईन फाईलिंग के परिणाम स्वरूप प्रक्रिया में लगने वाले समय में (जिसमें आदेशों के संचार की औपचारिक्ता तथा छिद्रान्वेषण में खपत होने वाले समय शामिल है) काफी कमी आई है। वर्ष 2012 के दौरान कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने सभी पात्र कंपनियों द्वारा विस्तारणीय व्यवसाय रिपोर्टिंग भाषा (एक्सबीआरएल) मोड में लागत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और अनुपालन प्रतिवेदन दायर करना अनिवार्य कर दिया है। इस उद्देश्य हेतु सा.का.नि. 869(अ) दिनांक 30.11.2012 जारी किया गया है।

3.18.7 मंत्रालय ने लागत लेखाकारों की नियुक्ति के लिए वर्ष 2011–12 और वर्तमान वर्ष (31.12.2013 तक) के दौरान क्रमशः 2959 और 5416 आवेदन प्राप्त किये तथा सभी आवेदनो का निपटान किया। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने वर्ष 2011–12 के दौरान इलेक्ट्रानिक प्रारूप में 3080 लागत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त किये।

3.18.8 वर्ष 2011–12 के दौरान 216 लागत लेखा परीक्षा प्रतीवेदन विभिन्न प्रयोक्ता विभागों के साथ साझा किए गए जैसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का डंपिंगरोधी निदेशालय, प्रशुल्क आयोग, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, आदि। वर्तमान वर्ष में (31.12.2013 तक) साझा किये गए प्रतिवेदनों की संख्या 208 थी।

3.18.9 लागत लेखापरीक्षा आदेश से छूट भी कंपनी और/या इसकी विनिर्माण सुविधाओं के अस्थायी रूप से बंद होने, नगण्य उत्पादन/गतिविधि आदि की स्थिति में वर्ष–दर–वर्ष आधार पर दिए जाते हैं। वर्ष 2011–12 में मंत्रालय में 116 आवेदन प्राप्त हुए। वर्तमान वर्ष के दौरान (दिनांक 31.12.2012 तक) 11 आवेदन प्राप्त हुए और उन सभी पर कार्यवाही की गई।

निवेशक शिकायतों का निवारण

3.19.1 दिनांक 01.04.2011 की स्थिति के अनुसार एमसीए–21 पोर्टल के शिकायत मॉड्यूल से प्राप्त अग्रेनीत शिकायतों की संख्या 1,320 थी। वर्ष 2011–12 के दौरान 5,114 और शिकायतें प्राप्त हुई। एमसीए पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कुल 6434 शिकायतों में से 5,923 शिकायतों का निवारण किया गया और दिनांक 31.03.2012 को 511 शिकायतें लंबित थी। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय को सेबी, वित्त मंत्रालय आदि जैसी अन्य एजेंसियों से संबंधित 254 ऑफलाइन शिकायतें भी प्राप्त हुईं जिसमें अगली कार्यवाही हेतु ये शिकायतें इन एजेंसियों को अग्रेषित की गई।

3.19.2 एमसीए पोर्टल से प्राप्त 511 लंबित शिकायतों के अतिरिक्त वर्तमान वर्ष के दौरान (दिनांक 31.12.2012 तक) 3,437 शिकायतें प्राप्त हुई। एमसीए पोर्टल से प्राप्त कुल 3,948 शिकायतों में से 2,923 शिकायतों का निवारण किया गया और दिनांक 31.12.2012 को 1,025 शिकायतें लंबित थी। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय को सेबी, वित्त मंत्रालय आदि जैसी अन्य एजेंसियों से संबंधित 116 ऑफलाइन शिकायतें भी प्राप्त हुईं जिसमें अगली कार्यवाही हेतु ये शिकायतें इन एजेंसियों को अग्रेषित की गई।

कंपनी विधेयक, 2012 – सुविचारित विनियमन की ओर

3.20.1 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही गतिविधियों के मद्देनजर और भारत में कारपोरेट

विनियमन की संरचना के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से तथा सुविचारित विनियमन एवं अच्छे कारपोरेट शासन व्यवहारों द्वारा भारतीय कारपोरेट क्षेत्र के विकास के संवर्धन हेतु वर्तमान कंपनी अधिनियम, 1956 में व्यापक संशोधन का निर्णय लिया गया। इस प्रक्रिया में विभिन्न हितधारकों से परामर्श किया गया जैसे उद्योग मंडल व्यावसायिक संस्थान, सरकारी विभाग, विधि विशेषज्ञ एवं व्यावसायिक आदि। इसके पश्चात् नया कंपनी विधेयक जो वर्तमान कंपनी अधिनियम, 1956 का स्थान लेगा, लोक सभा में दिनांक 14.12.2011 को प्रस्तुत किया गया तथा उसे जांच एवं प्रतिवेदन हेतु माननीय वित्तीय स्थायी समिति को संदर्भित किया गया जिसमें दिनांक 13.08.2012 को संसद में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। समिति की अनुशंसाओं और संबंधित मंत्रालयों/विभागों से हुए परामर्श को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी विधेयक, 2011 में आधिकारिक संशोधन संसद में प्रस्तुत किए गए। लोक सभा ने दिनांक 18.12.2012 को कंपनी विधेयक, 2011 (आधिकारिक संशोधनों के साथ) पारित किया और इसे कंपनी विधेयक, 2012 नाम दिया गया है। इस विधेयक पर संसद के आगमी बजट–सत्र के दौरान राज्यसभा में विचार किए जाने की संभावना है। यह विधेयक मंत्रालय की वेबसाइट *www.mca.gov.in* पर उपलब्ध है। कंपनी विधेयक, 2012 की प्रमुख विशेषताएं **बॉक्स 3.1** में दी गई है।

3.20.2 29 अध्यायों में विस्तृत कंपनी विधेयक, 2012 में 470 खंड और 7 अनुसूचियां हैं जबकि वर्तमान कंपनी अधिनियम, 1956 में 658 धाराएं और 15 अनुसूचियां है। पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता (अध्याय–17); सरकारी कंपनियां (अध्याय–23); कंपनियों द्वारा सूचना या सांख्यिकी उपलब्ध कराना (अध्याय–25); निधि कंपनियां (अध्याय–26); राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण और अपीलीय अधिकरण (अध्याय–27); तथा विशेष न्यायालय (अध्याय–28) पर नए अध्याय शामिल किए गए है।

बॉक्स 3.1

कम्पनी विधेयक, 2012 की मुख्य विशेषताएं

(i) **ई–गवर्नेंसः–** कंपनियों द्वारा इलैक्ट्रॉनिक प्रारूप में दस्तावेजों को रखने और उनके निरीक्षण करने की अनुमति को पहली बार वैधानिक स्वीकृति देना।

(ii) निगम सामाजिक उत्तरदायित्व की संकल्पना एवं प्रकटन सन्नियम का सूत्रपात करना।

(iii) **कंपनियों पर बढ़े हुए उत्तरदायित्वः**

(क) स्वतंत्र निदेशकों की संकल्पना का सूत्रपात करना उनकी कार्यावधि और दायित्व, आदि की बाबत उपबंध। स्वतंत्र निदेशकों के लिए आचरण विधेयक की अनुसूची में उपबंधित किया गया है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को सुगम बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी निकाय/संस्थान द्वारा स्वतंत्र निदेशकों का डाटा बैंक रखे जाने का प्रस्ताव।

(ख) निदेशक मंडल (बोर्ड) की अन्य समितियों, जैसे लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति तथा पणधारी रिशतों के अतिरिक्त, निगम सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन का प्रस्ताव। निदेशक मंडल के कार्यकलाप में अधिक स्वतंत्रता लाने और अल्पसंख्यक शेयर धारकों के हितों के संरक्षण के लिए इन समितियों में स्वतंत्र निदेशक और कार्यकारी निदेशक का होना।

(ग) ''संप्रवर्तक'' की परिभाषा को कुछ मामलों में उसके दायित्व के साथ सम्मिलित किया जाना।

(घ) निगम व्यवहार में नैतिकता को बढावा देने के लिए कर्मचारियों को उनकी सत्यनिष्ठा के लिए पुरस्कृत करने के लिए, और विचलित आचरणों के संबंध में प्रबंधन को महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध कराने के लिए सतर्कता तंत्र (व्हिसल ब्लोइंग) की बाबत उपबंधों का प्रस्ताव होना।

(ङ) कंपनियों के किसी वर्ग के लिए समनुषंगियों के स्तरों की बाबत निर्बंधन विहित करने हेतु केन्द्रीय सरकार को अधिकार देना।

(च) कुछ मामलों में लेखाओं के पुनः खोले जाने के लिए नए प्रावधान और सुरक्षोपाय करना।

(iv) **अतिरिक्त प्रकटन सन्नियमः**

(क) जोखिम प्रबंध नीति, निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति जैसे नीतियों के विकास और कार्यान्वयन, निदेशक–मंडल और व्यष्टिक निदेशकों के कार्यपालन के औपचारिक मूल्यांकन की रीति का निदेशक–मंडल की रिपोर्ट में उल्लेख करना।

(ख) विदेशी समनुषंगियों के लेखाओं को रजिस्ट्रर के पास उन्हें फाइल करने के लिए संलग्न करना। विदेशी 'समनुषंगी' कंपनी के अंतर्गत समेकन के प्रयोजन के लिए ''सहयोगी'' और ''संयुक्त उद्यम'' को शामिल करना।

(ग) प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी संप्रवर्तकों और शीर्ष दस शेयर धारकों की शेयरधारण स्थिति में परिवर्तन के संबंध में रजिस्ट्रार के पास विवरणी फाइल करने को अनिवार्य करना।

(v) कंपनियों द्वारा पूंजी उगाहने को सुगम बनानाः

(क) निजी नियोजन के अन्तर्गत प्रतिभूतियों के अभिदाय के लिए प्रस्ताव या आमंत्रण हेतु उपबंधों को सुधार कर अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना।

(ख) कंपनियों को विभेदकारी मताधिकारों सहित शेयर जारी करने के लिए अनुमति देना।

(ग) कंपनियां, कुछ शर्तों के अधीन ऐसी योजना बना सकती हैं जिसके तहत उसके कर्मचारी शेयर खरीद कर सकते हैं। यदि ये कर्मचारी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं तो इसका ब्यौरा बोर्ड के रिपोर्ट में देना।

(vi) लेखा परीक्षकों के उत्तरदायित्वः

(क) लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षक फर्मों के चक्रानुक्रम का उपबंध।

(ख) लेखा परीक्षकों की भूमिका को स्वतंत्र, कठोर और अधिक जवाबदेह बनाना। लेखा परीक्षा के अतिरिक्त अन्य सेवाओं को लेने पर रोक लगाना।

(ग) लेखा और लेखा परीक्षा मानकों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु तथा अनुपालन से जुड़े सेवाओं की गुणवत्ता की निगरानी करने के आदेश के साथ लेखा और लेखा मानकों संबंधी राष्ट्रीय सलाहकार समिति को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) के रूप में पुनः नामित करना।

एनएफआरए द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों और अन्य मान्य अंतर्राष्ट्रीय लेखा और लेखा संबंधी नीतियों तथा मानकों को ध्यान में रखकर, केन्द्रीय सरकार को परामर्श देना, परिणाम स्वरूप भारतीय कंपनियों की अन्य कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धिता में सुधार लाना। व्यवसायिकों की सेवाओं पर स्वतंत्र निगरानी सुनिश्चित करने के लिए अर्द्धन्यायिक शक्तियों से भी प्राधिकरण को सशक्त किया जाना।

(घ) कंपनियों द्वारा कुछ निश्चित वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन के संबंध में लेखा अभिलेखों को अनिवार्य बनाया जाना तथा लेखा अभिलेख मानकों को अनिवार्य बनाना।

(ङ) कंपनियों के विहित वर्ग को बोर्ड की रिपोर्ट के साथ किसी कंपनी सचिव द्वारा दी गई सचिवालीय संपरीक्षा रिपोर्ट संलग्न करने की आवश्यकता होगी।

(vii) प्रबंधकीय पारिश्रमिकः

(क) विद्यमान पारिश्रमिक संबंधी सीमाओं (शुद्ध लाभ का 11%) यथावत रखना।

(ख) लाभ विहीन या अपर्याप्त लाभ वाली कंपनियों द्वारा निदेशकों का पारिश्रमिक नई अनुसूची के अनुसार संदेय बनाना। इसमें छूट प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन आवश्यक होना। विधेयक में पारिश्रमिक के लिए व्यष्टिक सीमाओं को बढ़ाया जाना। आवधिक फीस के संदाय की संकल्पना, (जिसके अंतर्गत निदेशकों की बैठक फीस भी होगी), विधेयक में सम्मिलित करना।

(ग) स्वतंत्र निदेशकों के लिए स्टाक विकल्प नहीं होना, किन्तु फीस और लाभ से जुड़ा कमीशन प्रदान करना।

(viii) विलयन/समामेलन को सुगम बनानाः

दो या अधिक लघु कंपनियों के बीच अथवा किसी वर्ग या वर्गों की कंपनियों के बीच नियंत्रणकारी कंपनियों और पूर्णतः स्वामित्वाधीन समनुषंगी (समनुषंगियों) के बीच समामेलन या विलयन की प्रक्रिया को सरल बनाना। समामेलन और विलयन द्वारा कंपनियों की पुर्नसंरचना को प्रभावी बनाना तथा अर्थव्यवस्था में वृद्धि को गति प्रदान करना। अन्य कंपनियों के लिए ऐसे विषयों का एनसीएलटी का अनुमोदन आवश्यक होना।

(ix) अल्पसंख्यक शेयर धारकों के लिए संरक्षणः

(क) लोक निर्गम के उद्देश्य में परिवर्तण की स्थिति में असहमति होने पर शेयर धारकों के लिए निकास का विकल्प।

(ख) लेनदारों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों, संप्रवर्तकों और गैर–संप्रवर्तक शेयर धारकों के बीच समामेलन के प्रभाव से संबंधित विनिर्दिष्ट प्रकटन करना। समामेलन या विलयन से असहमत शेयर धारकों को निर्गम प्रस्थापना का उपबंध करने के लिए एनसीएलटी को सशक्त बनाना।

(ग) लघु शेयर धारकों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक निदेशक बोर्ड में होना।

(x) विनिधानकर्ता संरक्षणः

(क) जनसाधारण से निक्षेप प्राप्त करने के नियम को अधिक कठोर बनाना।

(ख) कुछ वर्ग की कंपनियों में प्रॉक्सियों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगााना।

(ग) प्रॉक्सियों द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों/शेयरों को सीमित करना।

(घ) वर्गीय कार्यवाहियों के लिए व्यक्तियों कि न्यूनतम संख्या निश्चित करना और इसके दुरूपयोग से दूर रखना।

(xi) गंभीर धोखाधड़ी जॉच कार्यालय

(क) गंभीर धोखाधड़ी जॉच कार्यालय को वैधानिक दर्जा देना।

(ख) न्यायालय में फाइल की गई एसएफआईओ की जॉच रिर्पोट को आरोप निर्धारण हेतु पुलिस रिपोर्ट मानना।

(ग) धोखाधड़ी को परिभाषित करना। धोखाधड़ी से संबंधित अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान। अपराध संज्ञेय होना तथा जमानत की प्रक्रिया को कठोर बनाना।

(घ) एसएफआईओ धोखाधड़ी के मामलों में गिरफ्तारी का अधिकार देना।

(xii) महिला निदेशकः विहित वर्ग या वर्गों की कंपनियों में अनिवार्य रूप से कम से कम एक महिला निदेशक का होना।

(xiii) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी): एनसीएलटी की संरचना और गठन के संबंध में 11 मई, 2010 को उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप, सदस्यों की अर्हता और अनुभव आदि से संबंधित उपबंध बनाना। अधिकरण के निर्णय के विरूद्ध अपीलें, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण में होना।

(xiv) मध्यस्थता और सुलह पैनलः केन्द्रीय सरकार या अधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही के दौरान पक्षकारों के बीच मध्यस्थता और सुलह को सुगम बनाने के लिए ''मध्यस्थता और सुलह पैनल'' बनाना और उसे यथावत् रखना।

(xv) छूट देने की शक्तिः लोक हित में कंपनियों के किसी वर्ग या वर्गों के लिए अधिनियम के उपबंधों से छूट देने/उन्हें उपांतरित करने की शक्ति केन्द्रीय सरकार को देना। तत्संबंधी अधिसूचना तीस दिन की अवधि के लिए प्रारूप के रूप में संसद में रखना।

नवाचारी विशेषताएं

- ''एक व्यक्ति कंपनी'' की संकल्पना।
- बढ़ी हुई जवावदेही हेतु ''प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक'' की संकल्पना।
- प्रवर्तकों/निदेशकों द्वारा कंपनी के निगमन के समय विस्तृत प्रकटीकरण करना। लुप्त प्राय कंपनियों की प्रथा पर नियंत्रण रखना।
- ''लाभ रहित कंपनी'' को सामान्य कंपनी में संपरिवर्तित करना।
- कंपनियों के वार्षिक विवरणी में अधिक प्रकटीकरण करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा नियम बनाना। समय–समय पर शेयरधारकों के बीच स्वामित्व परिवर्तन आदि के संबंध में प्रकटीकरण द्वारा जानकारी उपलब्ध करना।
- चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक के कार्यालयों को अलग–अलग करना।
- लेखापरीक्षकों की पाँच वर्ष के लिए नियुक्ति तथा प्रत्येक वार्षिक आम बैठक में सदस्यों का अनुमोदन आवश्यक बनाना।
- किसी एक व्यक्ति का 20 से ज्यादा कंपनियों में लेखापरीक्षक नियुक्त नहीं होना।
- लेखांकन मानकों एवं लेखापरीक्षा मानकों दोनों को मान्यता।

- कंपनी के लेखापरीक्षक द्वारा धोखाधड़ी की स्थिति में, लेखापरीक्षक में परिवर्तन के आदेश देने की शक्ति राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण में निहित।
- बीस से अधिक कंपनियों में, जिसमें पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की संख्या 10 से अधिक नहीं होगी, किसी भी व्यक्ति का निदेशक नहीं रहना।
- ''संबंधित पक्ष लेन–देन'' अर्थात् कंपनी और निदेशकों या निदेशकों के संबंधियों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों आदि या सहयोगी कंपनी के बीच लेन–देन को विनियमित किया जाना।
- प्रभावी प्रवर्तनः
  - गलत तरीके से प्राप्त धन को वापस लेने का प्रावधान।
  - जांच आदि के संबंध में सहायता हेतु केन्द्र सरकार द्वारा विदेशी सरकारों के साथ सहमति बनाना।
  - केन्द्र सरकार लोकहित में स्वतः स्फूर्त जांच आदेश देने को सशक्त।
  - न्यायालय के अनुमोदन के बिना निरीक्षक को दस्तावेज की जांच करने और उसे जब्त करने का अधिकार।
  - जांच के दौरान एनसीएलटी की सहमति से परिसंपत्तियों के लेन देन पर रोक।
  - केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधिकारीयों द्वारा जांच कर रहे निरीक्षक की सहायता।
- केन्द्र सरकार को, कुप्रबंधन तथा दमन की स्थितियों में सार्वजनिक हित में अल्पसंख्यक शेयरधारकों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु एनसीएलटी के समक्ष आवेदन करने का अधिकार।
- उचित मूल्यांकन हेतु व्यावसायिक मूल्यांकनकर्ता का प्रारंभ।
- बीमार कंपनियों का पुनरुद्धार एवं पुनर्वास।
- परिसमापन प्रक्रिया में पहली बार निजी व्यावसायिक परिसमापक को मान्यता।
- पुनर्वास एवं दिवालिया निधि।
- परिसमाप्त कंपनियों के कामगारों को अधिमान अदायगी।
- अपराधों पर न्याय–निर्णय हेतु विशेष न्यायालय का गठन।
- अर्थदंड लगाने हेतु इन–हाउस तंत्र (कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा) का प्रस्ताव। न्यायालयों पर भार में कमी।
- निष्क्रिय कंपनियों के लिए न्यूनतम अनुपालन अपेक्षाओं की सुविधा हेतु और लुप्त कंपनियों पर नजर रखने के लिए निष्क्रिय कंपनी की संकल्पना।
- एनसीएलटी के गठन पर कंपनी विधि बोर्ड का विघटन।

वर्ष 2011–12 के दौरा जारी अधिसूचनाएँ

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	दिनांक	विषय
1.	सा.का.नि. 303(अ)	06.04.2011	निदेशकों के संबंधी (कार्यालय अथवा लाभ का स्थान) नियम, 2003 में संशोधन।
2.	सा.का.नि. 304(अ)	06.04.2011	कंपनी विनियमन, 1956 में संशोधन।
3.	सा.का.नि. 326(अ)	08.04.2011	दिनांक 31 अगस्त, 2006 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.517(अ) में संशोधन।
4.	सा.का.नि. 351(अ)	29.04.2011	कंपनी (केन्द्र सरकार) सामान्य नियम एवं प्रपत्र (संशोधन) नियम, 2011।
5.	सा.का.नि. 357(अ)	02.05.2011	निदेशकों के संबंधी (कार्यालय अथवा लाभ का स्थान) नियम, 2011।
6.	सा.का.नि. 368(अ)	09.05.2011	कंपनी (संशोधन) विनियम, 2011।
7.	सा.का.नि.378(अ)	11.05.2011	लेखांकन मानक –11 को 31.03.2011 तक विस्तार दिया गया।
8.	सा.आ. 1152(अ)	23.05.2011	कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 226(3)(क) के सीमित प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार ने एलएलपी को एक कारपोरेट निकाय निर्दिष्ट किया।
9.	सा.का.नि.396(अ)	23.05.2011	अधिनियम की अनुसूची– XIII में संशोधन।
10.	सा.का.नि.407(अ)	26.05.2011	कंपनी (केन्द्र सरकार) सामान्य नियम तथा प्रपत्र (द्वितीय संशोधन), 2011 – नया प्रपत्र संख्या 23घ प्रतिस्थापित किया गया जो 29.05.2011 से लागू हुआ।
11.	सा.का.नि.408(अ)	26.05.2011	कंपनी (केन्द्र सरकार) सामान्य नियम तथा प्रपत्र (संशोधन) नियम, 2011 दिनांक 29 मई, 2011 (प्रपत्र संख्या 8 और 17 प्रतिस्थापित किए गए)।
12.	सा.का.नि.419(अ)	30.05.2011	कंपनी (डाक मत पत्र द्वारा संकल्प पारित करना) नियम, 2011।
13.	सा.का.नि.427(अ)	02.06.2011	कंपनी निदेशक पहचान संख्या (द्वितीय संशोधन) नियम, 2011।
14.	सा.आ. 1355(अ)	10.06.2011	दिनांक 8 मई, 1978 की अधिसूचना संख्या सा.आ.1329(अ) में संशोधन और 14.01.2009 के सा.आ. 143(अ) द्वारा पिछला संशोधित।
15.	सा.का.नि. 453(अ)	14.06.2011	6 प्रादेशिक निदेशकों से संबंधित कंपनी (संशोधन) विनियम, 2011।
16.	सा.का.नि. 506(अ)	05.07.2011	सीमित देयता भागीदारी नियम (संशोधन) नियम, 2011।
17.	सा.का.नि. 507(अ)	05.07.2011	कंपनी निदेशक पहचान संख्या (तृतीत संशोधन) नियम, 2011।
18.	सा.का.नि. 514(अ)	07.07.2011	कंपनी (केन्द्र सरकार) सामान्य नियम तथा प्रपत्र (संशोधन) नियम, 2011 – (नियम 10ग संशोधित)।
19.	सा.का.नि. 533(अ)	14.07.2011	कंपनी (केन्द्र सरकार) सामान्य नियम तथा प्रपत्र (संशोधन) नियम, 2011।
20.	सा.का.नि. 534(अ)	14.07.2011	अधिनियम की अनुसूची– XIII में संशोधन।
21.	सा.का.नि. 618(अ)	11.08.2011	कंपनी (केन्द्र सरकार) सामान्य नियम तथा प्रपत्र (संशोधन) नियम, 2011।

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	दिनांक	विषय
22.	सा.का.नि.(अ)	22.09.2011	कंपनी (संशोधन) विनियम, 2011 – विनियम 17 संशोधित।
23.	सा.का.नि.716(अ)	23.09.2011	कंपनी (केन्द्र सरकार) सामान्य नियम तथा प्रपत्र (संशोधन) नियम, 2011।
24.	सा.का.नि. 749(अ)	05.10.2011	कंपनी (केन्द्र सरकार) सामान्य नियम तथा प्रपत्र (संशोधन) नियम, 2011।
25.	सा.आ. 2569(अ)	13.11.2011	कंपनी रजिस्ट्रार–सह–शासकीय समापक कार्यालयों की स्थापना।
26.	सा.का.नि. 880(अ)	14.12.2011	अनुसूची–XIV में संशोधन।
27.	सा.का.नि. 879(अ)	14.12.2011	असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियां (अधिमान आबंटन) नियम, 2011।
28.	सा.का.नि. 887(अ)	16.12.2011	कंपनी (संशोधन) विनियम, 2011 प्रादेशिक निदेशक कार्यालयों को संबंधित क्षेत्रों के लिए निर्दिष्ट किया गया।
29.	सा.का.नि. 913(अ)	29.12.2011	कंपनी (लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2011 लेखांकन मानक – 11 में पैरा 46 के कार्यान्वयन की तारीख ''31 मार्च, 2020'' तक बढ़ाई गई।
30.	सा.का.नि. 914(अ)	29.12.2011	लेखांकन मानक 11 में पैरा 46क अंतर्विष्ट करना।

वर्तमान वर्ष (दिनांक 31.12.2012 तक) के दौरान जारी अधिसूचनाएँ

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	दिनांक	विषय
1.	सा.आ.733(अ)	04.04.2012	कंपनी (केन्द्र सरकार के) सामान्य नियम और प्रपत्र, 1956, सहायक आयकर आयुक्त को अधिनियम की धारा 108(1क)(क) के प्रयोजनार्थ विहित प्राधिकारी नियुक्त किया गया।
2	सा.आ.804(अ)	11.04.2012	लेखांकन मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया।
3.	सा.का.नि.298(अ)	17.04.2012	बनाओं, चलाओं और हस्तांतरित करोंय बनाओं स्वामित्व रखो, चलाओं और हस्तांतरित करो या सार्वजनिक निजी भागीदारी के किसी अन्य रूप में बनाए गए किसी अमूर्त संपत्ति हेतु अनुसूची–XIV संशोधित।
4.	सा.का.नि.395(अ)	28.05.2012	कंपनी (निदेशक पहचान संख्या) संशोधन नियम, 2012– अधिसूचना सं. सा.का.नि. 352(अ) दिनांक 10.05.2012 का स्पष्टीकरण।
5.	सा.का.नि.411(अ)	31.05.2012	कंपनी (केन्द्र सरकार) सामान्य नियम एवं प्रपत्र (संशोधन) नियम, 2012।
6.	सा.का.नि.429(अ)	05.06.2012	कंपनी निदेशक पहचान संख्या (द्वितीय संशोधन) नियम, 2012।
7	सा.का.नि.430(अ)	05.06.2012	सीमित देयता भागीदारी (संशोधन) नियम, 2012।
8.	सा.का.नि.485(अ)	21.06.2012	दिनांक 05.06.2012 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.430(अ) से संबंधित शुद्धि–पत्र।
9.	सा.आ.1538(अ)	10.07.2012	केन्द्र सरकार की कुछ शक्तियां कंपनी रजिस्ट्रार को प्रत्यायोजित करना।

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	दिनांक	विषय
10.	सा.आ.1539(अ)	10.07.2012	केन्द्र सरकार की कुछ शक्तियां प्रादेशिक नेदशक को प्रत्यायोजित करना।
11.	सा.आ.1540(अ)	10.07.2012	कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2002 की कुछ धाराएं अधिसूचित करना।
12.	सा.का.नि.547(अ)	10.07.2012	कंपनी विधि बोर्ड (आवेदन एवं याचिकाओं पर शुल्क) (संशोधन) नियम, 2012।
13.	सा.का.नि.548(अ)	10.07.2012	कंपनी (केन्द्र सरकार) सामान्य नियम एवं परिपत्र (संशोधन) नियम, 2012 – नया प्रपत्र 24ककक।
14.	सा.का.नि.549(अ)	10.07.2012	सीमित देयता भागीदारी धारा 51, 63–65 अधिसूचनाएं।
15	सा.का.नि.550(अ)	10.07.2012	सीमित देयता भागीदारी (बंद करना तथा विघटन) नियम, 2012।
16.	सा.का.नि.577(अ)	19.07.2012	कंपनी (केन्द्र सरकार) सामान्य नियम एवं प्रपत्र (चौथा संशोधन) नियम, 2012 – प्रपत्र 8, 10 एवं 17।
17.	सा.का.नि.588(अ)	26.07.2012	कंपनी (केन्द्र सरकार) सामान्य नियम एवं परिपत्र (पांचवां संशोधन) नियम, 2012 – (प्रपत्र 21 एवं 23)।
18	सा.का.नि.664(अ)	03.09.2012	दिनांक 23.09.2011 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 715(अ) में संशोधन।
19.	सा.का.नि.692(अ)	14.09.2012	सीमित देयता भागीदारी (द्वितीय संशोधन) नियम, 2012।
20.	सा.का.नि.705(अ)	21.09.2012	कंपनी (केन्द्र सरकार) सामान्य नियम एवं परिपत्र (छठा संशोधन) नियम, 2012 – प्रपत्र 23कग और 23 कगक।
21.	सा.का.नि.736(अ)	01.10.2012	कंपनी (भारतीय जमा रसीद जारी करना) संशोधन नियम, 2012।
22.	सा.आ.2345(अ)	01.10.2012	दिनांक 17.01.1957 की अधिसूचना संख्या सा.नि.आ. 355 में संशोधन।
23.	सा.का.नि.750(अ)	05.10.2012	कंपनी (केन्द्र सरकार) छठा संशोधन नियम, 2012 का शुद्धि–पत्र।
24.	सा.का.नि.(अ)	12.10.2012	कंपनी (विस्तारणीय व्यवसाय रिपोर्टिंग भाषा में दस्तावेज एवं प्रपत्र दायर करना) संशोधन नियम, 2012।
25.	सा.का.नि.763(अ)	15.10.2012	कंपनी विनियमन में संशोधन और प्रादेशिक निदेशक उत्तर–पश्चिम क्षेत्र बनाया गया।
26.	सा.आ. 2500(अ)	15.10.2012	एनएसीएएस संविधान में संशोधन।
27.	सा.आ. 2977(अ)	21.12.2012	एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को मान्यता।
28.	सा.आ. 2978(अ)	21.12.2012	धारा 388ख, 388ग, 388ङ के तहत शक्तियां आरबीआई (बैंकिंग विनियमन अधिनियम) को प्रत्यायोजित करना।
29.	सा.का.नि. (अ)	24.12.2012	कंपनी (केन्द्र सरकार) सामान्य नियम एवं प्रपत्र (सातवां संशोधन) नियम, 2012।

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	दिनांक	विषय
30.	सा.का.नि. (अ)	24.12.2012	कंपनी निदेशक पहचान संख्या (तृतीय संशोधन) नियम, 2012 – डीआईएन4।
31.	सा.का.नि. (अ)	24.12.2012	कंपनी निदेशक पहचान संख्या (तृतीय संशोधन) नियम, 2012 – डीआईएन1।

वर्ष 2011–12 के दौरान जारी सामान्य परिपत्र

क्र.सं.	परिपत्र संख्या	दिनांक	विषय
1.	11/2011	07.04.2011	कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) का आबंटन ।
2.	12/2011	07.04.2011	सरल निकासी योजना (ईईएस) से संबंधित स्पष्टीकरण ।
3.	13/2011	08.04.2011	कंपनी संशोधन अधिनियम की अधिसूचना।
4.	14/2011	08.04.2011	व्यवसायरत पेशेवरों द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत ई–फॉर्मो का प्रमाणीकरण ।
5.	15/2011	11.04.2011	कंपनियों द्वारा लागत लेखापरीक्षक की नियुक्ति।
6.	17/2011	21.04.2011	कारपोरेट क्षेत्र में ग्रीन पहल – डाक प्रमाण–पत्र (यूपीसी) के स्थान पर ई–मोड द्वारा दस्तावेज भेजने के संबंध में स्पष्टीकरण।
7.	18/2011	29.04.2011	कारपोरेट शासन में ग्रीन पहल – कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 219 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के सदस्यों को तुलन–पत्र और लेखापरीक्षक रिपोर्ट की प्रतियां इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजने से संबंधित स्पष्टीकरण।
8.	19/2011	02.05.2011	एमसीए–21 प्रणाली के अंतर्गत कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा प्रबंधन विवाद वाली कंपनी को चिह्नित करना।
9.	20/2011	02.05.2011	ई–प्रपत्र संख्या–32 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 303(2) के अनुसरण में कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति के विवरण आदि और उसमें परिवर्तन के संबंध में कंपनी रजिस्ट्रार को सूचित करना – भाग लेने वाली पार्टियों द्वारा विवादित रिटर्न दाखिल करना।
10.	21/2011	02.05.2011	कारपोरेट शासन में ग्रीन पहल – कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक मंच उपलब्ध कराने हेतु एजेंसी की नियुक्ति के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय का अनुमोदन।
11.	23/2011	03.05.2011	कंपनी (कर्मचारियों का विवरण) संशोधन नियम, 2011 की प्रभावी तारीख से संबंधित स्पष्टीकरण।
12.	25/2011	12.05.2011	दिनांक 31.03.2011 के परिपत्र संख्या 09/2011 का शुद्धि पत्र।

क्र.सं.	परिपत्र संख्या	दिनांक	विषय
13.	26/2011	18.05.2011	व्यवसायरत पेशेवरों द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत ई–फॉर्मों का प्रमाणीकरण।
14.	27/2011	20.05.2011	कारपोरेट शासन में ग्रीन पहल – कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत आम बैठकों में शेयरधारकों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सहभागिता।
15.	28/2011	20.05.2011	कारपोरेट शासन में ग्रीन पहल – कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत बोर्ड/निदेशक समिति की बैठकों में निदेशकों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सहभागिता।
16.	29/2011	20.05.2011	कारपोरेट शासन में ग्रीन पहल – डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा प्रमाण–पत्र जारी करना।
17.	30क/2011	26.05.2011	कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 226(3)(क) के प्रयोजनार्थ ''कारपोरेट निकाय'' संबंधी स्पष्टीकरण।
18.	32/2011	31.05.2011	कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निदेशक पहचान संख्या का आबंटन।
19.	33/2011	01.06.2011	कंपनी अधिनियम, 1956 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का अनुपालन।
20.	34/2011	02.06.2011	कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4क के अंतर्गत वित्तीय संस्थान को पब्लिक वित्तीय संस्थान घोषित करने के लिए दिशा–निर्देश।
21.	35/2011	06.06.2011	कारपोरेट शासन में ग्रीन पहल – कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत बैठकों में शेयरधारकों अथवा निदेशकों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सहभागिता।
22.	36/2011	07.06.2011	कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत निष्क्रिय कंपनियों के लिए फास्ट ट्रेक एक्जिट मोड हेतु दिशा–निर्देश।
23.	37/2011	07.06.2011	विस्तारणीय व्यापार रिपोर्टिंग भाषा (एक्सबीआरएल) मोड में तुलन–पत्र और लाभ एवं हानि विवरण दाखिल करना।
24.	38/2011	20.06.2011	कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन संबंधी दिनांक 01.06.2011 के परिपत्र संख्या 33/2011 पर स्पष्टीकरण।
25.	39/2011	21.06.2011	कारपोरेट शासन में ग्रीन पहल – डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा प्रमाण–पत्र जारी करना।
26.	41/2011	06.07.2011	परिसमापनाधीन कंपनियों के संबंध में आयकर रिटर्न की ई–फाइलिंग।

क्र.सं.	परिपत्र संख्या	दिनांक	विषय
27.	44 / 2011	08.07.2011	कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत जारी निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) का सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत जारी नामित भागीदारी पहचान संख्या (डीपीआईएन) के साथ एकीकरण।
28.	45 / 2011	08.07.2011	नाम उपलब्धता से संबंधित दिशा–निर्देश, 2011।
29.	46 / 2011	14.07.2011	लाभरहित अथवा अपर्याप्त लाभ वाली कंपनियों द्वारा व्यावसायिक प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक का भुगतान करने के लिए केन्द्र सरकार के अनुमोदन का प्रावधान हटाना।
30.	47 / 2011	14.07.2011	निदेशकों के अभियोजन ।
31.	48 / 2011	22.07.2011	नाम उपलब्धता के दिशा–निर्देश, 2011।
32.	49 / 2011	23.07.2011	24 घंटे के अंदर कंपनियों का ऑन–लाइन निगमन।
33.	50 / 2011	25.07.2011	कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 17 के अंतर्गत पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से अन्य राज्य में स्थानांतरित करने की पुष्टि प्राप्त करने हेतु सरलीकृत प्रक्रिया।
34.	51 / 2011	25.07.2011	कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 141 के अंतर्गत प्रभार रजिस्ट्रार में सुधार के लिए सरलीकृत प्रक्रिया।
35.	52 / 2011	25.07.2011	कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 297 के अंतर्गत केन्द्र सरकार का ऑन–लाइन अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सरलीकृत प्रकिया।
36.	59 / 2011	05.08.2011	कंपनी विधि निपटारा योजना, 2011।
37.	60 / 2011	10.08.2011	कंपनी विधि निपटारा योजना, 2011 का शुद्धि पत्र।
38.	61 / 2011	05.09.2011	24 घंटे के अंदर कंपनियों का ऑन–लाइन निगमन।
39.	62 / 2011	05.09.2011	संशोधित अनुसूची–VI पर दिनांक 28.02.2011 की अधिसूचना संख्या सा.आ.447(अ) पर स्पष्टीकरण (दिनांक 01.04.2011 से प्रभावी)।
40.	63 / 2011	06.09.2011	कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का अनुपालन।
41.	64 / 2011	20.09.2011	कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का अनुपालन (शुद्धि पत्र)।
42.	65 / 2011	04.10.2011	कंपनी विधि निपटारा योजना, 2011 ।
43.	66 / 2011	04.10.2011	कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) का आबंटन।

क्र.सं.	परिपत्र संख्या	दिनांक	विषय
44.	फा.सं. 17/165/2011–सीएल–V (पार्ट)	10.10.2011	वास्तुक् का कार्य करने के उद्देश्य से कंपनियों और एलएलपी का पंजीकरण।
45.	70/2011	15.12.2011	कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) का आबंटन।
46.	71/2011	15.12.2011	कंपनी विधि निपटारा, 2011 ।
47.	72/2011	27.12.2011	कारपोरेट शासन में ग्रीन पहल – कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत बैठकों में शेयरधारकों अथवा निदेशकों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मोड से सहभागिता – ई–वोटिंग के संबंध में प्रमाणीकरण से संबंधित स्पष्टीकरण।
48.	1/2012	10.02.2012	भाग लेने वाली पार्टियों द्वारा विवादित रिटर्न दाखिल करना – स्पष्टीकरण संबंधी।
49.	2/2012	01.03.2012	कंपनियों अथवा एलएलपी का पंजीकरण जिनका एक उद्देश्य चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत लेखाकार, वास्तुक, कंपनी सचिव आदि का व्यवसाय करना है।
50.	3/2012	07.03.2012	कारपोरेट शासन पर एक नीति दस्तावेज तैयार करने के लिए समिति का गठन।
51.	4/2012	09.03.2012	कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) का आबंटन।
52.	5/2012	19.03.2012	कारपोरेट शासन पर एक नीति दस्तावेज तैयार करने के लिए समिति का गठन।
53.	6/2012	21.03.2012	कारपोरेट शासन पर एक नीति दस्तावेज तैयार करने के लिए समिति का गठन।

वर्ष के दौरान (31.12.2012 तक) जारी सामान्य परिपत्र

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	दिनांक	विषय
1.	7/2012	25.04.2012	नाम उपलब्धता दिशा–निर्देश, 2011।
2.	9/2012	15.05.2012	कंपनी अधिनियम, 1956 और उसके अधीन निर्मित नियमों के प्रावधानों का अनुपालन।
3.	10/2012	21.05.2012	अधिनियम की धारा 4क के तहत किसी वित्तीय संस्थान को सार्वजनिक वित्तीय संस्थान घोषित करने हेतु मार्ग–निर्देश।
4.	13/2012	06.06.2012	सीमित देयता भागीदारियों द्वारा वार्षिक विवरणी दायर करने के समय में विस्तार।

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	दिनांक	विषय
5.	14 / 2012	21.06.2012	कंपनी रजिस्ट्रार, प्रादेशिक निदेशक या कारपोरेट कार्य मंत्रालय (मुख्यालय) में कुछ ई–प्रपत्र दायर करने पर शुल्क लगाना जहां वर्तमान में कोई शुल्क विहित नहीं है।
6.	15 / 2012	29.06.2012	सीमित देयता भागीदारियों (एलएलपी) द्वारा वार्षिक विवरणी दायर करने के समय में विस्तार।
7.	16 / 2012	06.07.2012	दिनांक 01.04.2011 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले वित्त वर्ष हेतु विस्तारणीय व्यवसाय रिपोर्टिंग भाषा (एक्सबीआरएल) में तुलन–पत्र और लाभ–हानि खाता दायर करना।
8.	———	29.06.2012	कारपोरेट शासन पर नीति दस्तावेज बनाने हेतु समिति का गठन।
9.	19 / 2012	27.07.2012	कंपनी रजिस्ट्रार, प्रादेशिक निदेशक या कारपोरेट कार्य मंत्रालय (मुख्यालय) में कुछ ई–प्रपत्र दायर करने पर शुल्क लगाना जहां वर्तमान में कोई शुल्क विहित नहीं है।
10.	21 / 2012	02.08.2012	दिनांक 01.04.2011 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले लेखांकन वर्ष हेतु नन–एक्सबीआरएल में तुलन–पत्र और लाभ–हानि खाता दायर करना।
11.	22 / 2012	03.08.2012	कंपनी रजिस्ट्रार, प्रादेशिक निदेशक या कारपोरेट कार्य मंत्रालय (मुख्यालय) में कुछ ई–प्रपत्र दायर करने पर शुल्क लगाना जहां वर्तमान में कोई शुल्क विहित नहीं है।
12.	23 / 2012	06.08.2012	कंपनी विधि निपटान योजना (जम्मू एवं कश्मीर), 2012।
13.	25 / 2012	09.08.2012	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव से संबंधित लेखांकन मानक 11 पर अधिसूचना संख्या सा.का.नि 914(अ) दिनांक 29.12.2011 के पैरा 46ख पर स्पष्टीकरण।
14.	26 / 2012	23.08.2012	भारत में व्यवसाय करने हेतु विनियामक वातावरण में सुधार के लिए समिति का गठन।
15.	27 / 2012	29.08.2012	भारत में व्यवसाय करने हेतु विनियामक वातावरण में सुधार के लिए समिति का गठन।
16.	28 / 2012	03.09.2012	दिनांक 01.04.2011 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले लेखांकन वर्ष हेतु नन–एक्सबीआरएल में तुलन–पत्र और लाभ–हानि खाता दायर करना।
17.	29 / 2012	10.09.2012	सामान्य सोसाइटी को उत्पादक कंपनी के रूप में संपरिवर्तित करने हेतु शर्त लगाना, अधिनियम का भाग–IXक।
18.	30 / 2012	28.09.2012	दिनांक 01.04.2011 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले लेखांकन वर्ष हेतु नन–एक्सबीआरएल में तुलन–पत्र और लाभ–हानि खाता दायर करना।
19.	31 / 2012	28.09.2012	लेखांकन वर्ष 2012–13 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा प्रपत्र 23ख दायर करना।

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	दिनांक	विषय
20.	32/2012	15.10.2012	भारत में व्यवसाय करने हेतु विनियामक वातावरण में सुधार के लिए समिति का गठन।
21.	34/2012	25.10.2012	दिनांक 01.04.2011 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले वित्त वर्ष हेतु विस्तारणीय व्यवसाय रिपोर्टिंग भाषा (एक्सबीआरएल) में तुलन–पत्र और लाभ–हानि खाता दायर करना।
22.	38/2012	23.11.2012	दिनांक 01.04.2011 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले लेखांकन वर्ष हेतु नॉन–एक्सबीआरएल में तुलन–पत्र और लाभ–हानि खाता दायर करना।
23.	39/2012	12.12.2012	दिनांक 01.04.2011 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले वित्त वर्ष हेतु विस्तारणीय व्यवसाय रिपोर्टिंग भाषा (एक्सबीआरएल) में तुलन–पत्र और लाभ–हानि खाता दायर करना।
24.	40/2012	17.12.2012	एलएलपी के नाम के अनुमोदन/निगमन के लिए संबंधित विनियामक/संस्था से अनापत्ति प्रमाण–पत्र।
25.	41/2012	18.12.2012	दिनांक 01.04.2011 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले वित्त वर्ष हेतु विस्तारणीय व्यवसाय रिपोर्टिंग भाषा (एक्सबीआरएल) में तुलन–पत्र और लाभ–हानि खाता दायर करना – सामान्य परिपत्र संख्या 39/2012 पर शुद्धि–पत्र।
26.	42/2012	21.12.2012	प्रपत्र 1, प्रपत्र 1क और 44 में गलतियों के सुधार हेतु प्रपत्र 68 दायर करना।

विभागीय परिपत्र

कंपनियों द्वारा निजी नियोजनों के नियमन के लिए जारी दिनांक 14.12.2011 को एक विभागीय परिपत्र संख्या 3/2011 जारी किया गया।

मास्टर परिपत्र

क्र. सं.	मास्टर परिपत्र संख्या	दिनांक	विषय
1.	मास्टर परिपत्र सं. 1/2011	29.07.2011	निदेशकों के अभियोजन संबंधी मास्टर परिपत्र।
2.	मास्टर परिपत्र सं. 2/2011	11.11.2011	लागत लेखांकन रिकार्डों और लागत लेखापरीक्षा पर मास्टर परिपत्र।

अध्याय–IV
प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002
नीति, प्रावधान और कार्य निष्पादन

4.1.1 वैश्विक आर्थिक परिदृश्य और भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के कारण नए आर्थिक कानूनों का अधिनियमन आवश्यक हो गया है। इस उद्देश्य से भारतीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए संसद ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 का अधिनियमन किया।

4.1.2 प्रतिस्पर्धा अधिनियम के अनिवार्यतः चार घटक हैं जो एक–दूसरे को सुदृढ़ बनाते हैं:

(i) गुटबंदी जैसे प्रतिस्पर्धा रोधी समझौतों को निषेध करना जो व्यापार की स्वतंत्रता में बाधा पहुँचाते हैं और वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन व वितरण सीमित करके तथा सामान्य से अधिक मूल्य निर्धारित करके उपभोक्ताओं को हानि पहुंचाते हैं;

(ii) प्रभुत्वपूर्ण फर्म के अनुचित व्यवहार को निषेध करना जो अपनी प्रभुत्वपूर्ण स्थिति के माध्यम से बाजारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और अनुचित व विभेदकारी स्थितियां निर्धारित कर सकते हैं;

(iii) प्रतिस्पर्धात्मक बाजारों की सुरक्षा के लिए बड़े निगमों के संयोजनों को नियमित करना; तथा

(iv) प्रतिस्पर्धा समर्थन को बढ़ावा देना।

4.1.3 अधिनियम के प्रतिस्पर्धा रोधी समझौतों तथा प्रभुत्वपूर्ण स्थिति के दुरुपयोग से संबंधित प्रावधान दिनांक 20.05.2009 से लागू हुए जबकि संयोजन से संबंधित प्रावधान दिनांक 01.06.2011 से लागू हुए।

I. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

4.1.4 प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के गठन का प्रावधान है जिसमें एक अध्यक्ष, न्यूनतम दो तथा अधिकतम छः सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त, अधिनियम में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेशों के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई व उनके निपटान के लिए तथा आयोग के एवं स्वयं के निर्णयों के परिणामस्वरूप मिलने वाले हरजाने के दावों का निर्णय करने के लिए प्रतिस्पर्धा अपीलीय ट्रिब्यूनल (सीओएमपीएटी) की स्थापना का प्रावधान है। अधिनियम के प्रशासन, कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन मार्च, 2009 में किया गया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के उद्देश्य इस प्रकार हैं:–

(क) प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकना;

(ख) बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना तथा बनाए रखना;

(ग) उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करना और

(घ) व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।

4.1.5 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को विलयन अथवा संयोजन और उल्टी विलयन अथवा संयोजन नियमित करने तथा यदि किसी विलयन अथवा

संयोजन का भारत में ''प्रतिस्पर्धा'' पर ''काफी प्रतिकूल प्रभाव'' पड़ता हो अथवा पड़ने की संभावना हो तो उस विलयन अथवा संयोजन को समाप्त करने का अधिकार है।

4.1.6 प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के सभी प्रावधान अधिसूचित कर दिए गए हैं। अंतिम अधिसूचना संयोजन पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का पूर्वानुमोदन अपेक्षित होने के प्रावधान से संबंधित है। प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 में यह पता लगाने के लिए कि क्या किसी ''संयोजन'' का भारत में प्रतिस्पर्धा पर ''काफी प्रतिकूल प्रभाव'' पड सकता है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से विलयन से पूर्व अनुमोदन अनिवार्य कर दिया है।

4.1.7 आयोग का वर्तमान गठन इस प्रकार हैः

श्री अशोक चावला	–	अध्यक्ष
श्री एच. सी. गुप्ता	–	सदस्य
श्री आर. प्रसाद	–	सदस्य
श्रीमती गीता गौरी	–	सदस्य
श्री अनुराग गोयल	–	सदस्य
श्री एम.एल. तायल	–	सदस्य
श्री एस. एन. ढ़ींगरा	–	सदस्य

II. आयोग के कार्यकलाप

4.2.1 वर्ष 2011–12 के दौरान और चालू वर्ष (दिनांक 31.12.2012 तक) आयोग द्वारा किए गए विभिन्न कार्यकलापों का वर्णन निम्न प्रकार है।

क प्रवर्तन कार्यकलापः

4.2.2 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को कुल 311 मामले प्राप्त हुए और आयोग ने 8 मामलों में स्वतः कार्रवाई शुरू की। आयोग ने 5 स्वतः मामलों सहित 242 मामलों का निपटान कर दिया है और इसके बोर्ड के समक्ष कुल 77 मामले लंबित हैं। दिनांक 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार, मामलों की संख्या से संबंधित आंकड़े **तालिका 4.1** में दिए गए हैं।

तालिका 4.1

दिनांक 20.05.2009 से 31.12.2012 तक भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में प्राप्त मामलों की स्थिति (दिनांक 31.12.2012 की स्थिति)

क्र. सं.	मामले की प्रकृति	मामलों की संख्या	जांच के लिए महानिदेशक को भेजे गए मामले			समाप्त/निपटाए गए मामलों की संख्या			लंबित मामलों की संख्या
			कुल	रिपोर्ट प्राप्त	रिपोर्ट प्रतीक्षित	डीजी की रिपोर्ट पर	धारा 26(2) के अंतर्गत	कुल	
1.	स्वतः	08	08	05	03	05	–	05	03
2.	धारा 19(1)(क) के अंतर्गत	254	112	87	25	67	117	184	70
3.	धारा 19(1)(ख) के अंतर्गत	06	03	03	–	01	03	04	02
4.	धारा 21 के अंतर्गत	01	–	–	–	–	01	01	–
5.	धारा 66 के अंतर्गत अंतरित एमआरटीपीसी मामले	50	29	28	01	27	21	48	02
	योग	**319**	**152**	**123**	**29**	**100**	**142**	**242**	**77**

(ख) संयोजन नियमनः

(i) वर्ष 2011–12 के दौरान प्रगति

4.2.3 प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में संयोजन (विलयन एवं अधिग्रहण) का नियमन करने से संबंधित प्रावधान भारत सरकार द्वारा दिनांक 04 मार्च, 2011 को अधिसूचित किए गए और ये 01 जून, 2011 से लागू हुए। साथ ही, दिनांक 04 मार्च, 2011 और 27 मई, 2011 की अधिसूचनाओं द्वारा सरकार ने परिसंपत्ति और टर्नओवर का मूल्य के न्यूनतम सीमा जिसके उपर होने पर सीसीआई के समक्ष सूचरा दाखिल करना अनिवार्य है को 50 प्रतिशत तक बढ़ाई और जिन उद्यमों का नियंत्रण, शेयर, मताधिकार अथवा परिसंपत्तियां अर्जित की जा रही है उनका टर्नओवर भारत में 750 करोड़ रुपए से कम अथवा, भारत में 250 करोड़ रुपए से कम परिसंपत्तियां होने के मामले में अधिग्रहण संबंधी सूचना सीसीआई के समक्ष दाखिल करने से छूट दी।

4.2.4 अधिनियम के अंतर्गत अधिकार का प्रयोग करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा संयोजन के नियमन से संबंधित विनियम 11 मई, 2011 को अधिसूचित किए गए। इन विनियमों को ''भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजन से संबंधित व्यापार संव्यवहार संबंधी प्रक्रिया) विनियम, 2011'' कहा गया (जिन्हें इसके बाद ''संयोजन विनियम'' कहा जाएगा)।

4.2.5 दिनांक 01 जून, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के अंतर्गत 48 नोटिस प्राप्त हुए। इन 48 नोटिस में से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने दिनांक 31 मार्च, 2012 तक 41 नोटिस पर अपना निर्णय दे दिया और सात नोटिस का निपटान बाद में किया गया। सभी अड़तालीस नोटिस पर सीसीआई ने संयोजन नियमन, 2011 के विनियम 19(1) के अनुसार 30 दिन की अवधि में निर्णय दे दिया है।

(ii) संयोजन नियमन में संशोधन

4.2.6 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अपने अनुभव और विभिन्न हितधारकों के साथ किए गए उचित विचार–विमर्श के आधार पर संयोजन विनियम को दिनांक 23.02.2012 को जारी, अधिसूचना द्वारा संशोंधित किए। उक्त नियमन किए गए। संशोधन का उद्देश्य कारपोरेट संस्थाओं को ऐसे संयोजन के लिए जिनका प्रतिस्पर्धा मुद्दों पर प्रतिकूल प्रभाव होने की संभावना नहीं है, अनुपालन अपेक्षाओं को कम करने, फाइलिंग को सरल बनाने तथा अधिनियम और संयोजन नियमन को लागू करने में निश्चितता लाने के लिए फाइलिंग से छूट देना है।

(iii) चालू वर्ष (दिनांक 31.12.2012 तक) के दौरान प्रगति

4.2.7 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के अंतर्गत 53 नोटिस प्राप्त हुए इनमें से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने दिनांक 25 दिसंबर, 2012 तक 45 नोटिस पर 30 दिन की निर्धारित अवधि के अंदर अंतिम निर्णय दे दिया था और शेष 8 नोटिस का मूल्यांकन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(ग) जांच

4.2.8 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को अधिनियम की धारा 19(1)(क) के अंतर्गत दायर मामलों के अलावा प्रतिस्पर्धा मुद्दों से संबंधित बहुत सी शिकायतें प्राप्त होते हैं। इन शिकायतों पर महत्वपूर्ण तथा वैध प्रतिस्पर्धा मुद्दों की पहचान करने के लिए कार्रवाई की जाती है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ऐसे संगठनों जो प्रतिस्पर्धा मुद्दों के प्रति जागरूक नहीं हैं, को परामर्श भेजने के लिए पूर्व सक्रिय उपाय भी शुरू किए हैं।

4.2.9 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को अधिनियम की धारा 19(1)(क) के अंतर्गत विभिन्न स्रोतों, जिनमें

विशेष अध्ययन (घरेलू और अन्यथा), अखबार में छपी खबरों, लेखा एवं रिपोर्टों, पत्रिकाओं आदि शामिल हैं, से प्राप्त सूचना, जो बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं को प्रभावित करने वाले प्रतिस्पर्धा रोधी आचरण को दर्शाती हैं, के आधार पर स्वतः कार्रवाई शुरू करने का अधिकार है। डेयरी, औषधी, एस्बेस्टोज, सीमेंट निर्माताओं, विमानन, बीमा, बैंकिंग, दूरसंचार, जहाजरानी क्षेत्रों तथा कुछ सार्वजनिक प्राप्ति मामलों जिनमें नीलामी जालसाजी/अनैतिक नीलामी आदि से संबंधित लगभग तीस मामलों में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने स्वतः दायर कराये हैं। छः मामले जांच हेतु महानिदेशक, सीसीआई को भेजे गए हैं। अन्य मामलों में प्रारंभिक जांच की जा रही है।

(घ) बाजार अध्ययन

4.2.10 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के आर्थिक प्रभाग द्वारा वर्ष 2003–04 में अनुसंधान अध्ययन कार्यक्रम शुरू करने से लेकर अब तक 21 अध्ययन शुरू किए गए हैं तथा पूरे कर लिए गए हैं। आयोग की 10 सितंबर, 2012 को आयोजित विशेष बैठक में ''पेट्रोल मूल्य तथा प्रतिस्पर्धा मुद्दे'' पर एक घरेलू बाजार अध्ययन प्रस्तुत किया गया।

(ङ) अनुसंधान क्षमता में वृद्धि

4.2.11 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अपने आर्थिक अनुसंधान कार्यक्रम के भाग के रूप में दिनांक 22.10. 2012 को इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन (आईडीएफ), गुड़गांव के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत आईडीएफ, गुड़गांव स्थित एक विशेष अनुसंधान एकक (डीआरयू) की स्थापना की जाएगी। डीआरयू अर्थशास्त्र में अनुसंधान क्षमता को बढ़ाने के साथ–साथ प्रतिस्पर्धा कानून के प्रवर्तन में आर्थिक विश्लेषण के व्यवस्थित एकीकरण में मदद करेगा। डीआरयू ने ''प्राइमर ऑन एसेसमेंट ऑफ मार्केट पॉवर इन डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट मार्केट'' तैयार किया है।

(च) प्रतिस्पर्धा समर्थन

4.2.12 प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 49(3) के अंतर्गत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धा समर्थन को बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्धा मुद्दों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना और प्रशिक्षण देना अपेक्षित है। तदनुसार, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, व्यापार/उद्योग संघों, नियामक निकायों, केन्द्र व राज्य सरकारों, भारत सरकार के लेखापरीक्षा संगठनों (सीएजी सहित), उपभोक्ता संघों, विद्यालयों और विश्व विद्यालयों के छात्रों तथा आम जनता के साथ संपर्क बैठकें, कार्यशालाएं और सेमिनार आदि आयोजित करता है।

4.2.13 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धा समर्थन पर संपर्क बैठकों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों का आयोजन किया गया। वर्ष 2011–12 के दौरान, इस प्रकार के 27 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया/भाग लिया गया जिसमें व्यापार, व्यापार संघों, सार्वजनिक प्राप्ति, उपभोक्ता कल्याण, परस्पर मीडिया स्वामित्व, लोक नीति और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग व अन्य नियामकों के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रतिस्पर्धा कानून के मुद्दे शामिल थे। चालू वर्ष (दिनांक 31.12.2012 तक) के दौरान इस प्रकार के आयोजित पन्द्रह कार्यक्रमों में प्राप्ति लेन–देन की लेखापरीक्षा, संयोजन नियमन, विलयन एवं अधिग्रहण, आर्थिक नीति, भ्रष्टाचार रोकने, चार्टर्ड अकाउंटेंटों की भूमिका, अनुचित बाजार प्रथाएं, प्रवर्तन आदि मुद्दों को शामिल किया है। इसके अलावा, आयोग के सदस्य/वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न हितधारकों के लिए प्रतिस्पर्धा मुद्दों पर आयोजित विभिन्न सेमिनारों/कार्यशालाओं को संबोधित किया है।

(छ) इंटर्नशिप

4.2.14 पात्र और इच्छुक विभिन्न विषयों, जैसे अर्थशास्त्र, प्रबंधन, कानून और वित्त, के छात्रों को

प्रतिस्पर्धा कानून एवं नीति आदि को सिखाने के लिए आयोग ने एक उत्कृष्ट इंटर्नशिप कार्यक्रम तैयार किया है। वर्ष 2011–12 के दौरान 49 छात्रों और चालू वर्ष (दिनांक 31.12.2012 तक) के दौरान 54 छात्रों को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में प्रतिस्पर्धा संबंधी विभिन्न मुद्दों पर इंटर्नशिप प्रशिक्षण दिया गया।

(ज) क्षमता निर्माण

4.2.15 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अपने व्यावसायिकों की क्षमता निर्माण के लिए कार्यशालाओं, सेमिनारों, व सम्मेलनों का आयोजन किया है। वर्ष 2011–12 के दौरान विलय समझौते तथा व्यापार संघ का निष्कर्श निकालना, सरकारी निजी भागीदारी, प्रभुत्वपूर्ण स्थिति के कथित दुरुपयोग की जांच, इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी तथा प्रतिस्पर्धा नीति के मुद्दों के साथ ऐसे दस कार्यक्रम चलाए गए/भाग लिया गया। चालू वर्ष (दिनांक 31.12.2012 तक) के दौरान चलाए गए इस प्रकार के छः कार्यक्रमों में विलय मामलों की गहन जांच व विश्लेषण, प्रतिस्पर्धा रोधी समझौतों का विश्लेषण तथा प्रतिस्पर्धा कानून और राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम जैसे विषय शामिल किए गए।

4.2.16 इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अपने स्थापना कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के लिए वर्ष 2011–12 के दौरान सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान में वेतन निर्धारण, रिकार्ड प्रबंधन, सूचना का अधिकार, स्थापना नियम, लोक वित्त प्रबंधन, ज्ञान प्रबंधन, टिप्पण एवं प्रारूपण तथा प्रेजेंटेशन दक्षता पर विभिन्न प्रशिक्षण कराए।

(झ) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

4.2.17 चालू वर्ष (दिनांक 31.12.2012 तक) के दौरान भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा सचिव ने विभिन्न सम्मेलनों तथा अन्य सभाओं में भाग लियाः

(i) अध्यक्ष, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्षता में प्रतिनिधि मंडल ने 17–20 अप्रैल, 2012 के दौरान रियो–डि–जेनैरो, ब्राजील में इंटरनेशनल कम्पिटीशन नेटवर्क (आईसीएन) के 11वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया।

(ii) अध्यक्ष, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्षता में प्रतिनिधि मंडल ने 09–13 जुलाई, 2012 के दौरान जेनेवा, स्वीटजरलैंड में 12वें इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स सैशन ऑन कम्पिटीशन लॉ एंड पॉलिसी में भाग लिया।

(iii) अध्यक्ष, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 24 सितंबर–15 अक्तूबर, 2012 के दौरान न्यूयार्क, यूएसए में आयोजित 9वें एनुअल इंडिया इन्वेट्समेंट फोरम में भाग लिया।

(iv) अध्यक्ष, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 30 सितंबर–2 अक्तूबर, 2012 के दौरान डबलिन, आयरलैंड में एनुअल इंटरनेशनल बार एसोसिएशन कांफ्रेंस 2012 में भाग लिया।

(v) सचिव, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 24–27 अक्तूबर, 2012 के दौरान पेरिस, फ्रांस में ओईसीडी की वर्किंग पार्टी 3 कम्पिटीशन कमेटी मीटिंग और आईसीएन एडवोकेसी वर्कशाप, 2012 में भाग लिया।

4.2.18 वर्ष 2011–12 के दौरान भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और सचिव ने विभिन्न सम्मेलनों तथा अन्य सभाओं में भाग लिया जिनके विवरण इस प्रकार हैंः

(i) सदस्य, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 27–30 जून, 2011 के दौरान पेरिस में ओईसीडी द्वारा आयोजित कम्पिटीशन मीटिंग (कम्पिटीशन कमेटी एंड वर्किंग पार्टी) में भाग लिया।

(ii) अध्यक्ष, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 16–17 फरवरी, 2012 के दौरान पेरिस में ओईसीडी

द्वारा आयोजित 11वें ग्लोबल फॉरम ऑन कम्पिटीशन में भाग लिया।

(iii) अध्यक्ष, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 27–30 मार्च, 2012 के दौरान वाशिंगटन डीसी, यूएसए में आईसीएन राउंड टेबल मीटिंग तथा अमेरिकन बार एसोसिएशन की 60वीं एनुअल स्प्रिंग मीटिंग में भाग लिया।

(iv) सचिव, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 29–30 जुलाई, 2011 के दौरान कुआलालंपुर, मलेशिया में मलेशियन कम्पिटीशन अथॉरिटी के लिए यूएनसीटीएडी द्वारा आयोजित कार्यशाला में रिसोर्स पर्सन के रूप में भाग लिया।

(v) सचिव, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 5–9 सितंबर, 2011 के दौरान फेडरल एंटीमोनोपोली सर्विस, रूस द्वारा आयोजित कम्पिटीशन डे और संबद्ध कार्यक्रमों में भाग लिया।

4.2.19 वर्ष 2011–12 के दौरान सीसीआई प्रतिनिधि मंडलों ने 17–20 मई, 2011 के दौरान दि हेग, नीदरलैंड में इंटरनेशनल कम्पिटीशन नेटवर्क (आईसीएन) के 10वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया, 18–22 जुलाई, 2011 के दौरान जेनेवा में यूएनसीटीएडी द्वारा आयोजित कम्पिटीशन लॉ एंड पॉलिसी पर इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स (आईजीई) के 11वें सत्र और 20–23 सितंबर, 2011 के दौरान बीजिंग में दूसरे बीआरआईसीएस (ब्रिक्स) इंटरनेशनल कम्पिटीशन कांफ्रेंस में भाग लिया। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री की रूस यात्रा के दौरान मास्को में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और फेडरल एंटीमोनोपोली सर्विस, रूस संघ के मध्य दिनांक 16.12.2011 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

4.2.20 चालू वर्ष (दिनांक 31.12.2012 तक) के दौरान दिनांक 27.09.2012 को वाशिगंटन, यूएसए में अमेरिका व भारत के मध्य एंटीट्रस्ट कोऑपरेशन पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

III. महानिदेशक के कार्यालय

4.3.1 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का महानिदेशक की अध्यक्षता में अपना एक जांच विंग है। महानिदेशक कार्यालय प्रतिस्पर्धा कानून के उल्लंघन के संदिग्ध मामलों की जांच करता है और अपनी जांच रिपोर्ट सीसीआई को प्रस्तुत करता है। जांच रिपोर्ट मामले का निर्णय करने में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में 40 अधिकारियों की स्वीकृत संख्या है जिसमें से केवल अठारह पद भरे हुए हैं।

4.3.2 महानिदेशक, सीसीआई को वर्ष 2011–12 के दौरान जांच के लिए 35 मामले तथा चालू वर्ष (दिनांक 31.12.2012 तक) के दौरान 21 मामले सौंपे गए थे जिनमें से केवल 29 मामले महानिदेशक, सीसीआई के पास लंबित हैं। महानिदेशक, सीसीआई को भेजे गए मामलों की संख्या का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित **तालिका 4.2** में दिया गया है।

तालिका–4.2
महानिदेशक सीसीआई के द्वारा जांच

क्र.सं.	विवरण	2011–12	2012–13*
1.	वर्ष के प्रारंभ में लंबित	29	24
2.	अवधि के दौरान प्राप्त	35	21
3.	कुल मामले	64	45
4.	जिनमें सीसीआई को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई	40	16
5.	अवधि के अंत तक लंबित मामलों की संख्या	24	29

* 31.12.2012 तक

4.3.3 चालू वर्ष (दिनांक 31.12.2012 तक) के दौरान भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने महानिदेशक, सीसीआई की रिपोर्ट के आधार पर कार्य करते हुए 9 मामलों में शास्ति लगाने के लिए जारी हुए आदेश के विवरण **तालिका 4.3** में दर्शाया गया है:

तालिका–4.3
महानिदेशक की जांच रिपोर्टों के आधार पर शास्ति लगाने के सीसीआई के निर्णय

क्र.सं.	मामले का विषय	शास्ति (करोड़ रुपए में)
1.	कोल इंडिया बनाम गल्फ ऑयल कार्पोरेशन	58.82
2.	कॉमन कॉज बनाम पीईएस इंस्टॉलेशन प्रा. लि.	3.00
3.	एलुमिनियम फॉस्फाइड टेब्लेट्स मैनुफैक्चरर्स	317.91
4.	वार्का ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट	0.02
5.	बिल्डर्स एसोसिएशन बनाम सीमेंट मैनुफैक्चरर्स	6704.83
6.	कन्सन न्यूज बनाम फास्ट वे ट्रांसमिशन प्रा. लि.	8.04
7.	वेदांत बायो साइंस बनाम केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन	0.05
8.	कपूर ग्लास बनाम शॉट ग्लास इंडिया प्रा. लि.	5.66
9.	रियालंस बिग एंटरटेनमेंट बनाम फिल्म प्रोड्यूसर्स एंड ड्रिस्टीब्यूटर्स एसोसिएशन	0.48

IV. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के लिए विख्यात व्यक्ति सलाहकार समूह

4.4 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने दिनांक 08.05.2012 को एक विख्यात व्यक्ति सलाहकार समूह (ईपीएजी) का गठन किया है। ईपीएजी बाजार और प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने वाले वृहतर मुद्दों, अच्छी अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं, बेहतर समर्थन आदि पर आयोग को व्यापक जानकारी व सलाह देने के लिए विद्वान व्यक्तियों के समूह के रूप में कार्य करेगा। ईपीएजी का वर्ष में दो या तीन बार आयोग के साथ विचार–विमर्श/बैठक होगी। इससे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को व्यापक क्षेत्रों, जैसे कारपोरेट, शिक्षाविद्, गैर–सरकारी संगठनों, नियामक प्राधिकारियों, भारतीय रिजर्व बैंक, सीएजी आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले विख्यात व्यक्तियों का परामर्श मिलेगा।

V. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के प्रशासनिक कार्यकलाप

न्यूजलैटर

4.5.1 सीसीआई ने अपना तिमाही न्यूजलैटर ''फेयर प्ले'' का प्रकाशन करना अप्रैल–जून, 2012 की पहला अंक से शुरू किया है। इस न्यूजलैटर का विमोचन माननीय कारपोरेट कार्य मंत्री द्वारा दिनांक 23.07.2012 को किया गया। जुलाई–सितंबर, 2012 तिमाही के लिए द्वितीय अंक अक्तूबर, 2012 में प्रकाशित किया गया जिसमें ''ट्रेड एसोसिएशन'' के कार्यकलापों के संबंध में प्रतिस्पर्धा मुद्दों पर विशेष बल दिया गया।

नियुक्तियां

4.5.2 वर्ष 2011–12 के दौरान भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति आधार पर 20 अधिकारी (व्यावसायिक शाखा में 9 अधिकारी सहित) नियुक्त किए गए। महानिदेशक कार्यालय में 17 अधिकारी (व्यावसायिक शाखा में 6 सहित) प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किए गए। इसके अतिरिक्त, 27 व्यक्ति संविदा आधार पर नियुक्त किए गए जिनमें कानून, अर्थशास्त्र, वित्तीय विश्लेषण और प्रबंधन के 15 विशेषज्ञ शामिल हैं।

4.5.3 चालू वर्ष (दिनांक 31.12.2012 तक) के दौरान भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति आधार पर छः अधिकारी (व्यावसायिक शाखा में दो सहित) नियुक्त किए गए। महानिदेशक

कार्यालय में पांच अधिकारी (व्यावसायिक शाखा में दो सहित) प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किए गए। इसके अलावा, 35 व्यक्ति संविदा आधार पर नियुक्त किए गए जिनमें कानून, अर्थशास्त्र, वित्तीय विश्लेषण और प्रबंधन के 33 विशेषज्ञ शामिल हैं।

4.5.4 चालू वर्ष (दिनांक 31.12.2012 तक) के दौरान भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और महानिदेशक कार्यालय में 55 पदों को भरने की कार्रवाई की जा रही है और ये पद जल्द ही भरने की आशा है। इसके अतिरिक्त, आयोग में सीधी भर्ती आधार पर विभिन्न ग्रेडों में 31 पद (व्यावसायिक तथा सहायक) भरने के लिए आवेदन मंगाए गए हैं।

संगठन की संस्कृति

4.5.5 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने वर्तमान संगठन संरचना और मानव संसाधन प्रबंधन प्रथाओं का अध्ययन करने और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के विजन व मिशन कथन तैयार करने का कार्य आईआईएम अहमदाबाद को सौंपा है।

धनराशि एवं बजट

4.5.6 दिनांक 27.03.2009 की अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 204(अ) के साथ पठित प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 51 के अंतर्गत दिनांक 01.05.2009 को एक प्रतिस्पर्धा कोष का गठन किया गया है। प्रतिस्पर्धा कोष में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा सरकार से प्राप्त समस्त अनुदान तथा सभी प्रकार का शुल्क व उस पर प्राप्त ब्याज राशि शामिल है। इस कोष का प्रशासन एक कोष प्रशासन समिति (एफएसी) द्वारा किया जाता है जो मासिक आधार पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के वास्तविक व्यय और धनराशि की आवश्यकता की समीक्षा भी करती है। वर्ष 2011–12 के लिए आयोग के लेखा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (लेखा का वार्षिक विवरण फार्म) नियम, 2009 के अनुसार तैयार किए गए और इन्हें भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया गया है।

4.5.7 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के वर्ष 2011–12 और 2012–13 (दिनांक 31.12.2012 तक) के लिए बजट और वास्तविक व्यय निम्नलिखित **तालिका 4.4** में दिया गया है:

तालिका–4.4

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का बजट और वास्तविक व्यय

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	मंत्रालय का अनुदान	वास्तविक व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2011–12	37.92	37.92	37.92	36.61
2012–13	38.77	–	36.18	30.90*

* दिनांक 31.12.2012 तक

VI. प्रतिस्पर्धा अपीलीय ट्रिब्यूनल

4.6.1 प्रतिस्पर्धा अपीलीय ट्रिब्यूनल (सीओएमपीएटी) प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा यथासंशोधित प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित एक अर्ध–न्यायिक निकाय है। सीओएमपीएटी का एक अध्यक्ष है जो भारत के उच्चतम न्यायालय के कार्यरत/सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा किसी उच्च न्यायालय के कार्यरत/सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हों

अथवा जिन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अर्हता प्राप्त हों, होंगे। सदस्य समाजार्थिक क्षेत्रों के विख्यात व्यक्ति होंगें।

4.6.2 सीओएमपीएटी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेशों के विरूद्ध अपीलों का निर्णय करता है और आयोग अथवा स्वयं के निर्णयों से उत्पन्न हरजाने के दावों का भी निर्णय करता है।

4.6.3 सीओएमपीएटी का वर्तमान गठन इस प्रकार है:

माननीय श्री न्यायमूर्ति वी. एस. सिरपुरकर, पूर्व उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश – अध्यक्ष

श्री राहुल सरीन, भारत सरकार के पूर्व सचिव – सदस्य

श्रीमती प्रवीण त्रिपाठी, पूर्व उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक – सदस्य

4.6.4 सीओएमपीएटी में, भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के, रजिस्ट्रार का भी एक पद है। फिलहाल, इस पर श्री अशोक मेनन तैनात हैं।

4.6.5 पूर्व एमआरटीपी आयोग के विघटन के बाद भारत सरकार ने दिनांक 14 अक्तूबर, 2010 के अध्यादेश द्वारा पूर्व एमआरटीपी आयोग द्वारा निपटाए जा रहे लंबित मामलों की सुनवाई और निपटान का अधिकार प्रतिस्पर्धा अपीलीय ट्रिब्यूनल को सौंप दिया। इस ट्रिब्यूनल को लगभग 1825 लंबित मामले अंतरित किए गए जिनमें से 1583 मामलों का निपटान ट्रिब्यूनल ने दिसंबर, 2012 के अंत तक कर दिया था।

4.6.6 प्रतिस्पर्धा अपीलीय ट्रिब्यूनल को चालू वर्ष (दिनांक 31.12.2012 तक) के दौरान भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के निर्णयों के विरूद्ध 118 अपीलों सहित अब तक 184 अपीलें प्राप्त हुईं। प्रतिस्पर्धा अपीलीय ट्रिब्यूनल द्वारा अब तक 52 अपीलों [2011–12 के दौरान 32 और चालू वर्ष (दिनांक 31.12.2012 तक) के दौरान 20] का निपटान कर दिया गया है। चालू वर्ष के दौरान निपटाई गईं 20 अपीलों में से दो मामलों में अनुमति दी गई (दिनांक 29.08.2012 के आदेश द्वारा किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड और दिनांक 14.12.2012 के आदेश द्वारा ईस्टर्न इंडिया मोशन पिक्चर एसोसिएशन मामले)। दिनांक 31.12.2012 तक प्रतिस्पर्धा अपीलीय ट्रिब्यूनल में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेश के विरूद्ध 132 अपीलें निर्णय हेतु लंबित हैं।

4.6.7 कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 के दौरान ट्रिब्यूनल को किया गया बजट आबंटन और किया गया व्यय **तालिका 4.5** में दर्शाया गया है:

तालिका–4.5

प्रतिस्पर्धा अपीलीय ट्रिब्यूनल का बजट और वास्तविक व्यय

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)
2011–12	7.67	6.37	4.83
2012–13	7.47	6.39	3.87*

* दिनांक 31.12.2012 तक

4.6.8 इस ट्रिब्यूनल को नागरिक विमानन मंत्रालय द्वारा 1 जून, 2010 से विमाननपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (एईआरए) के निर्णय के विरूद्ध दायर की गई अपीलों की सुनवाई व निपटान हेतु विमाननपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अपीलीय ट्रिब्यूनल (एईआरएएटी) का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। विमाननपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अपीलीय ट्रिब्यूनल का गठन भारतीय विमाननपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 17 के तहत किया गया है। अब तक एईआरए के निर्णय के विरूद्ध 34 अपीलें दायर की गई हैं। इनमें से 18 अपीलों का निपटान कर दिया गया है और 16 अपीलें न्यायाधीन हैं।

VII. राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति

4.7.1 कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने सुस्थिर आर्थिक वृद्धि के उच्चतम स्तरों को प्राप्त करने, उद्यमशीलता, रोजगार, नागरिकों के लिए उच्चतर जीवन स्तर, न्यायोचित, साम्य, समग्र एवं सुस्थिर आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए आर्थिक अधिकारों की सुरक्षा करने, आर्थिक लोकतंत्र का संवर्धन करने और रेंट सीकिंग प्रथाओं को रोककर अच्छे शासन का समर्थन करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के पूर्व अध्यक्ष, श्री धनेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति तैयार करने हेतु एक समिति नियुक्त की।

4.7.2 समिति की सिफारिशों के आधार पर और विभिन्न हितधारको, राज्य सरकारों, केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ परामर्श करके इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति का एक प्रारूप तैयार किया है जो फिलहाल मंत्रालय में विचाराधीन है। इस नीति का उद्देश्य प्रशासन के प्रत्येक स्तर केन्द्र, राज्य अथवा स्थानीय निकाय स्तर पर श्प्रतिस्पर्धा संस्कृति को शासन का एक अभिन्न अंग बनाना है। इसकी अन्य विशेषताओं में प्रतिस्पर्धा के सिद्धांतों और प्रथाओं की अधिकारियों को जानकारी देना तथा प्रतिस्पर्धा के परिप्रेक्ष्य में मौजूदा तथा भावी नीतियों का प्रभाव मूल्यांकन करना शामिल है।

अध्याय–V
सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 और इसका कार्य निष्पादन

5.1 भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के साथ इसके उद्यमियों एवं तकनीकी तथा व्यावसायिक व्यक्तियों की भूमिका को पूरे विश्व में मान्यता मिली है। यह समय की मांग है कि उद्यमशीलता, ज्ञान एवं जोखिम पूंजी मिलकर भारत के आर्थिक विकास को और अधिक आगे ले जाने में मदद करें।

5.2 भारत में लगभग 95% औद्योगिक इकाइयां छोटे एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार इन लघु एवं मध्यम उद्यमों में से 90% मालिकाना रूप से पंजीकृत है, लगभग 2–3% भागीदारी के रूप में एवं 2% से कम कंपनी के रूप में पंजीकृत है। एसएमई के मध्य कारपोरेट रुप में बहुत अधिक प्रचलित नहीं है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संकलित आंकड़ों के विश्लेषण से यह पता लगता है कि कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत उच्च अनुपालन लागत छोटी एवं मध्यम उद्यमों को कारपोरेट रूप अपनाने में हतोत्साहित करता है। किन्तु मालिकाना या भागीदारी फर्म की कार्यप्रणाली अत्यधिक अस्पष्ट होती है जिससे बैंकों को उनकी साख का आकलन करना कठिन होता है और इसीलिए एसएमई क्षेत्र कारपोरेट निकायों की तुलना में बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण एवं साख सुविधाएं प्राप्त करने में तुलनात्मक रूप से हानिकर स्थिति में होते है।

5.3 इस परिप्रेक्ष्य में यह महसूस किया गया है कि लचीले, नवाचारी एवं कुशल तरीके से संयोजित संगठित करने एवं प्रचालन हेतु व्यावसायिक विशेषज्ञता एवं उद्यमिता पहल को समर्थ करने हेतु एक ओर असीमित व्यक्तिगत देयता एवं दूसरे ओर सीमित देयता कंपनी को संविधि आधारित शासन संरचना के साथ पारंपरिक भागीदारी से एक विकल्प उपलब्ध कराने हेतु नया कारपोरेट रूप उपलब्ध कराया जाए। वैश्विक स्तर पर, विशेषकर इंग्लैंड, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर आदि देशों में सीमित देयता भागीदारियां (एलएलपी) विशेषकर सेवा उद्योग या व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अधिमान्य साधन है।

5.4 सरकार ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा से मुकाबला करने हेतु उद्यमियों, सेवा प्रदाताओं एवं व्यावसायिकों के लिए सरल वातावरण बनाने हेतु व्यावसायिक संगठन के सीमित देयता भागीदारी रूप को अनुमति दी है। संसद ने सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 को पारित किया जिसे दिनांक 09.01.2009 को अधिसूचित किया गया और यह दिनांक 31.03.2009 को प्रवृत्त हुआ। समर्थकारी नियम दिनांक 01.04.2009 को अधिसूचित हुए एवं प्रथम एलएलपी दिनांक 02.04.2009 को पंजीकृत हुआ।

5.5 एलएलपी एक वैकल्पिक कारपोरेट व्यवसाय साधन है जो व्यावसायिक विशेषज्ञता एवं उद्यमिता पहल को लचीले, नवाचारी एवं कुशल तरीके से संयोजन एवं प्रशासन में समर्थ करता है जिससे सीमित देयता के लाभ प्राप्त होते है साथ ही समझौते पर आधारित भागीदारी की आंतरिक संरचना गठित करने हेतु इसके सदस्यों को लचीलापन मिलता है। यह व्यवसाय इकाई का वह रूप है जो व्यक्तिगत

भागीदारों को भागीदारी फर्म में भागीदारी के संयुक्त एवं कई देयताओं से सुरक्षा प्रदान करता है। व्यवसाय के सामान्य स्थिति में भागीदारों की देयता भागीदारों की व्यक्तिगत संपत्तियों तक नहीं होती। भागीदार अपने नाम से किसी संविदा में शामिल होने या संपत्ति रखने में समर्थ होता है। एलएलपी सीमित देयता के साथ अधिक आसानी से अनुपालन मानकों का पालन कर पाता है। एलएलपी की कारपोरेट संरचना एवं सांविधिक प्रकटीकरण अपेक्षाएं बाजार में उन्हें बेहतर साख दिलाती हैं। सिर्फ उन्हीं एलएलपी को अपने लेखों की लेखापरीक्षा करवानी होती है जिनका टर्नओवर 40 लाख रुपए से अधिक एवं योगदान 25 लाख रुपए से अधिक हो, इससे अधिक लचीलापन प्राप्त होता है। एलएलपी रूप प्रारंभ होने से विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी एवं बॉयो टेक्नोलॉजी जैसे उद्योगों में तथा अन्य सेवा प्रदाताओं एवं व्यावसायिकों में उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

5.6 समिति देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत कोई भी दो या अधिक व्यक्ति निगमन दस्तावेज में नाम डालकर एवं रजिस्ट्रार के पास फाइलिंग करके एलएलपी बना सकता है। दिनांक 11.06.2012 से एलएलपी रजिस्ट्रार के कार्य कंपनी रजिस्ट्रारों द्वारा किए जा रहे हैं। निष्पक्ष व्यक्ति एवं कारपोरेट निकाय, भारतीय या विदेशी, एलएलपी में भागीदार हो सकते हैं। उनमें से कम से कम दो "पदनामित भागीदार" होने चाहिए और न्यूनतम एक व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई कारपोरेट निकाय भी पदनामित भागीदार हो सकता है और ऐसी स्थिति में कारपोरेट निकाय द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति पदनामित भागीदार के रूप में कार्य करेगा। एलएलपी को कारपोरेट निकाय का दर्जा प्राप्त है और अपने सदस्यों से अलग विधिक मान्यता प्राप्त होगी और इसमें लगातार उत्तराधिकार होगा। भागीदारों में परिवर्तन से अप्रभावित होते हुए एलएलपी अपना अस्तित्व बनाए रखता है। एलएलपी अपनी पूरी संपत्ति के लिए उत्तरदायी होता है, एलएलपी के भागीदारों का उत्तरदायित्व एलएलपी के उनके सहमत योगदान तक सीमित होगा। कोई भागीदार दूसरे भागीदारों के स्वतंत्र और अप्राधिकृत कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

5.7 एलएलपी के भागीदारों के पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य एलएलपी अधिनियम, 2008 के अधीन भागीदारों या एलएलपी और भागीदारों के मध्य सहमति में शासित होगा। एलएलपी में शेयरहोल्डर या निदेशक नहीं होते हैं और इस पर भागीदार फर्म के तहत से ही कर लगाया जाता है। एलएलपी में भागीदार के आर्थिक अधिकार (अर्थात् एलएलपी के लाभ और हानि में हिस्सा पाने का अधिकार और बंद होने के समय वितरण में हिस्सा) हस्तांतरणीय होते है। तथापि, ऐसा हस्तांतरण प्राप्त करने वाले और देने वाले को एलएलपी की गतिविधियों के प्रबंधन या संचालन का अधिकार नहीं होता है। अतः अंतरण प्राप्त करने वाले को मात्र इस वजह से कि अंतरणकर्ता ने अपने "आर्थिक अधिकार" उसे अंतरण किए हैं, भागीदार नहीं माना जाएगा।

5.8 चूंकि इसमें भागीदार नवाचारी एवं कुशल तरीके से संगठित होकर संचालन कर सकते है। अतः व्यवसाय के इस तरीके से कंपनी सचिवों, चार्टर्ड अकाउंटेंटों, लागत लेखाकारों एवं अधिवक्ताओं को वैश्विक बाजार में प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता मिलने की उम्मीद है। परिवर्तनशील आर्थिक परिवेश के अनुसार व्यावसायिक बहु–अनुशासनात्मक एलएलपी भी गठित कर सकते है। भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 एलएलपी पर लागू नहीं होता है और पारंपरिक एलएलपी जिसमें भागीदारों की अधिकतम संख्या 20 हो सकती है, के विपरीत एलएलपी में भागीदारों की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। एलएलपी को लेखाबहियों, वार्षिक वित्तीय विवरण और ऋणशोध क्षमता विवरण रखना होगा ताकि प्रतिवर्ष उसे रजिस्ट्रार के पास दर्ज किया जा

सके। एलएलपी को स्वेच्छा से या राष्ट्रीय कंपनी विधि ट्रिब्यूनल के आदेश से बंद किया जा सकता है।

5.9 पारदर्शिता की संस्कृति लाने के उद्देश्य से, निगमन दस्तावेज, भागीदारों के नाम एवं उसमें कोई परिवर्तन, लेखाओं एवं ऋणशोध क्षमता का विवरण एवं वार्षिक विवरण किसी भी व्यक्ति द्वारा विहित शुल्क की अदायगी पर देखे जा सकते है। केन्द्र सरकार के पास यह शक्ति है कि वह यदि आवश्यक हो तो निरीक्षक नियुक्त कर किसी एलएलपी की जांच करें। किसी फर्म, निजी कंपनी या असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप एलएलपी में परिवर्तित किया जा सकता है। कारपोरेट कार्यों जैसे विलय, समामेलन आदि के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।

5.10 एलएलपी अधिनियम, 2008 विदेशी कंपनियों एवं एलएलपी सहित विदेशी नागरिकों को भी भारत में एलएलपी का निगमन करने की अनुमति प्रदान करता है, बशर्ते न्यूनतम एक पदनामित भागीदार भारत का नागरिक हो और एलएलपी विदेशी मुद्रा विधि/नियमों/विनियमों/मार्ग–निर्देशों का पालन करता हो। भागीदार का योगदान मूर्त और/या अमूर्त संपत्तियों और एलएलपी को किसी अन्य लाभ के रूप में हो सकता है। प्रत्येक भागीदार के योगदान के मौद्रिक मूल्य सीमित देयता भागीदारी के जवाबदेही होगी और लेखाओं में प्रकट किया जाएगा।

5.11 मई, 2011 से सरकार ने सीमित देयता भागीदारी को अंश शोधित तरीके से सीधे विदेशी निवेश की अनुमति दी है। यह प्रारंभ में प्राधिकृत वितरक/बैंक द्वारा सरकार सस्ते अर्थात् विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के माध्यम से एवं नकद आगम द्वारा किया जा सकता है अर्थात् अनिवासी (बाह्य) रुपए खाता योजना [एनआरई] एवं विदेशी मुद्रा [अनिवासी] खाता (बैंक) योजना [एफसीएनआर(बी)। एलएलपी में सरकारी अनुमोदन द्वारा उन्हीं क्षेत्रों/गतिविधियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति होगी जहां स्वाचालित तरीके से कंपनियों में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सरकारी अनुमति है एवं जहां प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से जुड़ी कोई निष्पादन शर्त नहीं है।

5.12 किन्तु कृषि/पौध रोपण क्षेत्र, प्रिंट मीडिया या स्थावर संपदा व्यवसाय के क्षेत्र में एलएलपी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं होगी। एफडीआई वाले एलएलपी को निचले स्तर पर निवेश हेतु अर्हता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) एवं विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक (एफवीसीआई) को एलएलपी में निवेश की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, एलएलपी को बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) लेने की अनुमति भी नहीं होगी।

5.13 पहले एलएलपी का नियमन एलएलपी रजिस्ट्रार, नई दिल्ली द्वारा केन्द्रीय रूप से किया जाता था। दिनांक 05.06.2012 और दिनांक 21.06.2012 की अधिसूचना सा.का.नि. सं. 430(अ) और संख्या 485(अ) द्वारा एलएलपी रजिस्ट्रार का कार्यालय दिनांक 11.06.2012 से विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है और एलएलपी रजिस्ट्रार के अधिकार देश भर में स्थित 20 कंपनी रजिस्ट्रारों को दिए गए हैं। आशा है कि इससे अपने–अपने क्षेत्र में कारपोरेट निकायों के नए स्वरूप को सीधे बढ़ावा दिया जा सकेगा।

5.14 दिनांक 10.07.2012 की अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 549(अ) द्वारा एलएलपी अधिनियम, 2008 की धाराएं 51, 63 से 65 लागू की गई हैं। एलएलपी (समापन एवं विघटन) नियम, 2012 दिनांक 10.07.2012 की अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 550(अ) द्वारा अधिसूचित किए गए।

5.15 स्टेकहोल्डर्स को परिचालन सुविधा प्रदान करने तथा रजिस्ट्री संबंधी सभी कार्यों को एकल मंच

पर एकत्रित करने के लिए सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी), ई–गवर्नेंस को दिनांक 11.06.2012 से एमसीए–21 के साथ एकीकृत किया गया। इस एकीकरण के साथ एलएलपी फार्मों की फाइलिंग तथा अनुमोदन एमसीए–21 पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है और स्टेकहोल्डर्स, एलएलपी फार्मों की फाइलिंग, जिसमें क्रेडिट कार्ड भुगतान के अतिरिक्त ऑनलाइन भुगतान अथवा नामित बैंकों से इंटरनेट बैंकिंग शामिल है, एमसीए–21 की सभी वर्तमान सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।

5.16 दिनांक 31.12.2012 तक देश में कुल 12,448 एलएलपी का पंजीकरण किया गया। इसमें एलएलपी के रूप में पंजीकृत 11,448 नई कंपनियां तथा एलएलपी में परिवर्तित 1000 कंपनियां व भागीदारी फर्में शामिल हैं। इसी अवधि (दिनांक 01.04.2011 से 31.12.2011 तक) के दौरान पंजीकृत 3172 एलएलपी की तुलना में दिनांक 01.04.2012 से 31.12.2012 तक 3813 एलएलपी का पंजीकरण किया गया।

5.17 वर्ष–वार पंजीकरण की संख्या **तालिका 5.1** में दी गई है और **चार्ट 5.1** में पिछले चार वर्षों अर्थात् अधिनियम के अधिसूचित होने से अब तक पंजीकृत एलएलपी की संख्या दर्शाई गई है :

तालिका–5.1

पिछले चार वर्षों के दौरान पंजीकृत (परिवर्तन सहित) एलएलपी की संख्या

वर्ष	एलएलपी की संख्या
2009–10	1055
2010–11	3263
2011–12	4317
2012–13*	3813

* दिनांक 31.12.2012 तक

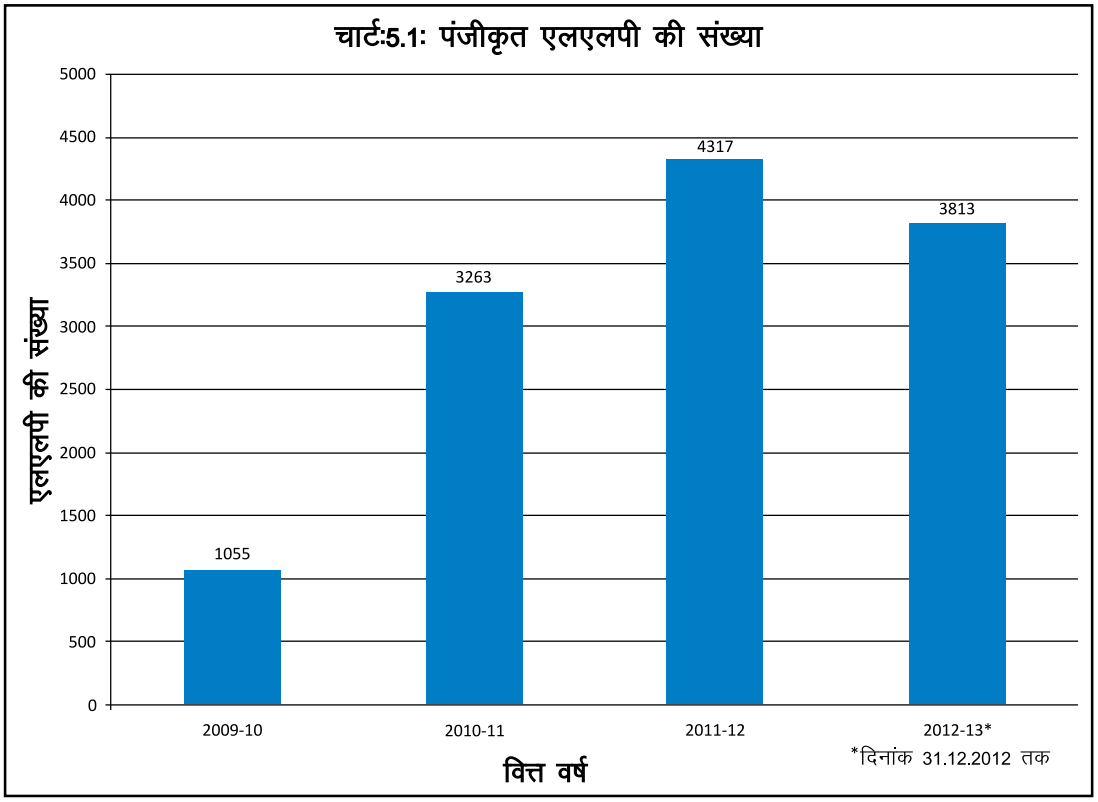

अध्याय–VI
संबद्ध विधान

चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949

6.1.1 चार्टर्ड अकाउंटेंट के व्यवसाय को नियंत्रित करने तथा उक्त उद्देश्य से एक संस्थान स्थापित करने के लिए 1949 में चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम पारित किया गया था। तदनुसार, इसी उद्देश्य के लिए अधिनियम के उपबंधों के अनुसार भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की स्थापना जुलाई, 1949 में की गई।

6.1.2 भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान का मुख्य उद्देश्य (i) सदस्यता के लिए योग्यताएं निर्धारित करना, परीक्षा लेने और नामांकन के लिए अभ्यर्थियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण देना (ii) व्यवसाय की प्रेक्टिस के लिए अर्हता प्राप्त सदस्यों के रजिस्टर का रखरखाव तथा प्रकाशन की व्यवस्था करना, (iii) व्यवसाय के विकास के लिए गतिविधियां जारी रखना, और (iv) सदस्यों की व्यावसायिक अर्हताओं के स्तर एवं मानक का विनियमन एवं अनुरक्षण करना है। संस्थान संपूर्ण देश में परीक्षा आयोजित करता है, डाक/मौखिक शिक्षण मुहैया कराता है और व्यवहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है ताकि विद्यार्थी इस व्यवसाय के लिए योग्य हो सके।

6.1.3 संस्थान के कार्यकलापों का प्रबंधन इसकी परिषद द्वारा किया जाता है जो इसे चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम के अंतर्गत सौंपे गए कार्यों का निपटान करती है। परिषद में संस्थान के सदस्यों द्वारा चुने गए अधिकतम 24 व्यक्ति होते हैं और 6 व्यक्तियों को केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है।

लागत एवं संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959

6.2.1 लागत एवं संकर्म लेखा के व्यवसाय को विनियमित करने और उक्त उद्देश्य हेतु लागत और संकर्म लेखाकार संस्थान स्थापित करने के लिए 1959 में लागत और संकर्म लेखाकार अधिनियम अधिनियमित किया गया था। संस्थान का नाम लागत एवं संकर्म लेखाकार (संशोधन) अधिनियम, 2011 द्वारा बदलकर भारतीय लागत लेखाकार संस्थान कर दिया गया है।

6.2.2 लागत और संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959 के अंतर्गत अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी भारतीय लागत लेखाकार संस्थान की परिषद को सौंपी गयी है जो अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत गठित की गई है। परिषद के संघटन में संस्थान के सदस्यों द्वारा चुने गए अधिकतम 15 और केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत अधिकतम 5 व्यक्ति शामिल होते हैं।

कंपनी सचिव अधिनियम, 1980

6.3.1 कंपनी सचिव अधिनियम, कंपनी सचिव के व्यवसाय को विनियमित तथा विकसित करने और उक्त उद्देश्य से भारतीय कंपनी सचिव संस्थान को स्थापित करने के लिए 1980 में बनाया गया था। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की स्थापना जनवरी, 1981 में की गई थी।

6.3.2 कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अधिनियम के उपबंधों को लागू करने का कार्य भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की परिषद्, जिसका गठन अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत किया गया था, में निहित है। परिषद में संस्थान के सदस्यों द्वारा चुने गए अधिकतम 15 व्यक्ति तथा केन्द्र सरकार द्वारा नामित अधिकतम 5 व्यक्ति होते हैं।

व्यावसायिक सेवाएं

6.4 भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान तथा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के सदस्यों द्वारा व्यावसायिक सेवाएं मुहैया कराई जाती हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस बदलते आर्थिक वातावरण में व्यवसायी अपना कार्य सजगता से करते हैं, और उपलब्ध नए अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम हैं, संबंधित अधिनियम में समय–समय पर आवश्यक संशोधन किए जाते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2011, लागत एवं संकर्म लेखाकार (संशोधन) अधिनियम, 2011 तथा कंपनी सचिव (संशोधन) अधिनियम, 2011 द्वारा इन तीन संस्थानों के सदस्य सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के अनुसरण में सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) फर्म बना सकते हैं।

सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860

6.5.1 सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 में अधिनियमित हुआ जो साहित्यिक, वैज्ञानिक और धर्मार्थ सोसाइटियों के पंजीकरण की व्यवस्था करता है, जिससे ऐसी सोसाइटियों के वैधानिक स्तर को सुधारा जा सके। इस अधिनियम में साहित्य, विज्ञान, या ललितकला या उपयोगी ज्ञान के प्रसार या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित सोसाइटियों को अपने संस्थान के संगम ज्ञापन को अधिनियम में निर्दिष्ट अधिकारियों को प्रस्तुत करके पंजीकरण करवाना अपेक्षित है। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 का अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संविधान में उल्लेखित राज्य व केन्द्र के बीच शक्तियों के विभाजन से काफी पहले बनाया गया था। यह राज्य का विषय है अतः इसका प्रशासन राज्यों द्वारा किया जाता है। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 समस्त भारत में लागू है जब तक कि संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा इसे अलग से संशोधित अथवा निरस्त न किया जाए। अनेक राज्यों ने अपनी विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसमें संशोधन किया है और यह अधिनियम राज्यों के संबंधित क्षेत्राधिकार में यथासंशोधित लागू है। इन संशोधनों में संबंधित राज्यों में सोसाइटी रजिस्ट्रार द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सोसाइटियों का पंजीकरण शामिल है।

6.5.2 सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 की कानूनी व विनियामक संरचना का अध्ययन करने के लिए मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने दिनांक 05.07.2012 को अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी है जिसमें 'बहु–राज्य सोसाइटी पंजीकरण' पर एक विधेयक प्रस्तावित किया गया है। रिपोर्ट तथा विधेयक (ये दोनों कारपोरेट कार्य मंत्रालय को वेबसाइट *www.mca.gov.in* पर अपलोड किए गए हैं) पर विभिन्न व्यक्तियों/विशेषज्ञों/संगठनों से प्राप्त टिप्पणियों, विचारों व सुझावों पर विचार किया जा रहा है।

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932

6.6 भारतीय भागीदारी अधिनियम, भागीदारों से संबंधित विधि को परिभाषित और संशोधित करने के उद्देश्य से 1932 में अधिनियमित किया गया था और इसमें भागीदारी की प्रकृति, भागीदारों के एक–दूसरे के साथ तथा अन्य पक्ष के साथ आपसी संबंध भी शामिल हैं। अधिनियम में इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए रजिस्ट्रारों के पास फर्मों के पंजीकरण का भी प्रावधान है। इस अधिनियम में आयकर उद्देश्यों हेतु फर्मों का पंजीकरण संबंधित आयकर अधिकारियों के पास होने के संबंध में अलग से उपबंध हैं।

कंपनी (राष्ट्रीय निधि में दान) अधिनियम, 1951

6.7 कंपनी (राष्ट्रीय निधि में दान) अधिनियम, 1951 में अधिनियमित किया गया था। कंपनी अधिनियम या अन्य विधि में विनिर्दिष्ट किसी बात के या कंपनी के संगम ज्ञापन या संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी अधिनियम के तहत कोई कंपनी सरकार द्वारा यथा अनुमोदित धर्मार्थ उद्देश्य के लिए स्थापित किसी अन्य निधि में दान कर सकती है। केन्द्र सरकार ने गांधी राष्ट्रीय स्मारक निधि और सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक निधि को दान प्राप्त करने के लिए पात्र निधि अनुमोदित किया है।

अध्याय–VII
परस्पर क्रियाशील एवं उत्तरदायी प्रशासन की ओर

7.1.1 कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कारपोरेट शासन के लिए बेहतर वातावरण सुनिश्चित कराने के लिए अनेक उपाय किए हैं। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने अपनी तरह का पहला आधुनिकतम पोर्टल mca.gov.in नाम से शुरू किया है। एमसीए21 नामक ई–गवर्नेंस परियोजना का पहला चरण अनेक उपलब्धियों के साथ दिनांक 16.01.2013 को पूर्ण हुआ। इसका उद्देश्य नवाचारी उपायों से मुख्यालय और बाह्य कार्यालयों में एक उत्तरदायी, पारदर्शी और गत्यात्मक शासकीय संरचना द्वारा शीघ्र, सस्ती और अवरोध मुक्त सेवाएं उपलब्ध कराना है।

मंत्रालय की वेबसाइट

7.1.2 मंत्रालय में एकल वेब पोर्टल mca.gov.in पर अपने नियामक कार्यकलाप केन्द्रित किए हैं जिनके माध्यम से एमसीए21 ईगवर्नेंस परियोजना कार्यान्वित की जाती है। यह पोर्टल मंत्रालय के कार्यकलापों और कार्यक्रमों से संबंधित तथ्यात्मक सूचना का झरोखा है। यह एमसीए सेवाओं संबंधी सभी रजिस्ट्री सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक फ्रंट ऑफिस के रूप में भी कार्य करता है।

7.1.3 मुख्य पृष्ठ पर मंत्रालय के चिन्ह के नीचे सात टैब हैं। ये इस प्रकार हैं :–

1. मुख्य पृष्ठ
2. संबद्ध कार्यालय
3. अधिनियम, विधेयक तथा नियम
4. निवेशक सेवाएं
5. सूचना एवं रिपोर्ट
6. सूचना का अधिकार
7. तत्काल जवाबी प्रश्न

मुख्य पृष्ठ

यह टैब मुख्य पृष्ठ से ही संबंधित है। इसमें मंत्रालय का नाम, उसके बजवर्डस, माननीय मंत्री महोदय के फोटो और उनका प्रोफाईल, मानेसर स्थित आईआईसीए के नए परिसर के उद्घाटन के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का भाषण और संबंधित वेब पेज के लिंक दिए गए हैं।

संबद्ध कार्यालय

इस शीर्षक के अंतर्गत संबद्ध कार्यालयों का विवरण ड्रॉपडाउन मेनू के रूप में दिया गया हैं। इस सूची में शासकीय समापक, कंपनी विधि बोर्ड, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान शामिल हैं।

अधिनियम, विधेयक तथा नियम

इस ब्राऊजर विंडों पर खुलने वाले एक नए पेज में कंपनी अधिनियम, 1956, संशोधन, विधेयक, नियम, मास्टर परिपत्र, परिपत्र और अधिसूचना के सूचियों तक पहुँचाने की कड़ी उपलब्ध कराई गई है।

निवेशक सेवाएं

इस शीर्षक के अंतर्गत ड्रॉपडाऊन मेनू के रूप में 'आईईपीएफ', 'वॉच आऊट इंवेस्टर्स', 'लोक शिकायतें' और 'नोडल अधिकारी' के लिंक उपलब्ध हैं। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुसार 'लोक शिकायत' शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीयकृत शिकायत पोर्टल *www.pgportal.gov.in* से लिंक उपलब्ध कराई गई है।

सूचना एवं रिपोर्टें

इस शीर्षक के अंतर्गत ड्रॉपडाऊन मेनू के रूप में अनेक दस्तावेज उपलब्ध हैं। इस सूची में वार्षिक रिपोर्टें, संकल्पना पत्र, कारपोरेट वृद्धि, अन्य रिपोर्टें, निधि कंपनियां, लुप्त कंपनियां, चिट फंड कंपनियां, एनबीएफसी कंपनियां, धारा 25 कंपनियां, वृक्षारोपण कंपनियां, एमसीए का मासिक सार, मासिक न्यूज लेटर, अयोग्य निदेशकों की सूची और एमसीए की रणनीतिक योजना दी गई है।

सूचना का अधिकार

इस शीर्षक के अंतर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसरण में जारी आदेशों तथा नियमों की जानकारी ड्रॉपडाऊन मेनू के रूप में उपलब्ध है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 एक महत्वपूर्ण विधान है जो सरकार के कार्यकरण से संबंधित सूचना प्राप्त करने का अधिकार नागरिकों को देता है। लिंक में केन्द्रीय जनसूचना अधिकारियों तथा अपीलीय अधिकारी के नाम, पता और संपर्क संख्या जैसे विवरण दिए गए हैं। इस खंड में मंत्रालय के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मंत्रालय और केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा जारी महत्पूर्ण आदेश भी उपलब्ध हैं।

तत्काल जवाबी प्रश्न

इस शीर्षक के अंतर्गत ड्रॉपडाऊन मेनू के रूप में नए विषय दिए गए हैं। इस सूची में सीएलएसएस, 2012, हिन्दी वेबसाईट, एक्सबीआरएल और फास्ट ट्रैक एक्जिट मोड शामिल है।

7.1.4 अगले स्तर में पांच आयकॅन हैं जो विभिन्न वेब पेज तक जाते हैं। ये हैं :

- कारपोरेट कार्य मंत्रालय के बारे में
- एमसीए21 (कंपनियां)
- सीमित देयता भागीदारी
- आईईपीएफ
- एमसीए पहल

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के बारे में : इसमें मंत्रालय के कार्यों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

एमसीए21 (कंपनियां): इसमें कंपनी संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एमसीए21 फ्रंट ऑफिस का लिंक है। 'एमसीए21 सेवाएं' के आयकॅन पर क्लिक करके एमसीए21 पोर्टल में जा सकते हैं जहां से अपेक्षित सेवाएं चुनी जा सकती हैं जैसे डिजिटल हस्ताक्षर, ई–फाइलिंग, डीआईएन आदि। एमसीए21 पोर्टल में ई–फार्म डाऊनलोड करने, ट्रांजेक्शन/ भुगतान की स्थिति ट्रैक करने, सार्वजनिक दस्तावेज, निवेशक शिकायतें, नियामक सेवाएं आदि की सुविधा उपलब्ध है। महत्वपूर्ण लिंक जैसे ई–स्टाम्प, प्राधिकृत बैंक, प्रमाणित फाइलिंग केन्द्र, सुविधा केन्द्र, ई–फाइलिंग के लिए सॉफ्टवेयर आदि पोर्टल के दायीं ओर 'लॉगइन' और 'नया उपभोक्ता पंजीकरण' के नीचे दिया गया है।

सीमित देयता भागीदारी: यह एलएलपी संबंधी सेवाएं प्राप्त करने के लिए एमसीए21 फ्रंट ऑफिस का एक लिंक है।

आईईपीएफ: वेबसाइट *www.iepf.gov.in* का लिंक।

एमसीए पहल: इसमें मंत्रालय द्वारा हाल ही में किए गए पहल प्रयास जैसे कानूनी सुधार, संस्थानों और व्यवस्था तथा लोगों से जुड़े मुद्दे दिए गए हैं।

मंत्रालय का दृष्टिकोण वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ के बायीं ओर दिया गया है।

मंत्रालय का दृष्टिकोण के नीचे मुख्य पृष्ठ के बायीं ओर भारत का नक्शा दिया गया है जिसमें कंपनी रजिस्ट्रारों की अवस्थिति दिखाई गई है। अपेक्षित स्थान पर कर्सर ले जाने से संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार

सोमवार मार्च 11, 2013 3:47:47 सायं English | हिन्दी Search... Search

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
भारत सरकार

सशक्त व्यापार, सुरक्षित निवेशक
नियामक • समाकलक • सुविधादाता • शिक्षक

मुख्य पृष्ठ | संबद्ध कार्यालय | अधिनियम, विधेयक तथा नियम | निवेशक सेवाएँ | सूचना एवं रिपोर्ट | सूचना का अधिकार | तत्काल जवाबी प्रश्न |

एमसीए के बारे में | कंपनी | सीमित देयता भागीदारी | आईईपीएफ वेबसाइट | मंत्रालय की पहलें

मंत्रालय का दृष्टिकोण

"प्रबुद्ध विनियमन द्वारा कारपोरेट विकास को सुसाध्य बनाना"

Sh. Sachin Pilot has taken charge as Minister of State for Corporate Affairs (I / C) from 28.10.2012.

Profile

Sh. Sachin Pilot

Hon'ble Minister for Corporate Affairs Sh. Sachin Pilot meets Industry leaders on CSR

क्षेत्रीय निदेशक

शासकीय समापक

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के दिशा-निर्देश 2009

- कारपोरेट गवर्नेंस स्वैच्छिम दिशा-निर्देश 2009
- कारपोरेट सामाजिक जवाब देयता स्वैच्छिम दिशा-निर्देश 2009

हिंदी पोर्टल का यूनिक विजिटर कांउट *

0000036508

** 11 जनवरी 2012 के बाद से*

Speech by Honorable Prime Minister Shri Manmohan Singh at the inauguration ceremony of Indian Institute of Corporate Affairs Campus (13th April 2012 at IMT Manesar)

The Companies Bill, 2012 as passed by Lok Sabha on 18th December, 2012

- Download Companies Bill, 2012 as passed by Lok Sabha on 18th December, 2012

XBRL

- C&I companies
- Costing taxonomy
- XBRL validation tool

सूचना

A Webinar for ICAI-CMA webinar to be held on October 05, 2012 at 3:30 PM
The webinar platform allows participation by about 200 no. of participants from across the country. The attendees can raise their queries on the subject through chat mode.
Link for Registration to Webinar
http://members.icwai.org/members/WebinarForm.asp

टिप्पणियाँ आमंत्रित

अभिलेख...

महत्वपूर्ण लिंक

- **Filling up the post of Director General in the Competition Commission of India on deputation basis.**
- **PHONE NUMBERS OF DIN CELL AND HELP DESK w.e.f. 17.01.2013**
- **Public Notice for change of address of OL, Delhi to new premise at Khan market wef 1st January,2013**
- **Voluntary guidelines for companies for providing general information on their websites**
- भारतीय लेखाकारिता मानक
- संशोधित अनुसूची-VI (दिनांक 01.04.2011 से प्रभावी)
- अधिसूचनाएँ
- जन-शिकायतें

हितधारक कॉर्नर

- समाचार एवं घटनाएं
- निविदाएं एवं दरें
- प्रेस विज्ञप्ति
- ई-फाइलिंग के लिए शर्त सॉफ्टवेयर
- आरएफडी
- आरएसएस फीड

XBRL Website

शासकीय समापक

india.gov.in

कर्मचारी कार्नर

संसद प्रश्न / आश्वासन

Principal Accounts Office

फोटो गैलरी

लिंक अभिलेख

- "द्रुतगामी निकास" (एफटीई) मोड हेतु दिशा-निर्देश
- भारत निवेशक सप्ताह 2010
- कंपनियों के लिए नाम उपलब्धता संबंधी दिशा-निर्देश
- आरएफडी 2010-11
- मंत्रालय की हिन्दी पत्रिका "कारपोरेट प्रवाहिनी" के सातवें अंक का प्रकाशन।

More...

महत्वपूर्ण वेब लिंक...

सीएलबी | सीएटी | आईसीएआई | आईसीएसआई | आईसीडब्ल्यूएआई | एसएफआईओ | सीसीआई | आईआईसीए | एनएफसीजी | Invest India

यह साइट कारपोरेट कार्य मंत्रालय के स्वामित्व में है

सूचना का अधिकार | साईटमैप | संपर्क करें | प्रत्याख्यान | गोपन नीति

अंतिम अद्यतन: शुक्रवार, मार्च 1, 2013. साईट का सर्वोत्तम दर्शन 1024x768 समाधान में उपलब्ध है

अध्याय–VII

के विवरण जैसे पता, दूरभाष संख्या, फैक्स और ई–मेल आईडी देखे जा सकते हैं।

वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ के अंत में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान, राष्ट्रीय कारपोरेट शासन प्रतिष्ठान, वॉचआऊट इंवेस्टर, इंवेस्टर हेल्पलाइन आदि से संबंधित महत्वपूर्ण लिंक दिए गए हैं।

ई–गवर्नेंस

7.2.1 एमसीए21 भारत में व्यापार की सुविधा की दृष्टि से कार्यान्वित की जा रही एक ई–गवर्नेंस मिशन मोड परियोजना है जो सेवा सुपुर्दगी में उपभोक्ता अनुकूल, कुशल और सस्ता माध्यम है।

7.2.2 एमसीए21 परियोजना में सरकारी सेवाओं के डिजाइन और सुपुर्दगी में सेवा आधारित दृष्टिकोण अपनाया है जिसके द्वारा हितधारक इसकी अवस्थापना के माध्यम से किसी भी समय, किसी भी स्थान से और आसानी से एमसीए सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रणाली में सुपरिभाषित उद्देश्यों और निष्पादन मानदंडों द्वारा हितधारक सुविधा तथा नियंत्रण के बीच उचित संतुलन बिठाया गया है।

7.2.3 हालांकि एमसीए21 नागरिकों और कारपोरेट दोनों के लिए ही बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है तथापि चालू वर्ष नए प्रयासों की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहा है जिसमें नए ऑपरेटर का चयन और नए ऑपरेटर को कार्यकलापों का अंतरण करना शामिल है।

नई पहल

◆ एनईएफटी द्वारा ऑनलाइन भुगतान

7.2.4 एमसीए21 में कंपनियों को तीन प्रकार से भुगतान की अनुमति दी गई थी : क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग (6 नामित बैंक) और पेपर चालान। इन सभी भुगतान के तरीकों की कुछ सीमाएं थीं जैसे कंपनियों का 6 निर्दिष्टि बैंकों के अलावा किसी अन्य बैंक में खाता होना तथा चालान फाइल करने के लिए निर्दिष्ट बैंक की शाखाओं में व्यक्तिगत रूप से जाना। राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक राशि अंतरण (एनईएफटी) से कंपनियां इस सुविधा का प्रयोग करके ई–भुगतान कर सकती हैं चाहे उनका खाता किसी भी बैंक में हो।

एनईएफटी के मुख्य लाभः

- प्रापक का प्रयास कम करना (शाखा में जाना आवश्यक नहीं है)
- राशि अंतरण का समय कम करना (2 से 5 घंटे)
- बैंकों की सीमित संख्या पर निर्भरता में कमी

◆ एलएलपी का एमसीए21 प्रणाली के साथ एकीकरण

7.2.5 कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) के ई गवर्नेंस प्रणाली को एमसीए21 प्रणाली के साथ एकीकरण करके एक अन्य उपलब्धि प्राप्त की है। एमसीए21 के साथ एकीकरण होने के बाद अब एलएलपी फार्मों की फाइलिंग और अनुमोदन एमसीए21 वेबसाइट (*www.mca.gov.in*) के माध्यम से किया जा सकेगा और हितधारक एमसीए21 की सभी मौजूदा सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।

◆ डीआईएन–डीपीआईएन एकीकरण

7.2.6 डीआईएन (निदेशक पहचान संख्या) और डीपीआईएन (निदेशक/भागीदार पहचान संख्या) का एकीकरण कारपोरेट कार्य मंत्रालय का एक प्रमुख

प्रयास है। डीआईएन/डीपीआईएन किसी व्यक्ति से जुड़ी पहचान है अतः इसे फर्म के प्रकार (भागीदारी अथवा लिमिटेड कंपनी) से स्वतंत्र रखा जाना उचित समझा गया। प्रणाली में पहचान की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सहज एकीकरण किया गया। इससे महत्वपूर्ण नियामकों और कंपनियों को एमसीए21 प्रणाली के माध्यम से जांच रखने में मदद मिली है।

◆ डीआईएन को ऑनलाइन जारी करना

7.2.7 निदेशक पहचान संख्या किसी कंपनी के निदेशक द्वारा दस्तावेज फाइल करने और जारी करने के लिए आवश्यक है। कंपनियों के लिए ऑनलाइन फाइल करने अथवा किसी सेवा के लिए ऑनलाइन अनुरोध करने के लिए डीआईएन प्राप्त करना जरूरी है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा एमसीए21 प्रणाली के माध्यम से व्यवसायरत पेशेवरों (कंपनी सचिव/चार्टर्ड अकाउंटेंट/लागत लेखाकार) के सत्यापन और डिजिटल हस्ताक्षर के साथ ऑनलाइन डीआईएन जारी किया जाता है। इससे कारपोरेट जगत में काफी परिवर्तन आया है। कंपनियों के लिए एक नया निदेशक नियुक्त करना अथवा निदेशक का परिवर्तन करना काफी आसान हो गया है। फिलहाल डीआईएन कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन लिया जा सकता है। एमसीए21 प्रणाली में पहचान विवरण की ऑनलाइन जांच के लिए पैन डाटाबेस के साथ एकीकरण भी किया गया है।

◆ एक्सबीआरएल फाइलिंग

7.2.8 फाइलिंग तथा डाटाबेस अद्यतन के लिए वैश्विक मानकों को अपनाने के प्रयास में कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कुछ विशेष श्रेणी की कंपनियो के लिए सभी दस्तावेज एक्सबीआरएल (विस्तारणीय व्यापार रिपोर्टिंग भाषा) में दाखिल करना अनिवार्य कर दिया है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने इस परियोजना का सहज कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारक जैसे सॉफ्टवेयर कंपनियों, कार्यान्वयन एजेंसियों, पेशेवरों तथा कंपनियों को भी शामिल किया है। कारोपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा सीधे और इसकी तीन पेशेवर संस्थाओं जैसे आईआईसीए, आईसीएआई, आईसीएसआई और आईआईसीए के माध्यम से एक्सबीआरएल फाइलिंग के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

7.2.9 कारपोरेट वित्तीय रिपोर्टिंग के अनुशासन में सुधार के लिए मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2010–11 से चुने हुए वर्गों की कंपनियों के लिए तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण, निदेशक तथा लेखापरीक्षक रिपोर्ट आदि की फाइलिंग के लिए एक्सबीआरएल (विस्तारणीय व्यापार रिपोर्टिंग भाषा) लागू की है। कंपनी अधिनियम, 1956 की नई अनुसूची–VI लागू होने के साथ ही वित्त वर्ष 2011–12 के लिए एक संशोधित टेक्सोनॉमी और वैलिडेशन टूल का प्रयोग करके एक्सबीआरएल में वित्तीय विवरण फाइल करना अनिवार्य कर दिया गया। इसके अलावा कंपनियों द्वारा लागत लेखापरीक्षा और अनुपालन रिपोर्टों की फाइलिंग भी वित्त वर्ष 2011–12 से एक्सबीआरएल में ही की जा रही हैं।

7.2.10 सरकार द्वारा कंपनियों का नियमन एवं अनुपालन सुधारने के अतिरिक्त एक्सबीआरएल कंपनियों को उनका आंतरिक प्रबंधन सुधारने, हितधारक जागरुकता बढ़ाने, उनकी अनुषंगी कंपनियों और एसोसिएट आदि पर बेहतर नियंत्रण में सहायता देती है। इसके अलावा एक्सबीआरएल कारपोरेट क्षेत्र के आंकड़ें प्रयोक्ताओं जैसे निवेश बैंकों एवं संस्थानों, रेटिंग एजेंसियों, नीति निर्माताओं आदि को भी महत्वपूर्ण लाभ उपलब्ध कराती है।

एक्सबीआरएल फाइलिंग के मुख्य लाभ

- संबंधित आंकड़ों पर टैग उपलब्ध होने के कारण विभिन्न सरकारी तथा नियामक

एजेंसियों द्वारा विशिष्ट प्रयोजन के लिए चुनिंदा जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

- यह वैश्विक रिपोर्टिंग मानकों के अनुरूप है जो बेहतर ढ़ंग से आंकड़े निकालने और संबंधित सूचना ढूंढ़ने में मदद करती है।

◆ 24–48 घंटे के अंदर कंपनी पंजीकरण

7.2.11 भारत में किसी कंपनी का पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित कदम अनिवार्य हैं:

- डीआईएन प्राप्त करना
- अनन्य नाम प्राप्त करना
- कंपनी रजिस्ट्रार से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना

7.2.12 किसी नई कंपनी का पंजीकरण करने की पूरी व्यवस्था, अनन्य नाम लेना और पंजीकरण प्रमाण पत्र लेने और प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए एमसीए21 प्रणाली के माध्यम से कारपोरेट कार्य मंत्रालय में भारत में कंपनियों का पंजीकरण 24 से 48 घंटे में करना संभव कर दिया है। इस प्रणाली से न केवल प्रतीक्षा समय कम हुआ है बल्कि नया नाम जारी करते समय होनी वाली त्रुटियों में कमी हुई है।

◆ समस्त भारत के लिए ई–मुद्रांकन

7.2.13 फिलहाल भारत के सभी राज्य और संघ शासित प्रदेशों में एमसीए सेवाओं की ई–मुद्रांकन योजना लागू है। इसके साथ ही सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में पंजीकृत कंपनियां एमसीए सेवाओं के लिए ऑनलाइन इ–मुद्रांकन की सुविधा ले सकती हैं। यह मंत्रालय का एक अद्वितीय पहल है जिसमें विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से ऑनलाइन भुगतान एकत्र किया जाता है और बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के संबंधित राज्यों में जमा कर दिया जाता है। यह पहल मुद्रांकित कागजों की आवश्यकता को कम करने वाला एक हरित पहल भी है। इस प्रयास को विश्व बैंक द्वारा सराहा गया जिसने इसे एक संघीय संरचना में ई–शासन प्राप्त करने की दिशा में अग्रणी पहल बताया।

◆ इलेक्ट्रोनिक मोड में भुगतान

7.2.14 सेवा सुपुर्दगी में लगने वाले समय को कम करने के लिए 50000 रुपए तक का भुगतान इलेक्ट्रोनिक मोड से करना अनिवार्य कर दिया गया है। 50000 रुपए से अधिक मूल्य के भुगतान के लिए हितधारक के पास इलेक्ट्रोनिक मोड अथवा पेपर चालान से भुगतान करने का विकल्प है।

◆ प्रत्यावर्तन तथा वापसी प्रक्रिया

7.2.15 इलेक्ट्रोनिक प्रणाली में तकनीकी अथवा प्रणाली खराबी के कारण एनईएफटी के माध्यम से किए गए कई गुणा और अधिक भुगतान के मामलों और गलत भुगतान के लिए एक प्रत्यावर्तन तथा वापसी प्रक्रिया शुरू की गई है।

◆ एमसीए21 का नए ऑपरेटर को अंतरण और जारी रखने का चक्र

7.2.16 एमसीए21 के समकालीन ऑपरेटर के साथ 6 वर्ष की संविदा 16.1.2013 को समाप्त हुई और मंत्रालय ने एक निष्पक्ष तथा पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया द्वारा नए ऑपरेटर का चयन सफलतापूर्वक कर लिया है।

7.2.17 17.1.2013 को शुरू होने वाले अनुक्रम चक्र में प्रणाली में नेटवर्क बैंडविड्थ, एसएपी सीआरएम तथा वर्क फ्लो, उन्नत तकनीक वाला हार्डवेयर तथा बेहतर मॉनीटरिंग उपायों के साथ सुधार होगा।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

7.3 भारतीय व्यवसाय परिवेश लगातार वैश्विक व्यवसाय परिवेश के साथ एकाकार हो रहा है। विश्व में हो रही गतिविधियों को समझने एवं कारपोरेट शासन, कारपोरेट सामाजिक दायित्व एवं लेखांकन व्यवसाय के विकास के क्षेत्र में मंत्रालय की पहलों को दुनिया के सामने लाने के लिए मंत्रालय ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग प्रारंभ किया है जिनमें कारपोरेट रजिस्टर्स फोरम (सीआरएफ), लेखांकन एवं कारपोरेट विनियामक प्राधिकरण (एसीआरए), अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अमेरिकी व्यवसाय अग्रणी, ग्लोबल रिपोर्टिंग पहलें (जीआरआई), दिवालिया विनियामकों का अंतर्राष्ट्रीय संघ (आईएआईआर), आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी), संघीय व्यापार आयोग, अमेरिका, न्याय विभाग, अमेरिका, उद्योग एवं व्यवसाय हेतु राज्य प्रशासन (एसएआईसी), जापान शामिल है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय भारतीय लेखांकन मानकों का अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) आदि के साथ सुमेलन सुनिश्चित करने हेतु केन्द्रीय मंत्रालय है।

कार्यालय अवस्थापना में सुधार

7.4 अवस्थापना अनुभाग भूमि अधिग्रहण, खरीदी हुई भूमि पर भवन निर्माण, कार्यालय स्थान हेतु बने बनाए भवन की खरीद एवं पुनरुद्धार हेतु इन कार्यालय स्थानों की फर्नीशिंग एवं जीर्णोद्धार द्वारा मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों को बेहतर अवस्थापना उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। 2010–11 के दौरान तथा चालू वर्ष (31.12.2012 तक) में उपब्धियाँ निम्नवत हैं:

2010–11 के दौरान उपलब्धियाँ:

(i) कटक में कारपोरेट भवन शुरू हो गया है और कंपनी रजिस्ट्रार–सह–शासकीय समापक, ओडिशा ने नए भवन से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है।

(ii) बी–1 विंग, पहला तल, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली के पुनरुद्धार का कार्य पूरा करके एसएफआईओ को सौंप दिया गया है।

(iii) अनुसंधान एवं विश्लेषण प्रभाग तथा लागत लेखापरीक्षा शाखा बी–1 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली में स्थानांतरित हो गई हैं और एनबीसीसी को पुनरुद्धार करने का कार्य सौंपा गया है।

(iv) एनबीसीसी ने हैदराबाद में कारपोरेट भवन निर्माण कार्य शुरू कर दिया है।

(v) मंत्रालय को संपदा निदेशालय द्वारा लोक नायक भवन, नई दिल्ली में 23,000 वर्ग फुट कार्यालय स्थान आवंटित किया गया है।

(vi) मंत्रालय एनसीएलटी बैंच को स्थान देने हेतु आरओसी भवन, गोवा में अतिरिक्त तल के निर्माण की प्रक्रिया में है।

(vii) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा राजाजी सालै चेन्नई में खरीदी गई संपत्ति का विक्रय विलेख संबंधित उप रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत कराया गया है।

चालू वर्ष (31.12.2012 तक) के दौरान उपलब्धियाँ:

(i) रहेजा टावर, बेंगलुरू में खरीदी गई संपत्ति का विक्रय विलेख संबंधित उप रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत किया गया है।

(ii) लंबे समय से किए गए प्रयास के बाद मंत्रालय संपदा निदेशालय

द्वारा ब्लॉक–3, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली से 30,000 वर्गफुट स्थान आवंटित कराने में सफल हुआ है। मंत्रालय आवंटित स्थल में क्षेत्रीय निदेशक (उत्तर क्षेत्र) तथा कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली को स्थानांतरित करने पर विचार कर रहा है।

(iii) प्रतिस्पर्धा अपीलीय ट्रिब्यूनल ने सम्पदा निदेशालय से अपने नाम से आवंटन प्राप्त करने के बाद एकल स्थल अर्थात् कोटा हाउस एनेक्सी से कार्य करना शुरू कर दिया है। उनके द्वारा जवाहर व्यापार भवन का किराया परिसर खाली कर दिया गया है।

(iv) मंत्रालय ने 5, एस्पेनेड रो (वेस्ट), कोलकाता के नए आवंटित कार्यालय परिसर का नवीकरण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के माध्यम से शुरु किया है।

(v) 8वां तल, लोक नायक भवन स्थित शासकीय समापक, दिल्ली के कार्यालय स्थल का नवीकरण पूरा कर लिया गया है और शासकीय समापक कार्यालय ने दिनांक 1.1.2013 से नए स्थान से कार्य करना शुरू कर दिया है।

(vi) मंत्रालय हैदराबाद स्थित कारपोरेट भवन का निर्माण समय पर पूरा करने के लिए प्रगति की निरंतर निगरानी कर रहा है।

अधिकारियों तथा कर्मचारियों की शिकायतों का निपटान

7.5 अधिकारियों तथा कर्मचारियों की शिकायतों के निपटान की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय में एक स्टाफ परिषद है, जो कि एक निर्वाचित निकाय है। स्टाफ परिषद की अध्यक्षता प्रशासन के प्रभारी संयुक्त सचिव द्वारा की जाती है। इसकी दो महीने में एक बार बैठक होती है और सभी शिकायतों तथा समस्याओं पर चर्चा की जाती है और उन्हें मंच पर सुलझाया जाता है। यह मंत्रालय में अच्छे वातावरण के निर्माण में बहुत ही प्रभावी तंत्र सिद्ध हुआ है।

सतर्कता

7.6 मंत्रालय के सतर्कता विंग के प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) अपर सचिव स्तर के होते हैं और उनके सहायतार्थ एक उप–सचिव, एक अवर सचिव एवं अन्य सहायक कर्मचारी हैं। सतर्कता विंग निम्नलिखित कार्य करता है:–

- व्यक्तियों से प्राप्त एवं/या सीबीआई/सीवीसी/प्रधानमंत्री कार्यालय जैसे संगठनों से संदर्भित शिकायतों की जांच संबंधित प्रशासनिक प्रभागों/संगठनों से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त करके की जाती हैं। शिकायतों की प्रकृति के अनुसार किसी विशिष्ट मामले में प्राथमिक जांच का आदेश भी दिया जाता है। यदि प्रथम दृष्ट्या कोई तथ्यात्मक मामला बनता है तो नियमित विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जाती है।
- भ्रष्टाचार की संभावना वाले क्षेत्रों की पुनरीक्षा एवं प्रक्रियाओं का सुदृढ़ीकरण। यह ध्यान देने योग्य है कि एमसीए–21 परियोजना एक प्रमुख पहल है जिसने सार्वजनिक संवाद में कमी की है एवं पारदर्शिता लाई है जिससे भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम हुई है।
- सतर्कता कार्यकलापों पर मासिक प्रतिवेदन सीवीसी को उपलब्ध कराना।
- केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के तहत अनुमति देने पर विचार, सतर्कता

अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने, वार्षिक संपत्ति विवरण की प्रक्रिया एवं मंत्रालय (मुख्यालय) के सभी अधिकारियों, आईसीएलएस को छोड़कर, वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों से संबंधित मामले भी देखता है।

- चालू वर्ष (31.12.2012 तक) के दौरान, ग्यारह विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई विभिन्न स्तरों पर लंबित थी। एक और मामले में एक आईसीएलएस अधिकारी को सेवा से हटाकर प्रमुख शास्ति लगाई गई है। एक मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत नियमित विभागीय कार्रवाई शुरू करने के अतिरिक्त अभियोजन की स्वीकृति जारी की गई। 8 पंजीकृत शिकायतों में से दो शिकायतों का निपटान कर दिया गया।
- अवधि के दौरान अधिकारियों व कर्मचारियों में जागरूकता पैदा करने व बढ़ावा देने के लिए 31.10.2012 से 05.11.2012 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

लिंग संबंधी मुद्दे

7.7 कार्य आबंटन पदनाम के आधार पर किया जाता है। अतः रिपोर्ट की अवधि के संबंध में लिंगीय विभेद का कोई मामला या कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

भारतीय कारपोरेट विधि सेवा

7.8.1 पूर्व भारतीय कंपनी विधि सेवा का नाम नवंबर, 2008 में बदलकर भारतीय कारपोरेट विधि सेवा (आईसीएलएस) किया गया। आईसीएलएस का उद्देश्य कारपोरेट विधि में मानव संसाधन उपलब्ध कराना, निगमन, नियमन, निवेशक संरक्षण तथा कारपोरेट सामाजिक दायित्व सहित कारपोरेट कानून प्रभावी प्रवर्तन करना तथा देश में कारपोरेट शासन लागू करना है। आईसीएलएस की संकल्पना आज के वैश्विक परिवेश में निजी क्षेत्र के कार्यकरण की महत्वपूर्ण मॉनीटरिंग तथा संगठनात्मक कार्यक्षमता व बेहतर सेवा सुपुर्दगी के लिए की गई है।

7.8.2 एक बृहत संवर्ग समीक्षा की गई एवं संवर्ग संख्या में लेखा एवं विधि शाखा का विलय करके उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड स्तर पर महानिदेशक, कारपोरेट कार्य का एक पद एवं वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर पर 4 पद सहित विभिन्न स्तरों पर 60 नए पद सृजित करते हुए इसे 231 से बढ़ा कर 291 कर दिया गया। कनिष्ठ समय–मान स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती का प्रावधान करने हेतु भर्ती नियमों का संशोधन कर उसे अधिसूचित भी कर दिया गया है तथा आईसीएलएस में उच्च पदों पर सीधी भर्ती बंद कर दी गई है। अधिकारियों को भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान, जो कि नए भर्ती अधिकारियों के प्रवेश प्रशिक्षण एवं सेवा के वर्तमान सदस्यों की सेवा अवधि में प्रशिक्षण दोनों के लिए उत्तरदायी है, द्वारा प्रबंधन, विधि, लेखांकन, व्यवसाय, वित्त एवं अर्थशास्त्र जैसे विषयों में प्रशिक्षित किया जाएगा।

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

7.9 कारपोरेट कार्य मंत्रालय सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने हेतु राजभाषा विभाग द्वारा तय लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। वर्ष के दौरान की गई कुछ महत्वपूर्ण कार्यकलाप निम्नवत् हैं:–

(1) संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप–समिति ने कंपनी रजिस्ट्रार, जम्मू व कश्मीर तथा कंपनी रजिस्ट्रार, कोच्चि का निरीक्षण क्रमशः दिनांक 10.07.2012 और 05.11.2012 को किया।

(2) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत पत्र द्विभाषी रूप में जारी किए जा रहे हैं।

(3) राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अनुसार हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाता है।

(4) हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में प्रशिक्षण देने के लिए मंत्रालय में दिनांक 03.05.2012 को एक कार्यशाला आयोजित की गई।

(5) मंत्रालय की अर्ध–वार्षिक हिन्दी पत्रिका 'कारपोरेट प्रवाहिनी' का छठा अंक 29.10.2012 को प्रकाशित किया गया।

(6) मंत्रालय द्वारा दो क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया गया और वित्त वर्ष के अंत तक कुछ अन्य कार्यालयों के निरीक्षण होगा।

(7) मंत्रालय में दिनांक 10.09.2012 से 24.09.2012 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को माननीय कारपोरेट कार्य मंत्री ने दिनांक 26.09.2012 को आयोजित समारोह में पुरस्कार प्रदान किए। मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों में भी इसी प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

प्रकाशन

7.10 मंत्रालय ने चालू वर्ष (31.12.2012 तक) के दौरान निम्नलिखित रिपोर्टें प्रकाशित किए:–

(क) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 638 के उपबंधों के अनुसरण में कंपनी अधिनियम, 1956 के कार्य एवं प्रशासन पर वार्षिक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है। 31.03.2011 की 55वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2012 में संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी गई।

(ख) वर्ष 2011–12 हेतु भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की तृतीय वार्षिक रिपोर्ट प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 53 के तहत वर्ष 2012 में संसद के दोनों सदनों के पटलों पर रखी गई।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

7.11 मंत्रालय में अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) एवं अन्य पिछड़े वर्गों (अ.पि.व.) का प्रतिनिधित्व **तालिका 7.1** में दर्शाया गया हैं:–

तालिका 7.1
सरकारी सेवकों की कुल संख्या एवं उसमें अ.जा., अ.ज.जा. एवं अ.पि.व. की संख्या (31.12.2012 को यथाविद्यमान)

समूह	कर्मियों की कुल संख्या	कुल कर्मियों में वर्गों के कर्मियों की संख्या		
		अजा	अजजा	अपिव
समूह 'क'	279	41	23	39
समूह 'ख'	409	67	25	33
समूह 'ग'	489	112	52	62
योग	1,177	220	100	134

परिणाम संरचना दस्तावेज

7.12 सरकारी निष्पादन संबंधी उच्च स्तरीय समिति ने मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर मंत्रालय के निष्पादन की पुनरीक्षा की। उच्च स्तरीय समिति ने वर्ष 2011–12 के लिए 90.80 अंक दिए। 2011–12 के लिए निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट जिसमें वास्तविक स्कोर दिया गया है और वर्ष 2011–12 के लिए परिणाम संरचना दस्तावेज क्रमशः **अनुलग्नक–VI** और **अनुलग्नक–VII** में दिए गए हैं। वर्ष 2012–13 के लिए परिणाम संरचना दस्तावेज मंत्रालय की वेबसाइट (*www.mca.gov.in*) पर भी उपलब्ध है।

राजस्व प्राप्तियां तथा व्यय

7.13 मंत्रालय की राजस्व प्राप्तियों तथा व्यय (योजना एवं गैर–योजना) का विवरण नीचे (**तालिका 7.2** और **तालिका 7.3**) में दिया गया है।

तालिका – 7.2
राजस्व प्राप्तियां

(रुपए करोड़ में)

2009–10	2010–11	2011–12	2012–13*
(1)	(2)	(3)	(4)
1235.83	1494.05	1462.83	1113.34

* दिसंबर, 31.12.2012 तक

तालिका – 7.3
व्यय (योजना एवं गैर–योजना)

(करोड़ रुपए में)

वर्गीकरण	वास्तविक व्यय 2011–12	2012–13			बजट अनुमान 2013–14
		बजट आकलन	संशोधित आकलन	वास्तविक व्यय*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गैर–योजना	199.97	213.50	201.22	150.15	221.28
योजना	27.99	32.00	28.00	20.62	34.00
योग	277.96	245.50	229.22	170.77**	255.28

* दिसम्बर 31.12.2012 तक

** 6.48 करोड़ रुपये अधिकारित व्यय सहित।

अनुलग्नक

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
दूरभाष निर्देशिका

नाम	पदनाम	कार्यालय दूरभाष/फैक्स	आवासीय दूरभाष
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार			
माननीय श्री सचिन पायलट	**राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**	23073804 23073805 23073806 (फैक्स)	23795060 23795070 23795080 (फैक्स)
श्री अमन दीप सिंह	निजी सचिव	–वही–	–वही–
श्री आकाश तोमर	अतिरिक्त निजी सचिव	–वही–	–वही–
श्री आई. जोसेफ मनोहरन	अतिरिक्त निजी सचिव	–वही–	–वही–
सचिव, भारत सरकार			
श्री नवेद मसूद	**सचिव**	23382324 23384017 23384257 (फैक्स)	23384252
श्री वी. एस. मनियन	वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव	–वही–	23221762
श्री एस.पी.एस. रावत	निजी सचिव	–वही–	24621782
अपर सचिव, भारत सरकार			
श्री एम. जे. जोसेफ	**अपर सचिव**	23383180 23386068 (फैक्स)	23388342
श्री जी. स्वामीनाथन	निजी सचिव	–वही–	
संयुक्त सचिव, भारत सरकार			
श्रीमती अंजली आनंद श्रीवास्तव	**संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार**	23384211 23387528 (फैक्स)	
श्री बी.एल. छिब्बर	प्रधान निजी सचिव	–वही–	
श्रीमती रेणुका कुमार	**संयुक्त सचिव**	23074056, 23384380 23384391 (फैक्स)	
श्रीमती शैलजा पिल्लई	प्रधान निजी सचिव	–वही–	26181662
श्री मनोज कुमार	**संयुक्त सचिव**	23383345 23074026 (फैक्स)	
श्री आर.सी. साहू	निजी सहायक	–वही–	

नाम	पदनाम	कार्यालय दूरभाष/फैक्स	आवासीय दूरभाष
श्री सुरेश पाल	**संयुक्त सचिव**	23389602 23074212 (फैक्स)	24604613
श्री ई. नटराजन	प्रधान निजी सचिव	–वही–	
श्री मुख्तियार सिंह	निजी सचिव	–वही–	26174815
निदेशक, जांच एवं निरीक्षण			
श्री यू.सी. नाहटा	**निदेशक, जाचं एवं निरीक्षण**	23381226 (टेली फैक्स)	24121585
श्री एच. श्रीवास्तव	निजी सचिव	–वही–	
आर्थिक सलाहकार			
श्रीमती सिबानी स्वाईं	**आर्थिक सलाहकार**	23385010 (टेली फैक्स)	26898225
श्री एस.एम. दास	निजी सचिव	–वही–	
निदेशक			
श्री आलोक कुमार	निदेशक	23382386 (टेली फैक्स)	9868110201
श्रीमती उर्वशी कुमार	निजी सहायक	–वही–	
श्री अनिल कुमार भारद्वाज	निदेशक	23070954	
श्रीमती नमिता बक्शी	निजी सचिव	–वही–	
श्री पंकज श्रीवास्तव	निदेशक	23389263	
श्रीमती शैलजा रतूड़ी	निजी सहायक	–वही–	
श्री नवनीत चौहान	निदेशक	23384470	
श्रीमती संतोष	निजी सहायक	–वही–	
श्री बी. कोटेश्वर राव	निदेशक	23389403	
श्रीमती रजनी मैथानी	निजी सचिव	–वही–	
उप सचिव, भारत सरकार			
श्री जे.एस. औधखासी	उप सचिव	23381615	
श्रीमती सुषमा कटारिया	उप सचिव	23381664	
श्रीमती रीता डोगरा	उप सचिव	23389227	
श्री बी.पी. पंत	उप सचिव	23389204	28052512
श्री मोहन दास एम.	निजी सहायक	–वही–	
संयुक्त निदेशक			
श्री बी.के.एल. श्रीवास्तव	संयुक्त निदेशक (विधि)	23070728	0123–2255308
श्रीमती सुषमा सिकरी	निजी सचिव	–वही–	25490095
श्री पी.के. बट्टा	संयुक्त निदेशक	23073230	
श्री आलोक सामंतराय	संयुक्त निदेशक	23385285	
श्रीमती दुर्गेश नंदिनी	निजी सहायक	–वही–	

नाम	पदनाम	कार्यालय दूरभाष/फैक्स	आवासीय दूरभाष
श्री जे.एन. टिक्कू	संयुक्त निदेशक	23384657	0123–2255388
श्रीमती जया एस. अरोड़ा	प्रधान निजी सचिव	–वही–	
श्री एल.आर. मीना	संयुक्त निदेशक	23385285	
श्रीमती मंजीत गुप्ता	निजी सचिव	–वही–	
श्री संजय शौरी	संयुक्त निदेशक	23389622	
उप निदेशक			
श्री विनोद शर्मा	उप निदेशक	23385382	
श्री आर.के. बक्शी	उप निदेशक	23073230	
श्री संजय सूद	उप निदेशक	23389745	
श्री संजय गुप्ता	उप निदेशक	23384657	
श्री श्याम सुन्दर	उप निदेशक	23384158	
श्री एन.के. दुआ	उप निदेशक	23071190	
श्री एम. एस. पचौरी	उप निदेशक	23386065	
अवर सचिव, भारत सरकार			
श्री क्षितीश कुमार	अवर सचिव	23389782 (टेली फैक्स)	
श्री आर.सी. टली	अवर सचिव	23073734	
श्री जे.बी. कौशिश	अवर सचिव	23387939	95124–2333763
श्री एल.के. त्रिवेदी	अवर सचिव	23389782 (टेली फैक्स)	
श्री राकेश कुमार	अवर सचिव	23389298	
श्री बी.पी. बिमल	अवर सचिव	23073017	
श्री रवि वाजीरानी	अवर सचिव	23386065	
श्री आर.के. पाण्डेय	अवर सचिव	23383507	
श्री जी.पी. सरकार	अवर सचिव	23381349	
श्री अनिल कुमार	अवर सचिव	23381243	9350356209
श्री अनिल पराशर	अवर सचिव	23381243	
सहायक निदेशक			
श्री पुनीत कुमार दुग्गल	सहायक निदेशक	23389745	
श्री परविन्दर सिंह	सहायक निदेशक	23385382	
श्री अनिमेष बोस	सहायक निदेशक	23071190	
श्रीमती मोनिका गुप्ता	सहायक निदेशक	23387263	

नाम	पदनाम	कार्यालय दूरभाष/फैक्स	आवासीय दूरभाष
श्रीमती सीमा रथ	सहायक निदेशक	23387263	
सुश्री रीता सूद	सहायक निदेशक (राजभाषा)	23388512	
श्री इकबाल हुसैन अंसारी	सहायक निदेशक	23381288	
श्री मंजीत सिंह	सहायक निदेशक	23384479	
श्रीमती अंशु टंडन	सहायक निदेशक	23389745	
श्रीमती कामना शर्मा	सहायक निदेशक	23387263	
श्री ए. के. बहल	सहायक निदेशक	23387263	
सुश्री अनू सिंह	सहायक निदेशक	23387263	
श्री के.एम.एस नारायण	सहायक निदेशक	23387263	
श्रीमती लता सिसोदिया	सहायक निदेशक	23387263	
लागत लेखा शाखा बी–1 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003			
श्री बी.बी. गोयल	**सलाहकार (लागत)**	24366284 24366005 (टेली फैक्स)	
श्रीमती देवेन्द्र बरारा	निजी सहायक	–वही–	
श्री वी.के. अग्रवाल	निदेशक	24366686	
श्रीमती भारती सहाय	सहायक निदेशक	24366348	
श्री निपुण गुप्ता	सहायक निदेशक	24366348	
श्री राकेश पाण्डेय	सहायक निदेशक	24366348	
श्री मनोज कुमार	सहायक निदेशक	24366348	
अनुसंधान एवं विश्लेषण प्रभाग बी–1 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003			
श्री राधे श्याम	निदेशक	24368972 (टेली फैक्स)	9971800715
श्री राजेन्द्र कुमार	प्रधान निजी सचिव	24368970	22117476
श्री के.एल. कौशिक	संयुक्त निदेशक	24368973 (टेली फैक्स)	8826846847
श्री दीपक कुमार	निजी सहायक	–वही–	
श्री ई. नागचन्द्रन	उप निदेशक	24368971	
श्री रामस्वरूप सिंह	सहायक निदेशक	24368970	
श्री सुधावेनी सत्यनारायण	सहायक निदेशक	24368970	

नाम	पदनाम	कार्यालय दूरभाष/फैक्स	आवासीय दूरभाष
गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली			
श्री निलिमेश बरुआ	**निदेशक**	24365787 24365809 (फैक्स)	
श्री जे.के. गोले	प्रधान निजी सचिव	–वही–	
श्री बी.के. गुप्ता	अपर निदेशक	24369254	
श्री वी.एस. राणा	अपर निदेशक	24369247	
श्री आर.सी. मीना	अपर निदेशक	24369592	
श्री पी.आर. लाकड़ा	अपर निदेशक	24369551	
श्री एन.के. चन्द	अपर निदेशक	24369774	
श्री विनोद कुमार शर्मा	अपर निदेशक	24369505	
श्री देवी शरण सिंह	अपर निदेशक	24366026	
श्रीमती ऋचा कुकरेजा	संयुक्त निदेशक	24369773	
गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, मुम्बई छठवां तल, एवरेस्ट बिल्डिंग, एनएस रोड, मरिन ड्राइव, मुम्बई			
श्री संजय राय	अपर निदेशक	022–22022240 022–22022241 (फैक्स)	
श्रीमती सुनीता लांगस्ते	वरिष्ठ सहायक निदेशक	–वही–	
श्री अमित ए. नैकस्तम	वरिष्ठ सहायक निदेशक	–वही–	
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग हिन्दुस्तान टाइम्स बिल्डिंग, 18–20, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–1100001			
श्री अशोक चावला	**अध्यक्ष**	23704647, 23704649 23704605 (फैक्स)	
श्री एच. सी. गुप्ता	**सदस्य**	23704630 23704631 (फैक्स)	
श्री आर. प्रसाद	**सदस्य**	23704633 23704632 (फैक्स)	
श्रीमती गीता गौरी	**सदस्य**	23704634 23704635 (फैक्स)	
श्री एस. एन. ढींगरा	**सदस्य**	23704638 23704639 (फैक्स)	
श्री अनुराग गोयल	**सदस्य**	23704641 23704642 (फैक्स)	
श्री एम.एल. तायल	**सदस्य**	23704643 23704644 (फैक्स)	
श्रीमती स्मिता झिंगरान	सचिव	23704651 23704652 (फैक्स)	

नाम	पदनाम	कार्यालय दूरभाष/फैक्स	आवासीय दूरभाष
प्रतिस्पर्धा अपीलीय ट्रिब्यूनल कोटा हाउस एनेक्सी, 1, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली–110011			
माननीय न्यायमूर्ति श्री वी.एस. सिरपूरकर	**अध्यक्ष**	23385974 23701060 24105684 (फैक्स)	24105683
श्री राहुल सरीन	**सदस्य**	23385301 23388928 (फैक्स)	26877173
श्रीमती प्रवीण त्रिपाठी	**सदस्य**	23385311, 23386471 23701063 (फैक्स)	29531510
श्री अशोक मेनन	रजिस्ट्रार	23385977	23073704
कंपनी विधि बोर्ड (प्रधान पीठ) पर्यावरण भवन, बी–ब्लॉक, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली			
माननीय न्यायमूर्ति श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख	**अध्यक्ष**	24366126	
श्रीमती विद्या शास्त्री	निजी सहायक	24363667	
श्री धनराज	**सदस्य**	24362324	
श्री बी.एस.वी. प्रकाश कुमार	**सदस्य**	24363671	
श्री पी.के. मल्होत्रा	सचिव	24363451	
श्री जी.वी. सुब्बैया	अवर सचिव	24363667	
कंपनी विधि बोर्ड (मुम्बई पीठ) दूसरा तल, एनटीसी हाउस, 15, एन.एम. मार्ग, बल्लार्ड ईस्टेट, मुम्बई–400038			
श्री अशोक कुमार त्रिपाठी	**सदस्य**	022–22619636	
श्रीमती विमला यादव	**सदस्य**	022–22611456	
कंपनी विधि बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र पीठ) तीसरा तल, कारपोरेट भवन, यूटीआई बिल्डिंग, सं.–29, राजाजी सलाई, चेन्नई–600001			
श्री कांति नरहरी	**सदस्य**	044–25262791	
श्रीमती मुकुतंन	वरिष्ठ निजी सचिव	–वही–	
कंपनी विधि बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र पीठ) 9, पुराना पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट, छठवां तल, कोलकाता–700001			
श्री अमलेश बंद्योपाध्याय	**सदस्य**	033–22486330 033–22621761	
श्री तपस कुमार मण्डल	निजी सचिव	–वही–	
मुख्य लेखा नियंत्रक तीसरा तल, 'सी' विंग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली			
श्रीमती विनीता बरुआ	**मुख्य लेखा नियंत्रक**	24698646 24693229 (फैक्स)	
श्री आर.सी. पालीवाल	प्रधान लेखा अधिकारी	24610148	

नाम	पदनाम	कार्यालय दूरभाष/फैक्स	आवासीय दूरभाष
वेतन एवं लेखा अधिकारी, नई दिल्ली पर्यावरण भवन, बी–ब्लॉक, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली			
श्री कृष्ण गोपाल	वेतन एवं लेखा अधिकारी	24360660 24361569 (फैक्स)	
वेतन एवं लेखा अधिकारी, कोलकाता चौथा तल, 15, आर.एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता–700001			
श्री यू.एस. चक्रवर्ती	वेतन एवं लेखा अधिकारी	033–2425076 (टेली फैक्स)	9051867951
वेतन एवं लेखा अधिकारी, मुम्बई एक्सचेंज बिल्डिंग, दक्षिणी विंग, एस.एस. रामगुलाम मार्ग, बल्लार्ड ईस्टेट, मुम्बई–400001			
श्रीमती लेखा नायर	वेतन एवं लेखा अधिकारी	022–22670862 022–22656362 (फैक्स)	09833747692
वेतन एवं लेखा अधिकारी, चेन्नई 5वां तल, शास्त्री भवन, 26, हेड्डोस रोड, चेन्नई–600006			
श्री जी. रमेश	वेतन एवं लेखा अधिकारी	044–28270399 044–28235949 (फैक्स)	09940817849
भारतीय कंपनी सचिव संस्थान आईसीएसआई हाउस, 22, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003			
श्री एस. एन. अनंतासुब्रमणियन	**अध्यक्ष**	45341001	
श्री एम. एस. साहू	सचिव	45341002	28086507
भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान आईसीएआई भवन, पोस्ट बॉक्स नं. 7100, इन्द्रप्रस्थ ईस्टेट, नई दिल्ली–110002			
श्री जयदीप नरेन्द्र शाह	**अध्यक्ष**	30110400, 30110580	9822202575, 9371014819
श्री टी. कार्तिकेयन	सचिव	30110402, 30110581	9350799930
भारतीय लागत लेखा संस्थान 12, सुडुर स्ट्रीट, कोलकाता–700016			
श्री राकेश सिंह	**अध्यक्ष**	033–22521031	
श्री कौशिक बनर्जी	सचिव	033–64534121	
भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान बी–1, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली			
श्री भास्कर चटर्जी	**महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी**	24369794 24362282 24362263 (फैक्स)	
श्री एस.के. अग्रवाल	निदेशक	0124–2290400 0124–2291036	

अनुलग्न-II

कारपोरेट कार्य मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट

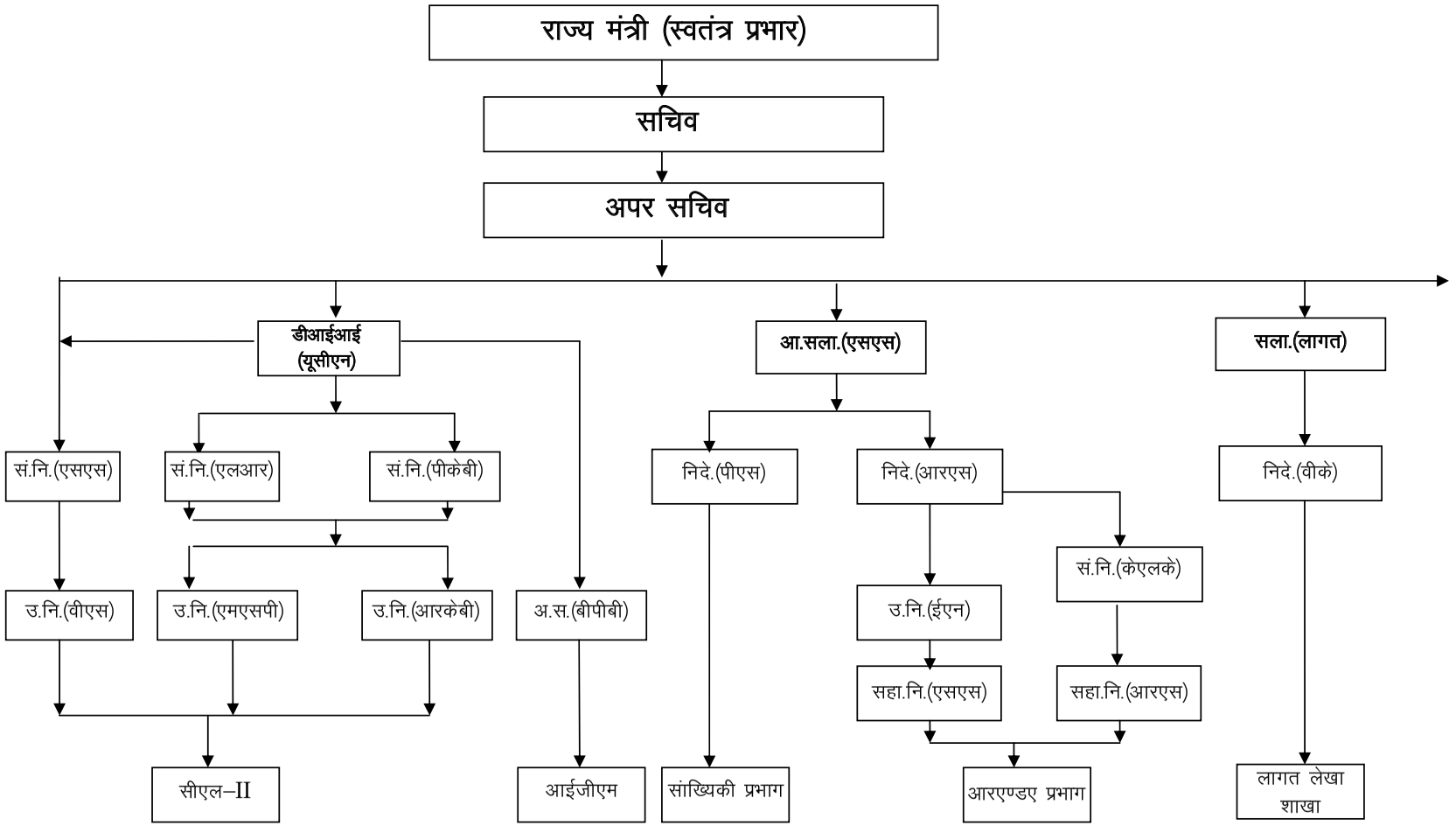

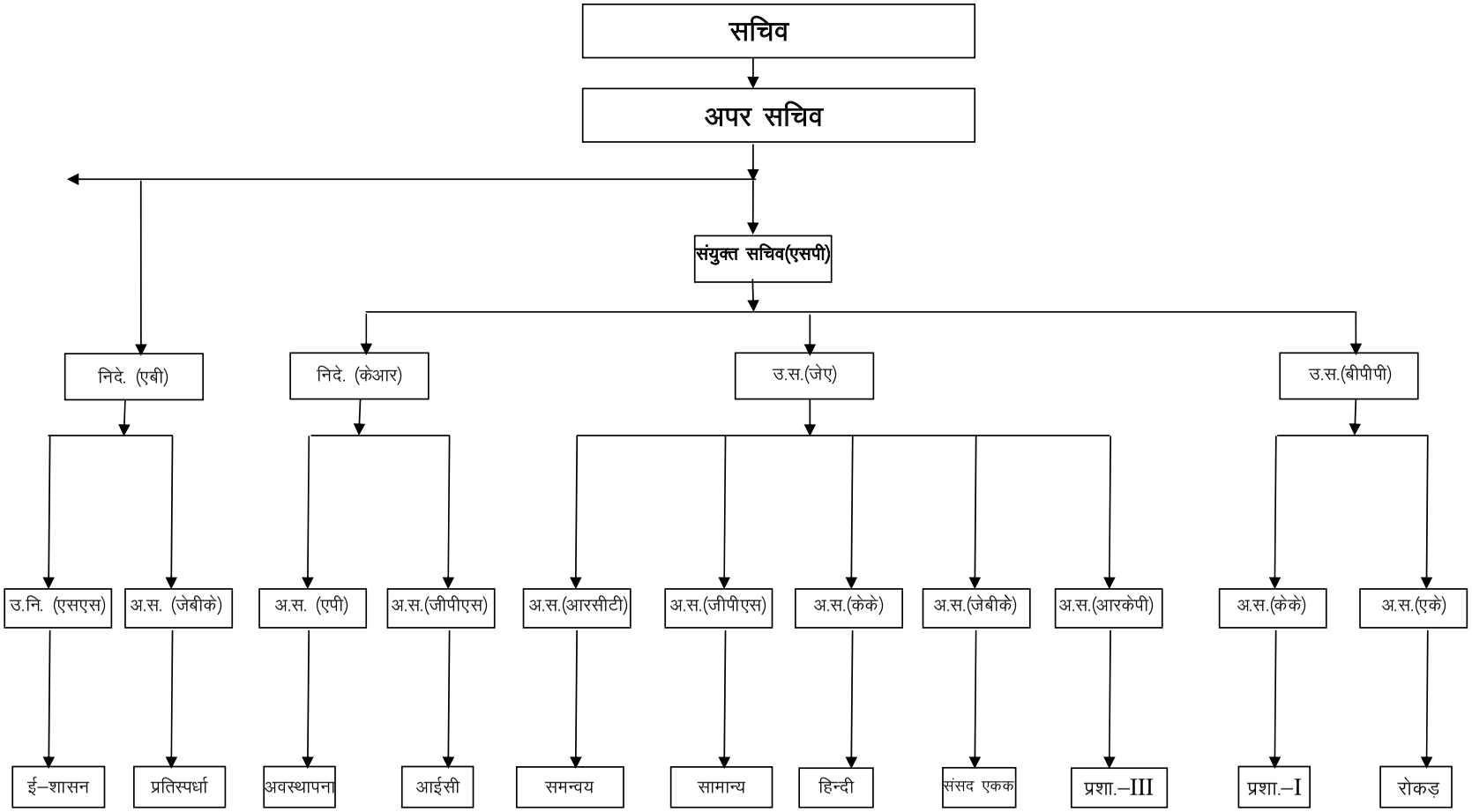
सचिव
अपर सचिव
संयुक्त सचिव(एसपी)
निदे. (एबी)
निदे. (केआर)
उ.स.(जेए)
उ.स.(बीपीपी)
उ.नि. (एसएस)
अ.स. (जेबीके)
अ.स. (एपी)
अ.स.(जीपीएस)
अ.स.(आरसीटी)
अ.स.(जीपीएस)
अ.स.(केके)
अ.स.(जेबीके)
अ.स.(आरकेपी)
अ.स.(केके)
अ.स.(एके)
ई–शासन
प्रतिस्पर्धा
अवस्थापना
आईसी
समन्वय
सामान्य
हिन्दी
संसद एकक
प्रशा.–III
प्रशा.–I
रोकड़

अनुलग्नक

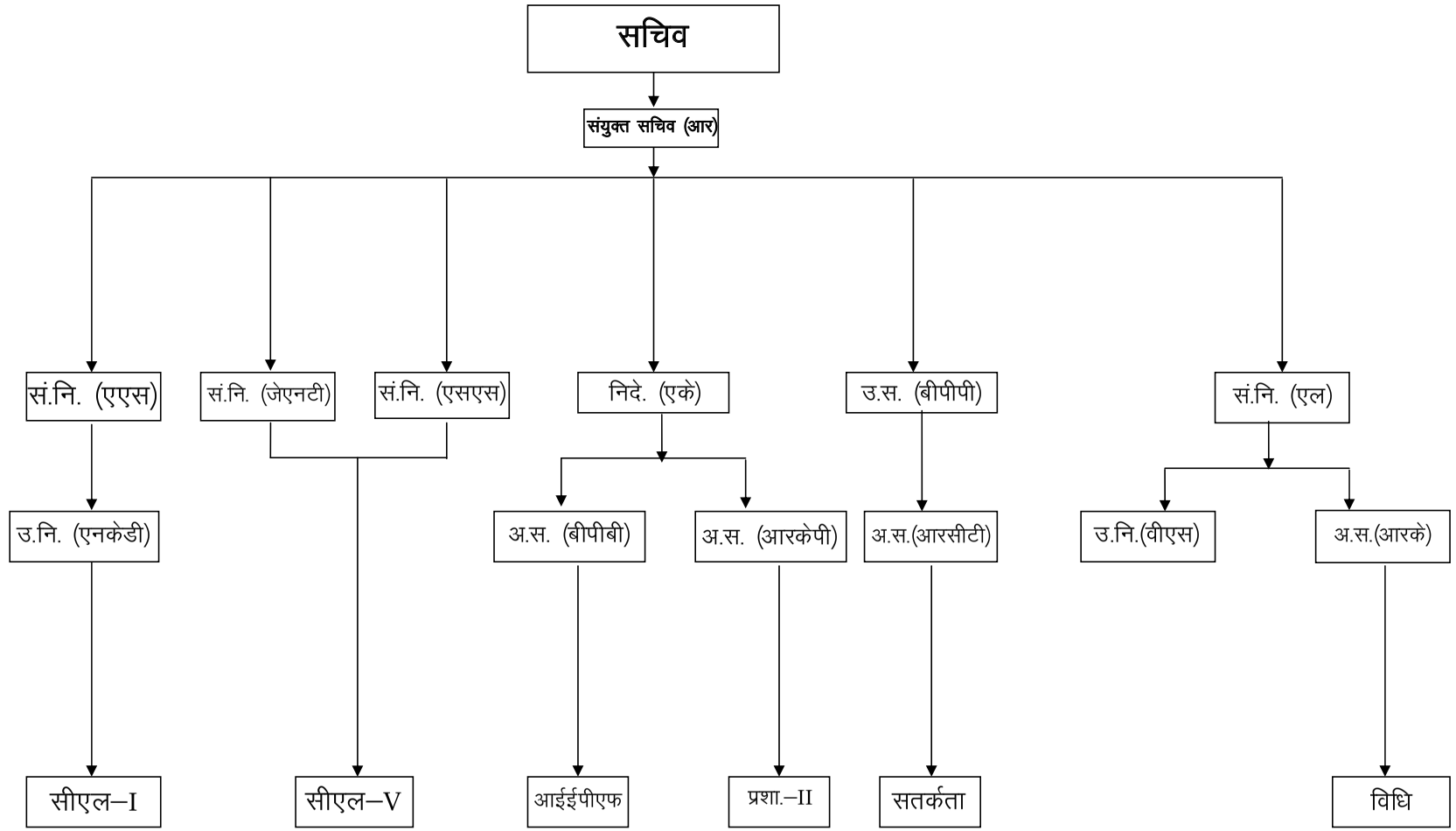
सचिव
संयुक्त सचिव (आर)
सं.नि. (एएस)
सं.नि. (जेएनटी)
सं.नि. (एसएस)
निदे. (एके)
उ.स. (बीपीपी)
सं.नि. (एल)
उ.नि. (एनकेडी)
अ.स. (बीपीबी)
अ.स. (आरकेपी)
अ.स.(आरसीटी)
उ.नि.(वीएस)
अ.स.(आरके)
सीएल–I
सीएल–V
आईईपीएफ
प्रशा.–II
सतर्कता
विधि

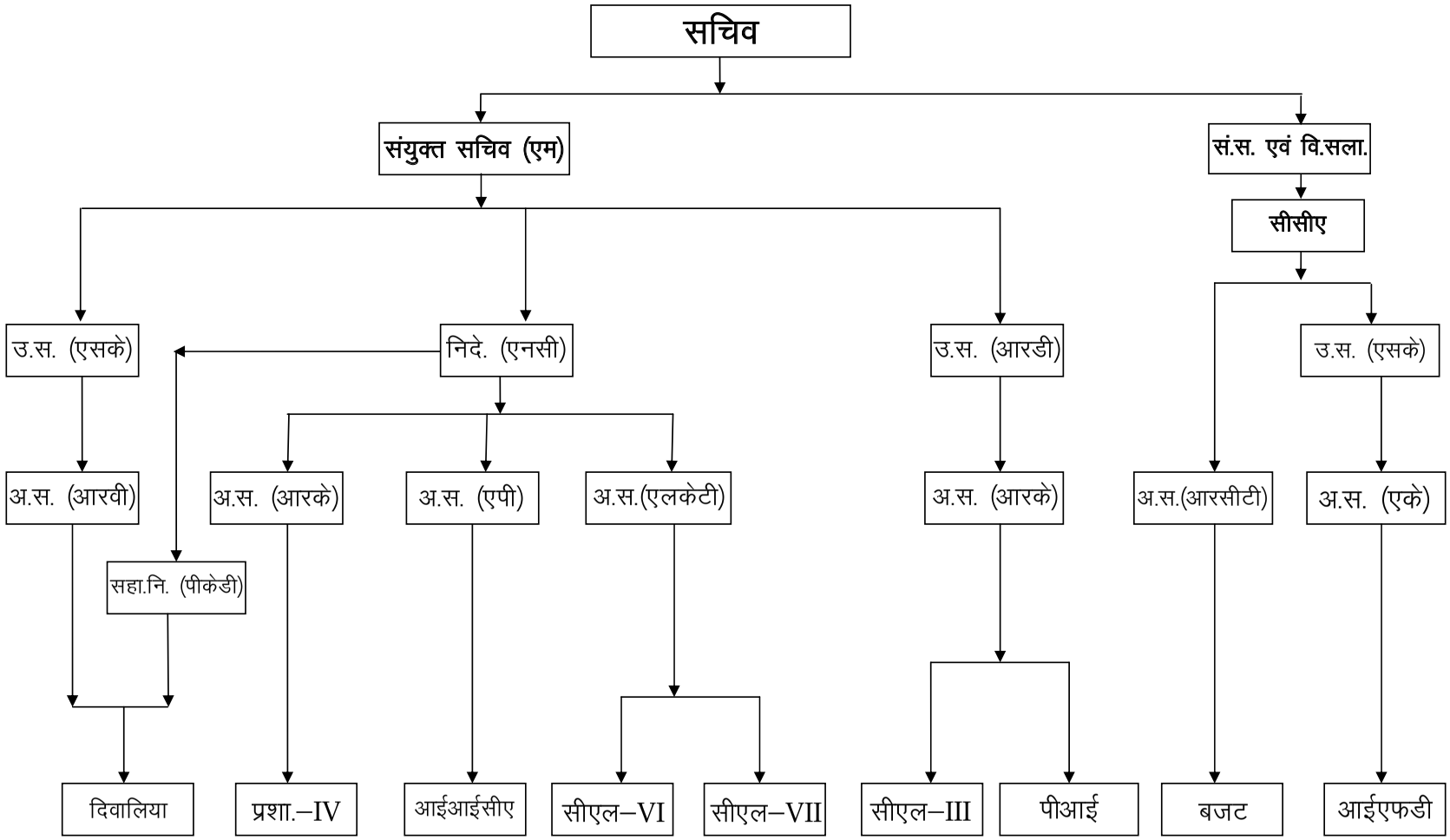
सचिव
संयुक्त सचिव (एम)
सं.स. एवं वि.सला.
सीसीए
उ.स. (एसके)
निदे. (एनसी)
उ.स. (आरडी)
उ.स. (एसके)
अ.स. (आरवी)
अ.स. (आरके)
अ.स. (एपी)
अ.स.(एलकेटी)
अ.स. (आरके)
अ.स.(आरसीटी)
अ.स. (एके)
सहा.नि. (पीकेडी)
दिवालिया
प्रशा.–IV
आईआईसीए
सीएल–VI
सीएल–VII
सीएल–III
पीआई
बजट
आईएफडी

अनुलग्न-III

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के मुख्य कार्यवाहक

श्री सचिन पायलट
राज्य मंत्री (स्वतंत्रा प्रभार)

श्री नवेद मसूद
सचिव

श्री एम.जे. जोसेफ
अपर सचिव

श्री एम.जे जोसेफ **अपर सचिव**		**श्री सुरेश पाल** **संयुक्त सचिव**		**श्रीमती रेणुका कुमार** **संयुक्त सचिव**		**श्री मनोज कुमार** **संयुक्त सचिव**		**श्रीमती सिवानी स्वाईं** **आर्थिक सलाहकार**		**श्री बी.बी. गोयल** **सलाहकार (लागत)**	
डीआईआई (यूसीएन)	**यू.सी. नहाटा**	निदे. (बीकेआर)	बी.के. राव	निदे. (एके)	अलोक कुमार	निदे. (एनसी)	नवनीत चौहान	निदे. (आरएस)	राधे श्याम	निदे. (वीकेए)	वी.के. अग्रवाल
निदे. (एबी)	अनिल भारद्वाज	उ.स. (बीपीपी)	बी.पी. पंत	उ.स. (बीपीपी)	बी.पी.पंत	निदे.(एबी)	अनिल भारद्वाज	निदे.(पीएस)	पंकज श्रीवास्तव	सहा.नि.(बीएस)	भारती सहाय
सं.नि.(एलआरएम)	एल.आर. मीणा	उ.स. (जेएसए)	जे.एस. औधखासी	सं.नि. (एएस)	आलोक सामंतराय	उ.स.(आरडी)	रीता डोगरा	सं.नि.(केएलके)	के.एल. कौशिक	सहा.नि.(आरपी)	राकेश पाण्डेय
सं.नि. (पीकेबी)	पी.के. बट्टा	अ.स. (आरसीटी)	आर.सी. टली	सं.नि. (एल)	बी.के.एल. श्रीवास्तव	उ.स.(एसके)	सुषमा कटारिया	उ.नि.(ईएन)	ई. नागचन्द्रन	सहा.नि.(एनजी)	निपुन गुप्ता
सं.नि. (एसएस)	संजय शौरी	अ.स. (जीपीएस)	जी.पी. सरकार	सं.नि.(जेएनटी)	जे.एन. टिक्कू	अ.स.(एलकेटी)	एल.के. त्रिवेदी	सहा.नि.(आरएस)	आर.एस. सिंह	सहा.नि.(एमके)	मनोज कुमार
उ.नि. (एमएसपी)	एम.एस. पचौरी	अ.स. (एके)	अनिल कुमार	सं.नि.(एसएस)	संजय शौरी	अ.स.(आरवी)	रवि वाजीरानी	सहा.नि.(एसएस)	एस. सत्यनारायण		
उ.नि. (आरकेबी)	आर.के. बक्शी	अ.स. (केके)	क्षितीश कुमार	अ.स.(बीपीबी)	बी.पी. बिमल	अ.स.(आरके)	राकेश कुमार				
अ.स. (जेबीके)	जे.बी. कौशिश	अ.स. (जबीके)	जे.बी. कौशिश	अ.स.(आरकेपी)	आर.के. पाण्डेय	अ.स.(एपी)	अनिल पराशर				
अ.स. (बीपीबी)	बी.पी. बिमल	अ.स. (एपी)	अनिल पराशर	अ.स.(आरकेटी)	आर.सी. टली	उ.नि.(एसएस)	श्याम सुन्दर				
अ.स. (जीपीएस)	जी.पी. सरकार	अ.स. (आरकेपी)	आर.के. पाण्डेय	अ.स.(आरके)	राकेश कुमार	सहा.नि.(पीकेडी)	पी.के. दुग्गल				
अ.स. (आरसीटी)	आर.सी. टली			उ.नि.(एनकेडी)	एन.के. दुआ	सहा.नि.(एटी)	अंशु टंडन				
अ.स. एपी)	अनिल पराशर			उ.नि.(वीएस)	विनोद शर्मा						
सहा.नि. (पीएस)	पी. सिंह			सहा.नि.(एसआर)	सीमा रथ						
सहा.नि. (एटी)	आलोक टंडन			सहा.नि.(एमजी)	मोनिका गुप्ता						
सहा.नि. (आईएचए)	आई.एच. अंसारी			सहा.नि.(केएस)	कामना शर्मा						
				सहा.नि.(एसएन)	शंकर नारायण						

बजट अनुभाग

सीसीए	**: श्रीमती विनीता बरूआ**
अ.स.	: श्री आर.सी. टली
अनु. अधिकारी	: श्री एस.एल. मेघवाल

मुख्य सतर्कता अधिकारी	**: श्री एम.जे. जोसेफ, अपर सचिव**
वेव मास्टर	: श्री अनिल भारद्वाज, निदेशक
कल्याण अधिकारी	: श्री एल के त्रिवेदी, अवर सचिव

समेकित वित्त एवं लेखा स्कंध

स.सं. एवं वि. सला.	**: श्रीमती अंजली आंनद श्रीवास्तव**
सी.सी.ए.	**: श्रीमती विनीता बरूआ**
उ.स.(आईएफडी)	: श्रीमती सुषमा कटारिया
अ.स.(आईएफडी)	: श्री अनिल कुमार

क्षेत्रीय निदेशकों, कंपनी रजिस्ट्रारों, शासकीय समापकों तथा कंपनी रजिस्ट्रार सह शासकीय समापकों के नाम और पते

क्षेत्रीय निदेशक

नाम एवं ई–मेल पता	दूरभाष	फैक्स
क्षेत्रीय निदेशक (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता निजाम पैलेस, दूसरा एमएसओ बिल्डिंग, तीसरा तल, 234/4, आचार्य जे.सी. बोस रोड, कोलकाता–700020		
श्री नवरंग सैनी rd.east@mca.gov.in	033–22870383 033–22877390	033–22870958
क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र), नोएडा ए–14, सेक्टर–I, पीडीआईएल भवन, नोएडा, उत्तर प्रदेश		
श्री राकेश चन्द्रा rd.north@mca.gov.in	0120–2445342, 0120–2445341	0120–2425924
क्षेत्रीय निदेशक (दक्षिणी क्षेत्र), चेन्नई शास्त्री भवन, ब्लॉक–I, 5वां तल, 'ए' विंग, 26 हेड्डोस रोड, चेन्नई–600006		
श्री ई. सेल्वराज rd.south@mca.gov.in	044–28271737 044–28276682	044–28280436
क्षेत्रीय निदेशक (पश्चिमी क्षेत्र), मुम्बई एवरेस्ट बिल्डिंग, 5वां तल, नेताजी सुभाष मार्ग, 100, मरिन ड्राइव, मुम्बई–400002		
श्री एस.एम. अमीरूल मिल्लात rd.west@mca.gov.in	022–22872347 022–22817259	022–22812389
क्षेत्रीय निदेशक (उत्तर–पश्चिमी क्षेत्र), अहमदाबाद आरओसी भवन, सामने, रुपल पार्क, नियर अंकुर बस स्टैंड, नारणपुरा, अहमदाबाद–380013		
श्री के. एल. कम्बोज rd.northwest@mca.gov.in	079–27498725 079–27498726–27	079–27438371

क्षेत्रीय निदेशक

नाम एवं ई–मेल पता	दूरभाष	फैक्स
क्षेत्रीय निदेशक (दक्षिण–पूर्वी क्षेत्र), हैदराबाद दूसरा तल, सीपीडब्ल्यूडी बिल्डिंग, केन्द्रीय सदन, सुल्तान बाजार, कोठी, हैदराबाद – 500095		
श्री एम.ए. कुवाड़िया rd.ser@mca.gov.in	040–24657937 040–24656141	040–24652807 040–24657933
क्षेत्रीय निदेशक (उत्तर–पूर्व क्षेत्र), गुवाहाटी मोरिल्लो बिल्डिंग, भूतल, शिलांग –793001		
श्री एन. के. भोला rd.northeast@mca.gov.in	0364–2223665	0364–2223665

कंपनी रजिस्ट्रार

नाम और ई–मेल पता	दूरभाष	फैक्स
कंपनी रजिस्ट्रार, शिलांग, मोरिल्लो बिल्डिंग, भूतल, कचहरी रोड, शिलांग–793001		
श्री गुलाब चन्द यादव roc.shillong@mca.gov.in	0364–2504093	0364–2211091
कंपनी रजिस्ट्रार, कोयम्बटूर स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग, दूसरा तल, 683, त्रिची रोड, शिंगनल्लूर, कोयम्बटूर		
श्री एम. मनुनीधि चोलन roc.coimbatore@mca.gov.in	0422–2318170 0422–2319640	0422–2318089
कंपनी रजिस्ट्रार, कोलकाता "निजाम पैलेस", दूसरा एमएसओ बिल्डिंग, दूसरा तल, 234/4, आचार्य जे.सी. बोस रोड, कोलकाता–700020		
श्री देवाशीय बंद्योपाध्याय roc.kolkata@mca.gov.in	033–22800409	033–22903795
कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली एवं हरियाणा आईएफसीआई टॉवर, चौथा तल, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019		
श्री मन मोहन जुनेजा roc.delhi@mca.gov.in	011–26235704	011–26235702
कंपनी रजिस्ट्रार, बंगलुरु केन्द्रीय सदन, ई–विंग, दूसरा तल, कोरमंगलम, बंगलुरू–560034		
श्री बी.एन. हरीश roc.bengaluru@mca.gov.in	080–25633105 080–25537449	080–25538531

कंपनी रजिस्ट्रार

नाम और ई–मेल पता	दूरभाष	फैक्स
कंपनी रजिस्ट्रार, हैदराबाद 3–5–398, केन्द्रीय सदन, दूसरा तल, सुल्तान बाजार, कोठी, हैदराबाद–500095		
श्री कृष्णामूर्ति roc.hyderabad@mca.gov.in	040–24657937 040–24656114	040–24652807
कंपनी रजिस्ट्रार, केरल प्रथम तल, कंपनी लॉ भवन, बीएमसी रोड, थ्रिक्कारा पोस्ट ऑफिस, कोच्चि–692021		
श्री के.जी. जोसेफ जेक्सन roc.ernakulam@mca.gov.in	0484–2423749 0484–2421489	0484–2422327
कंपनी रजिस्ट्रार, पुदुचेरी सं. 35, एलांगो नगर, प्रथम तल, III क्रॉस, पुदुचेरी–605011		
श्री वी. स्वामीदासन roc.puducherry@mca.gov.in	0413–2244277 0413–2240129	0413–2244274
कंपनी रजिस्ट्रार, मुम्बई 100, एवरेस्ट, मरिन ड्राइव, मुम्बई–400002		
श्री एम.आर. भट roc.mumbai@mca.gov.in	022–22812639 022–22020295	022–22811977
कंपनी रजिस्ट्रार, अहमदाबाद आरओसी भवन, सामने. रूपल पार्क, नियर अंकुर बस स्टैंड, नारणपुरा, अहमदाबाद–380013		
श्री एस.एन. मिश्रा roc.ahmedabad@mca.gov.in	079–27437597 079–27473867	079–27438371
कंपनी रजिस्ट्रार, पुणे पीएमटी कॉमर्शियल बिल्डिंग, तीसरा तल, डेक्कन जिमखाना, पुणे–411004		
श्री वी.के. खूबचन्दानी roc.pune@mca.gov.in	020–25530042 020–25521376	020–25530042
कंपनी रजिस्ट्रार, चेन्नई शास्त्री भवन, दूसरा तल, 26, हेड्डोस रोड, चेन्नई–600006		
श्री हेनरी रिचर्ड roc.chennai@mca.gov.in	044–28277182 044–28276381	044–28234298

कंपनी रजिस्ट्रार

नाम और ई–मेल पता	दूरभाष	फैक्स
कंपनी रजिस्ट्रार, ग्वालियर पोस्ट बॉक्स नं. 2, ए–ब्लॉक, तीसरा तल, संजय कॉम्प्लेक्स, जयेन्द्र गंज, ग्वालियर–474009		
श्री ए.के. चतुर्वेदी roc.gwalior@mca.gov.in	0751–2321907 0751–2430012	0751–2631853
कंपनी रजिस्ट्रार, चण्डीगढ़ कारपोरेट भवन, प्लॉट नं. 4, प्रथम तल, सेक्टर–27बी, मध्य मार्ग, चण्डीगढ़–160019		
श्री राज सिंह roc.chandigarh@mca.gov.in	0172–2639415 0172–2637276	0172–2639416
कंपनी रजिस्ट्रार, कानपुर 10/499–बी, एल्लन गंज, खलासी लाइन्स, कानपुर–208002		
श्री एस.पी. कुमार roc.kanpur@mca.gov.in	0512–2540423	0512–2550688

शासकीय समापक

नाम और ई–मेल पता	दूरभाष	फैक्स
शासकीय समापक (कोलकाता उच्च न्यायालय) 9, ओल्ड पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट, 5वां तल, कोलकाता–700001		
श्री के. आनंद राव ol-kolkata-mca@nic.in	033–22486501 033–22486067 033–22435073 033–22420708 09874264647 (मोबा.)	033–22482483
शासकीय समापक (गुवाहाटी उच्च न्यायालय) मोरिल्लो बिल्डिंग, भूतल, शिलांग–793001		
श्री मुकतार सिंह ol-shillong-mca@nic.in	0364–2501335	0364–2501335
शासकीय समापक (आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय) 5–4–400, दूसरा तल, पूर्वी विंग, गगन विहार, नामापल्ली, हैदराबाद–500095		
श्री एस. चन्द्र शेखरन ol-hyderabad-mca@nic.in	040–24736883 040–24656780 040–24746363	040–24610514

शासकीय समापक

नाम और ई–मेल पता	दूरभाष	फैक्स
शासकीय समापक (मद्रास उच्च न्यायालय) "कारपोरेट भवन", दूसरा तल, सं. 29, राजाजी सालाई, चेन्नई–600001		
श्री अरविन्द शुक्ला ol-chennai-mca@nic.in ol-madras-gmail.com	044–25271150 044–25271151 044–25271149	044–255271152
शासकीय समापक (कर्नाटक उच्च न्यायालय) 26–27 कारपोरेट भवन, 12वां तल, रहेजा टॉवर, एमजी रोड, बंगलुरू–560001		
श्री एस. रमाकांत ol-bangalore-mca@nic.in	080–25598671 080–25598672 080–25598673	080–25598674
शासकीय समापक (मुम्बई उच्च न्यायालय) बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग, 5वां तल, एम.जी. रोड, मुम्बई–400023		
श्री टी. पाण्डियन ol-mumbai-mca@nic.in	022–22671851	022–22692307
शासकीय समापक (गुजरात उच्च न्यायालय) जीवाभाई चैम्बर, आश्रम रोड, पोस्ट ऑफिस के पीछे, आश्रम रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद–380009		
श्री आर.सी. मीणा ol-ahmedabad-mca@nic.in	079–26581903 079–26581912	079–26587837
शासकीय समापक (जयपुर उच्च न्यायालय की जोधपुर न्यायपीठ) जी/6–7, कारपोरेट भवन, रेजीडेंसी एरिया, सिविल एरिया, जयपुर– 302001		
श्री के.सी. मीणा	07597617867	
शासकीय समापक (मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय) प्रथम तल, पुरानी सीआईए बिल्डिंग, सामने जीपीओ, रेजीडेंसी एरिया, इंदौर–452001		
श्री वी.के. साहू ol-indore-mca@nic.in	0731–2710051	0731–2710568
शासकीय समापक (मुम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर न्यायपीठ) दूसरा तल, पूर्वी विंग, न्यू सेक्रेट्रेरिएट बिल्डिंग, सिविल लाइन्स, नागपुर–440001		
श्री आर.के. तिवारी ol-nagpur-mca@nic.in	0712–2527512	0712–2522934

शासकीय समापक

नाम और ई–मेल पता	दूरभाष	फैक्स
शासकीय समापक (दिल्ली उच्च न्यायालय) 8 वां तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली–110003		
श्री एस.बी. गौतम officialliquidatordelhi@yahoo.com	011–24693393 011–24693315	011–24693314
शासकीय समापक (पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय) कारपोरेट भवन, प्लॉट नं. 4 बी, सेक्टर–22 बी, मध्य मार्ग, चण्डीगढ		
श्री डी.पी. ओझा officialliquidatorchd@gmail.com	0172–2659874 0172–2659876	0172–2659875
शासकीय समापक (उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड उच्च न्यायालय) 33, ताशकंद मार्ग, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद–211001		
श्री एच.आर. पटोले olup.alld@yahoo.com.in	0532–2560312 0532–2560314	0532–2560162
शासकीय समापक (केरल उच्च न्यायालय) कंपनी लॉ भवन, तीसरा तल, बी.एम.सी. रोड, थ्रिक्काकारा, पी.ओ. कोच्चि–682021		
श्री एम.वी. चक्रनारायण ol-cochin-mca@nic.in	0484–2422889	0484–2423172

कंपनी रजिस्ट्रार–सह–शासकीय–समापक

नाम और ई–मेल पता	दूरभाष	फैक्स
श्री एम. के. बागरी manoj.bagri@mca.gov.in ol-jammu&mca@nic.in	**कंपनी रजिस्ट्रार–सह–शासकीय समापक, जम्मू एण्ड कश्मीर हाल सं. 405 से 408, बहु प्लाजा, चौथा तल, साउथ ब्लॉक, रेल हेड कॉम्प्लेक्स, जम्मू–180012**	
	0191–2470306 0191–2472504	0191–2470306
	एसडीए ऑफिस कॉम्प्लेक्स, भूतल, बेमिना बाईपास, श्रीनगर –190018	
	0194–2494995	0194–2494995
कंपनी रजिस्ट्रार–सह–शासकीय समापक, पटना मौर्यालोक कॉम्प्लेक्स, चौथा तल, ए–ब्लॉक, डाक बंगलो रोड, पटना– 800001		
श्री एस.के. बनर्जी ol-patna-mca@nic.in roc.patna@mca.gov.in	0612–2222172 0612–2233990	0612–2222172 0612–2233990

कंपनी रजिस्ट्रार–सह–शासकीय–समापक

कंपनी रजिस्ट्रार–सह–शासकीय समापक, गोवा कंपनी लॉ भवन, ईडीसी कॉम्प्लेक्स, प्लॉट नं. 21, पट्टो, पणजी, गोवा –403001		
श्री पी. श्रीधर roc.goa@mca.gov.in	0832–2438617 0832–2438618	0832–2438617
कंपनी रजिस्ट्रार–सह–शासकीय समापक, बिलासपुर पोस्ट बॉक्स नं. 2, ए–ब्लॉक, संजय कॉम्प्लेक्स, तीसरा तल, जयेन्द्र गंज, ग्वालियर–474009		
श्री ए.के. चतुर्वेदी rocgwaliar@mca.gov.in	0751–2321907 0751–2430012	0751–2631853
कंपनी रजिस्ट्रार–सह–शासकीय समापक, शिमला एससीओ नं. 9, दूसरा तल, सेक्टर–26, चण्डीगढ़–160019		
श्री डी.पी. ओझा roc.himachal@mca.gov.in	0172–2639415 0172–2637301	
कंपनी रजिस्ट्रार–सह–शासकीय समापक, नैनीताल 10/499–बी, एल्लनगंज, खलासी लाइन्स, कानपुर–208002		
श्री एम.पी. साहा roc.kanpur@mca.gov.in	0512–2550688 0512–2540383	0512–2540423
कंपनी रजिस्ट्रार–सह–शासकीय समापक, कटक कारपोरेट भवन, प्लाट नं. 9 पी, दूसरा एवं तीसरा तल, सेक्टर–1, सीडीए, कटक–753014		
श्री बेणुधर मिश्रा roc.cuttack@mca.gov.in ol-cuttack-mca@nic.in	0671–2365361 0671–2364959 0671–2366952	
कंपनी रजिस्ट्रार–सह–शासकीय समापक, रांची हा. सं. 239, रोड नं.–4, मजिस्ट्रेट कॉलोनी, डोरंडा, रांची–834002		
श्री स्वाधीन बरुआ ol-ranchi-mca@nic.in	0651–2482811	0651–2482811
कंपनी रजिस्ट्रार–सह–शासकीय समापक, जयपुर जी/6–7, कारपोरेट भवन, रेजीडेंसी एरिया, सिविल एरिया, जयपुर–302001		
श्री आर. के. मीणा roc.jaipur@mca.gov.in	0141–2222464 0141–2222466	0141–2222464

अनुलग्नक–V

लेखापरीक्षक की टिप्पणियां और की गई कार्रवाई

वर्ष	पैरा संख्या	लेखापरीक्षक पैरा	की गई कार्रवाई
2006–07	5 एवं 6	स्वीकृत अनुदानों एवं प्रभारित विनियोजनों से अधिक व्यय (2006–07) पर लोक लेखा समिति के 80वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) की टिप्पणियों/अनुशंसाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का 26वां प्रतिवेदन। (2006–2007)	लोक सभा सचिवालय को भेजा गया अंतिम उत्तर (का.ज्ञा. सं. 10/02/08–आईएफडी दिनांक 17.06.2011 द्वारा)।
2007–08	–	लेखापरीक्षक का कोई पैरा नहीं	
2008–09	–	लेखापरीक्षक का कोई पैरा नहीं	
2009–10	–	लेखापरीक्षक का कोई पैरा नहीं	
2010–11	–	लेखापरीक्षक का कोई पैरा नही	

नोटः– अब तक मंत्रालय में लेखापरीक्षक का कोई पैरा लंबित नहीं है।

आर एफ डी

परिणाम संरचना दस्तावेज

(कारपोरेट कार्य मंत्रालय)

(2011–12)

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के लिए परिणाम संरचना दस्तावेज (आरएफडी) (2011–12)

खंड 1:
विजन, मिशन, उद्देश्य और कार्य

विजन

विवेकपूर्ण नियमन के साथ कारपोरेट विकास में सहयोग।

मिशन

व्यापार परिवेश में परिवर्तन के प्रति प्रतिक्रियाशील और जागरूक होना तथा समय–समय पर कारपोरेट कानूनों एवं विनियमनों का समुचित प्रतिपादन एवं संशोधन।

उद्देश्य

1. प्रभावी अनुपालन तथा विवेकपूर्ण नियामक तंत्र सुनिश्चित करने के लिए कारपोरेट क्षेत्र को शासित करने वाले सरल कानून उपलब्ध कराना।
2. सभी रजिस्ट्री संबंधी सेवाएं शीघ्रता, निश्चितता और पारदर्शिता के साथ ऑनलाइन उपलब्ध कराना, सार्वजनिक सूचना उपलब्ध कराना और कंपनियों द्वारा सांविधिक अनुपालन की प्रभावी मॉनीटरिंग।
3. देश में कारपोरेट क्षेत्र के विकास के लिए समुचित व्यापार परिवेश के सृजन हेतु निवेशक शिक्षा एवं जागरूकता को बढ़ावा देना।
4. आईआईसीए को चालू करके क्षमता निर्माण और सुरक्षित नीति परामर्श सहायता विकसित करना।
5. कारपोरेट धोखाधड़ी को रोकने के लिए प्रभावी प्रवर्तन सहित मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले कंपनी अधिनियम और अन्य अधिनियमों का प्रशासन।
6. प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना।

कार्य

1. कंपनी अधिनियम, 1956, अन्य अधिनियमों का प्रशासन और वर्तमान अधिनियम को समय–समय पर सरल करना।
2. भारतीय मानकों का आईएफआरएस के साथ सुमेलन।
3. मंत्रालय द्वारा शासित विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत नियमों एवं विनियमों को तैयार करना।

4. प्रतिस्पर्धा अधिनियम का कार्यान्वयन और प्रतिस्पर्धा आयोग के कार्यकरण में मदद करना।
5. कारपोरेट कार्य मंत्रालय में ई–शासन का कार्यान्वयन।
6. पूर्व चेतावनी प्रणाली द्वारा कारपोरेट में अनियमितताओं का पता लगाना।
7. कारपोरेट क्षेत्र से संबंधित शासकीय आंकड़ों का प्रसार।
8. निवेशक शिक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम चलाना।
9. गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय के माध्यम से गंभीर धोखाधड़ी की जांच करना।
10. आईसीएलएस संवर्ग का प्रशासन और आईआईसीए के माध्यम से प्रशिक्षण।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के लिए परिणाम संरचना दस्तावेज (आरएफडी) (2011–12)

खंड 2:

मुख्य उद्देश्य, सफलता सूचकांक और लक्ष्यों में परस्पर प्राथमिकता

उद्देश्य	अधिमान	कार्रवाई	सफलता	इकाई	अधिमान	लक्ष्य/मानक मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	खराब
						100%	90%	80%	70%	60%
[1] प्रभावी अनुपालन और विवकेपूर्ण नियामक तंत्र लाने के लिए कारपोरेट क्षेत्र को शासित करने वाले कानूनों को सरल बनाना।	26.00	[1.1] धारा 166 के अंतर्गत अधिकार सुपुर्दगी में परिवर्तन	[1.1.1] परिपत्र और अधिसूचना जारी करना	तारीख	2.90	15/05/11	31/05/11	15/06/11	30/06/11	––
		[1.2] विदेशी कंपनियों में भारत में मुख्य व्यापार स्थल की प्रक्रिया में परिवर्तन	[1.2.1] परिपत्र और अधिसूचना जारी करना	तारीख	2.90	15/05/11	31/05/11	30/06/11	31/07/11	––
		[1.3] कंपनी अधिनियम, 1956 में संशोधन	[1.3.1] मंत्रिमंडल में कंपनी संशोधन विधेयक, 2009 पुनः प्रस्तुत करना	तारीख	17.30	30/11/11	15/12/11	31/12/11	15/01/12	––
		[1.4] कार्यशालाओं द्वारा एलएलपी अधिनियम का संवर्धन	[1.4.1] विभिन्न नगरों में चार कार्यशालाओं का आयोजन	संख्या	2.90	4	3	2	1	––
[2] सभी रजिस्ट्री संबंधी सेवाएं शीघ्रता, निश्चितता और पारदर्शिता के साथ ऑनलाइन उपलब्ध कराना, सार्वजनिक सूचना उपलब्ध कराना और कंपनियों द्वारा सांविधिक अनुपालन की प्रभावी मॉनीटरिंग।	25.00	[2.1] एक्सबीआरएल का कार्यान्वयन	[2.1.1] एक्सबीआरएल शुरू करने की तारीख	तारीख	3.25	01/09/11	15/09/11	01/10/11	15/10/11	––
		[2.2] डीआईएन प्रक्रिया को सरल करना	[2.2.1] नई प्रक्रिया का एमसीए–21 के साथ एकीकरण	तारीख	3.25	01/08/11	15/08/11	01/09/11	30/09/11	––
		[2.3] धारा 25 को सरल करना	[2.3.1] नई प्रक्रिया का एमसीए–21 के साथ एकीकरण	तारीख	3.25	01/08/11	15/08/11	01/09/11	30/09/11	––
		[2.4] नाम उपलब्धता सरल करना	[2.4.1] नई प्रक्रिया का एमसीए–21 के साथ एकीकरण	तारीख	3.25	15/09/11	30/09/11	15/10/11	31/10/11	––
		[2.5] कंपनी का निगमन सरल करना	[2.5.1] नई प्रक्रिया का एमसीए–21 के साथ एकीकरण	तारीख	5.00	15/09/11	30/09/11	15/10/11	31/10/11	––

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के लिए परिणाम संरचना दस्तावेज (आर,फडी) (2011–12)

खंड 2:

मुख्य उद्देश्य, सफलता सूचकांक और लक्ष्यों में परस्पर प्राथमिकता

उद्देश्य	अधिमान	कार्रवाई	सफलता	इकाई	अधिमान	लक्ष्य/मानक मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	खराब
						100%	90%	80%	70%	60%
		[2.6] क्षेत्रीय निदेशक कार्यालयों के कार्यकलापों को पेपर रहित बनाना (न्यायालय से संबंधित को छोड़कर)	[2.6.1] नई प्रक्रिया का एमसीए–21 के साथ एकीकरण	तारीख	3.50	01/07/11	31/07/11	01/08/11	15/08/11	––
		[2.7] एलएलपी बैक ऑफिस को कार्यात्मक बनाने के लिए 1. ई–फार्म से जोड़ना 2. सार्वजनिक दस्तावेज देखना 3. एसटीपी मोड में वार्षिक फाइलिंग करना	[2.7.1] समय–सीमा	तारीख	3.50	15/09/11	30/09/11	15/10/11	31/10/11	––
[3] देश में कारपोरेट क्षेत्र के विकास के लिए समुचित व्यापार परिवेश के सृजन हेतु निवेशक शिक्षा एवं जागरूकता को बढ़ावा देना।	6.00	[3.1] भुगतान न किए गए लाभांश के निवेशक वार ब्यौरों के लिए सब–साइट बनाकर निवेशकों का सशक्तिकरण	[3.1.1] वेबसाइट शुरू करना	तारीख	4.02	31/01/12	15/02/12	29/02/12	15/03/12	31/03/12
		[3.2] निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों का मूल्यांकन	[3.2.1] पांच क्षेत्रीय प्रभाव मूल्यांकन करवाना	तारीख	1.98	01/12/11	01/01/12	01/03/12	–––	–––
[4] आईआईसीए को चालू करके क्षमता निर्माण और सुरक्षित नीति परामर्श सहायता विकसित करना।	10.00	[4.1] आईआईसीए परिसर का निर्माण पूरा करना	[4.1.1] पूर्णतः कार्यात्मक परिसर	तारीख	6.00	31/08/11	30/09/11	31/10/11	30/11/11	–––
		[4.2] व्यापार उत्तरदायित्व के लिए राष्ट्रीय प्रतिष्ठान की स्थापना (सीएसआर और सीजी को बढ़ावा देने के लिए)	[4.2.1] एनएफबीआर अलग संरचना और कोष के साथ कार्यात्मक हो गया है	तारीख	4.00	31/12/11	31/01/12	29/02/12	31/03/12	–––

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के लिए परिणाम संरचना दस्तावेज (आर,फडी) (2011–12)

खंड 2:

मुख्य उद्देश्य, सफलता सूचकांक और लक्ष्यों में परस्पर प्राथमिकता

उद्देश्य	अधिमान	कार्रवाई	सफलता	इकाई	अधिमान	लक्ष्य/मानक मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	खराब
						100%	90%	80%	70%	60%
[5] कारपोरेट धोखाधड़ी को रोकने के लिए प्रभावी प्रवर्तन सहित मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले कंपनी अधिनियम और अन्य अधिनियमों का प्रशासन।	15.00	[5.1] 31.03.2011 तक प्राप्त निरीक्षण रिर्पोट पर कार्यवाही और अभियोजन दायर करने के संबंध में अनुवर्ती निर्देश जारी करना	[5.1.1] निरीक्षण रिर्पोट का निपटान	तारीख	3.00	15/02/12	29/02/12	15/03/12	31/03/12	———
		[5.2] 31.03.2011 तक प्राप्त निरीक्षण रिर्पोट पर कार्यवाही और अभियोजन दायर करने के संबंध में अनुवर्ती निर्देश जारी करना	[5.2.1] जांच रिर्पोट का निपटान	तारीख	3.00	15/02/12	29/02/12	15/03/12	31/03/12	———
		[5.3] 30.03.2011 तक प्राप्त निरीक्षण रिर्पोट पर कार्यवाही और अभियोजन दायर करने के संबंध में अनुवर्ती निर्देश जारी करना	[5.3.1] तकनीकी संवीक्षा रिर्पोट का निपटान	तारीख	3.00	15/02/12	29/02/12	15/03/12	31/03/12	———
		[5.4] पूर्व चेतावनी प्रणाली के अंतर्गत 150 मामनों की जांच और अभियोजन दायर करने के संबंध में अनुवर्ती निर्देश जारी करना	[5.4.1] मामलों का निपटान	तारीख	3.00	01/02/11	01/01/12	01/02/12	01/03/12	———

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के लिए परिणाम संरचना दस्तावेज (आर,फडी) (2011–12)

खंड 2:

मुख्य उद्देश्य, सफलता सूचकांक और लक्ष्यों में परस्पर प्राथमिकता

उद्देश्य	अधिमान	कार्रवाई	सफलता	इकाई	अधिमान	लक्ष्य/मानक मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	खराब
						100%	90%	80%	70%	60%
		[5.5] धोखाधड़ी/कंपनी अधिनियम, 1956 के गंभीर उल्लंघन के लिए शीघ्र कार्यवाही हेतु आपदा प्रबंधन योजना का विकास	[5.5.1] योजना को अंतिम रूप देना	तारीख	3.00	01/10/11	01/11/11	01/12/11	01/01/12	———
[6] प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना।	3.00	[6.1] प्रतिस्पर्धा अधिनियम के शेष प्रावधानों की अधिसूचना	[6.1.1] धारा 43क और 44 के लिए अधिसूचना जारी करना	तारीख	1.50	30/06/11	30/09/11	31/12/11	31/03/12	———
		[6.2] प्रतिस्पर्धा पर समर्थन कार्यों का कार्यान्वयन	[6.2.1] सेमिनार/कार्यशाला/सम्मेलनों का आयोजन	संख्या	1.50	6	6	6	6	6
*आरएफडी प्रणाली का सक्षम कार्यकरण	3.00	अनुमोदन के लिए प्रारूप समय पर प्रस्तुत करना।	समय पर प्रस्तुत	तारीख	2.0	07/03/11	08/03/11	09/03/11	10/03/11	11/03/11
		परिणाम समय पर प्रस्तुत करना।	समय पर प्रस्तुत	तारीख	1.0	01/05/12	03/05/12	04/05/12	05/05/12	06/05/12
*मंत्रालय/विभाग में आंतरिक कार्यक्षमता/प्रत्युत्तर/सेवा सुपुर्दगी में सुधार	10.00	सेवोत्तम का कार्यान्वयन	नागरिक/ग्राहक चार्टर का संशोधित प्रारूप पुनः प्रस्तुत करना							
			शिकायत समाधान तंत्र के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखापरीक्षा	%	2.0	100	95	90	85	80
		आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के साथ अनुपालन सुनिश्चित करना	मदों की संख्या जिन पर 10 फरवरी, 2012 तक सूचना अपलोड की गई है	संख्या	2.0	16	15	14	13	12

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के लिए परिणाम संरचना दस्तावेज (आर,फडी) (2011–12)

खंड 2:

मुख्य उद्देश्य, सफलता सूचकांक और लक्ष्यों में परस्पर प्राथमिकता

उद्देश्य	अधिमान	कार्रवाई	सफलता	इकाई	अधिमान	लक्ष्य/मानक मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	खराब
						100%	90%	80%	70%	60%
		विभागीय कार्यो से संबंधित भष्टाचार के संभावित क्षेत्रों की पहचान और उन्हें दूर करने के लिए कार्य योजना बनाना	भष्टाचार के संभावित क्षेत्रों को दूर करने के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप देना	तारीख	2.0	10/02/2012	15/02/2012	20/02/2012	24/02/2012	29/02/2012
		आईएसओं 9001 प्रमाणीकरण लागू करने की कार्य योजना बनाना	आईएसओं 9001 प्रमाणीकरण लागू करने के लिए कार्य योजना का अंतिम रूप देना	तारीख	2.0	10/02/2012	15/02/2012	20/02/2012	24/02/2012	29/02/2012
*वित्तीय जवाबदेही फ्रेमवर्क का अनुपालन सुनिश्चित करना।	2.00	सीएजी के लेखापरीक्षा पैरा पर कार्रवाई रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करना।	वर्ष के दौरान सीएजी द्वारा संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से निर्धारित तारीख (4 माह) के अंदर प्रस्तुत कार्रवाई टिप्पणी का प्रतिशत	%	0.5	100	90	80	70	60
		पीएसी रिपोर्टों पर पीएसी सचिवालय को कार्रवाई रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करना।	वर्ष के दौरान पीएसी द्वारा संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से निर्धारित तारीख (6 माह) के अंदर प्रस्तुत कार्रवाई टिप्पणी का प्रतिशत	%	0.5	100	90	80	70	60
		संसद को प्रस्तुत सीएजी रिपोर्टों के लेखापरीक्षा पैरा पर लंबित कार्रवाई टिप्पणी का दिनांक 31.3. 2011 से पहले निपटान।	वर्ष के दौरान निपटाए गए बकाया कार्रवाई टिप्पणियों का प्रतिशत।	%	0.5	100	90	80	70	60
		संसद को प्रस्तुत पीएसी रिपोर्टों का लंबित कार्रवाई रिपोर्ट 31.03.2011 से पहले निपटान।	वर्ष के दौरान निपटाए गए बकाया कार्रवाई टिप्पणियों का प्रतिशत।	%	0.5	100	90	80	70	60

* अनिवार्य उदेश्य

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के लिए परिणाम संरचना दस्तावेज (आरएफडी) (2011–12)

खंड 3:

सफलता सूचकांकों की प्रवृत्ति

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता	इकाई	वास्तविक मूल्य वित्त वर्ष 09/10	वास्तविक मूल्य वित्त वर्ष 09/10	लक्ष्य मूल्य वित्त वर्ष 11/12	वित्त वर्ष 12/13 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्त वर्ष 13/14 के लिए अनुमानित मूल्य
[1] प्रभावी अनुपालन और विवकेपूर्ण नियामक तंत्र लाने के लिए कारपोरेट क्षेत्र को शासित करने वाले कानूनों को सरल बनाना।	[1.1] धारा 166 के अंतर्गत अधिकार सुपुर्दगी में परिवर्तन	[1.1.1] परिपत्र और अधिसूचना जारी करना	तारीख	––	––	31/05/2011	––	––
	[1.2] विदेशी कंपनियों में भारत में मुख्य व्यापार स्थल की प्रक्रिया में परिवर्तन	[1.2.1] परिपत्र और अधिसूचना जारी करना	तारीख	––	––	31/05/2011	––	––
	[1.3] कंपनी अधिनियम, 1956 में संशोधन	[1.3.1] मंत्रिमंडल में कंपनी संशोधन विधेयक, 2009 पुनः प्रस्तुत करना	तारीख	––	––	15/12/2011	––	––
	[1.4] कार्यशालाओं द्वारा एलएलपी अधिनियम का संवर्धन	[1.4.1] विभिन्न नगरों में चार कार्यशालाओं का आयोजन	संख्या	––	––	3	––	––
[2] सभी रजिस्ट्री संबंधी सेवाएं शीघ्रता, निश्चितता और पारदर्शिता के साथ ऑनलाइन उपलब्ध कराना, सार्वजनिक सूचना उपलब्ध कराना और कंपनियों द्वारा सांविधिक अनुपालन की प्रभावी मॉनीटरिंग।	[2.1] एक्सबीआरएल का कार्यान्वयन	[2.1.1] एक्सबीआरएल शुरू करने की तारीख	तारीख	––	––	15/09/2011	––	––
	[2.2] डीआईएन प्रक्रिया को सरल करना	[2.2.1] नई प्रक्रिया का एमसीए–21 के साथ एकीकरण	तारीख	––	––	15/08/2011	––	––
	[2.3] धारा 25 को सरल करना	[2.3.1] नई प्रक्रिया का एमसीए–21 के साथ एकीकरण	तारीख	––	––	15/08/2011	––	––
	[2.4] नाम उपलब्धता सरल करना	[2.4.1] नई प्रक्रिया का एमसीए–21 के साथ एकीकरण	तारीख	––	––	30/09/2011	––	––
	[2.5] कंपनी का निगमन सरल करना	[2.5.1] नई प्रक्रिया का एमसीए–21 के साथ एकीकरण	तारीख	––	––	30/09/2011	––	––

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के लिए परिणाम संरचना दस्तावेज (आरएफडी) (2011–12)

खंड 3:

सफलता सूचकांकों की प्रवृत्ति

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता	इकाई	वास्तविक मूल्य वित्त वर्ष 09/10	वास्तविक मूल्य वित्त वर्ष 09/10	लक्ष्य मूल्य वित्त वर्ष 11/12	वित्त वर्ष 12/13 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्त वर्ष 13/14 के लिए अनुमानित मूल्य
	[2.6] क्षेत्रीय निदेशक कार्यालयों के कार्यकलापों को पेपर रहित बनाना (न्यायालय से संबंधित को छोड़कर)	[2.6.1] नई प्रक्रिया का एमसीए–21 के साथ एकीकरण	तारीख	––	––	31/07/2011	––	––
	[2.7] एलएलपी बैक ऑफिस को कार्यात्मक बनाने के लिए 1. ई–फार्म से जोड़ना 2. सार्वजनिक दस्तावेज देखना 3. एसटीपी मोड में वार्षिक फाइलिंग करना	[2.7.1] समय–सीमा	तारीख	––	––	30/09/2011	––	––
[3] देश में कारपोरेट क्षेत्र के विकास के लिए समुचित व्यापार परिवेश के सृजन हेतु निवेशक शिक्षा एवं जागरूकता को बढ़ावा देना।	[3.1] भुगतान न किए गए लाभांश के निवेशक वार ब्यौरों के लिए सब–साइट बनाकर निवेशकों का सशक्तिकरण	[3.1.1] वेबसाइट शुरू करना	तारीख	––	––	15/02/2012	––	––
	[3.2] निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों का मूल्यांकन	[3.2.1] पांच क्षेत्रीय प्रभाव मूल्यांकन करवाना	तारीख	––	––	01/12/2011	––	––
[4] आईआईसीए को चालू करके क्षमता निर्माण और सुरक्षित नीति परामर्श सहायता विकसित करना।	[4.1] आईआईसीए परिसर का निर्माण पूरा करना	[4.1.1] पूर्णतरू कार्यात्मक परिसर	तारीख	––	––	30/09/2011	––	––
	[4.2] व्यापार उत्तरदायित्व के लिए राष्ट्रीय प्रतिष्ठान की स्थापना (सीएसआर और सीजी को बढ़ावा देने के लिए)	[4.2.1] एनएफबीआर अलग संरचना और कोष के साथ कार्यात्मक हो गया है	तारीख	––	––	31/01/2012	––	––

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के लिए परिणाम संरचना दस्तावेज (आरएफडी) (2011–12)

खंड 3:

सफलता सूचकांकों की प्रवृत्ति

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता	इकाई	वास्तविक मूल्य वित्त वर्ष 09/10	वास्तविक मूल्य वित्त वर्ष 09/10	लक्ष्य मूल्य वित्त वर्ष 11/12	वित्त वर्ष 12/13 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्त वर्ष 13/14 के लिए अनुमानित मूल्य
[5] कारपोरेट धोखाधड़ी को रोकने के लिए प्रभावी प्रवर्तन सहित मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले कंपनी अधिनियम और अन्य अधिनियमों का प्रशासन।	[5.1] 31.03.2011 तक प्राप्त निरीक्षण रिपोर्टों पर कार्यवाही और अभियोजन दायर करने के संबंध में अनुवर्ती निर्देश जारी करना।	[5.1.1] निरीक्षण रिपोर्ट का निपटान	तारीख	––	––	29/02/2012	––	––
	[5.2] 31.03.2011 तक प्राप्त निरीक्षण रिपोर्टों पर कार्यवाही और अभियोजन दायर करने के संबंध में अनुवर्ती निर्देश जारी करना।	[5.2.1] जांच रिपोर्टों का निपटान	तारीख	––	––	29/02/2012	––	––
	[5.3] 31.03.2011 तक प्राप्त निरीक्षण रिपोर्टों पर कार्यवाही और अभियोजन दायर करने के संबंध में अनुवर्ती निर्देश जारी करना।	[5.3.1] तकनीकी संवीक्षा रिपोर्टों का निपटान	तारीख	––	––	29/02/2012	––	––
	[5.4] पूर्व चेतावनी प्रणाली के अंतर्गत 150 मामलों की जांच और अभियोजन दायर करने के संबंध में अनुवर्ती निर्देश जारी करना।	[5.4.1] मामलों का निपटान	तारीख	––	––	01/01/2011	––	––
	[5.5] धोखाधड़ी/कंपनी अधिनियम, 1956 के गंभीर उल्लंघन के लिए शीघ्र कार्यवाही हेतु आपदा प्रबंधन योजना का विकास।	[5.5.1] योजना को अंतिम रूप	तारीख	––	––	01/11/2011	––	––

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के लिए परिणाम संरचना दस्तावेज (आरएफडी) (2011–12)

खंड 3:

सफलता सूचकांकों की प्रवृत्ति

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता	इकाई	वास्तविक मूल्य वित्त वर्ष 09/10	वास्तविक मूल्य वित्त वर्ष 09/10	लक्ष्य मूल्य वित्त वर्ष 11/12	वित्त वर्ष 12/13 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्त वर्ष 13/14 के लिए अनुमानित मूल्य
[6] प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना	[6.1] प्रतिस्पर्धा अधिनियम के शेष प्रावधानों की अधिसूचना	[6.1.1] धारा 43क और 44 के लिए अधिसूचना जारी करना	तारीख	––	––	––	––	––
	[6.2] प्रतिस्पर्धा पर समर्थन कार्यों का कार्यान्वयन	[6.2.1] सेमिनार/कार्यशाला/सम्मेलनों का आयोजन	संख्या	––	––	––	––	––
*आरएफडी प्रणाली का सक्षम कार्यकरण	अनुमोदन के लिए प्रारूप समय पर प्रस्तुत करना।	समय पर प्रस्तुत	तारीख	30/11/2009	06/04/2010	08/03/2011	––	––
	परिणाम समय पर प्रस्तुत करना।	समय पर प्रस्तुत	तारीख	30/04/2010	––	03/05/2011	––	––
*मंत्रालय/विभाग मे आंतरिक कार्यक्षमता/प्रत्युत्तर/सेवा सुपुर्दगी में सुधार	सेवात्तम का कार्यान्वयन।	नागरिक/ग्राह चार्टर का संशोधित प्रारूप पुनः प्रस्तुत करना	तारीख	––	––	20/12/2011	––	––
		शिकायत समाधान तंत्र के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखापरीक्षा	%	––	––	95	––	––
	आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के साथ अनुपालन सुनिश्चित करना।	मदों की संख्या जिन पर 10 फरवरी, 2012 तक सूचना अपलोड की गई है	संख्या	––	––	15/12/2011	––	––
	विभागीय कार्यों से संबंधित भ्रष्टाचार के संभावित क्षेत्रों की पहचान और उन्हें दूर करने के लिए कार्य योजना बनाना।	भ्रष्टाचार के संभावित क्षेत्रों को दूर करने के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप देना	तारीख	––	––	15/12/2012	––	––
	आईएसओ 9001 प्रमाणीकरण लागू करने की कार्य योजना बनाना।	आईएसओ 9001 प्रमाणीकरण लागू करने के लिए कार्य योजना का अंतिम रुप देना	तारीख	––	––	15/12/2012	––	––

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के लिए परिणाम संरचना दस्तावेज (आरएफडी) (2011–12)

खंड 3:

सफलता सूचकांकों की प्रवृत्ति

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता	इकाई	वास्तविक मूल्य वित्त वर्ष 09/10	वास्तविक मूल्य वित्त वर्ष 09/10	लक्ष्य मूल्य वित्त वर्ष 11/12	वित्त वर्ष 12/13 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्त वर्ष 13/14 के लिए अनुमानित मूल्य
*वित्तीय जवाबदेही फ्रेमवर्क का अनुपालन सुनिश्चित करना।	सीएजी के लेखापरीक्षा पैरा पर कार्रवाई रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करना।	वर्ष के दौरान सीएजी द्वारा संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से निर्धारित तारीख (4 माह) के अंदर प्रस्तुत कार्रवाई टिप्पणी का प्रतिशत	%	––	100	90	––	––
	पीएसी रिपोर्टों पर पीएसी सचिवालय को कार्रवाई रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करना।	वर्ष के दौरान पीएसी द्वारा संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से निर्धारित तारीख (6 माह) के अंदर प्रस्तुत कार्रवाई टिप्पणी का प्रतिशत	%	––	100	90	––	––
	संसद को प्रस्तुत सीएजी रिपोर्टों के लेखापरीक्षा पैरा पर लंबित कार्रवाई टिप्पणी का दिनांक 31.3.2011 से पहले निपटान।	वर्ष के दौरान निपटाए गए बकाया कार्रवाई टिप्पणियों का प्रतिशत।	%	––	100	90	––	––
	संसद को प्रस्तुत पीएसी रिपोर्टों लंबित कार्रवाई रिपोर्ट 31.03. 2011 से पहले निपटान।	वर्ष के दौरान निपटाए गए बकाया कार्रवाई टिप्पणियों का प्रतिशत।	%	––	100	90	––	––

* अनिवार्य उद्देश्य

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के लिए परिणाम संरचना दस्तावेज (आरएफडी) (2011–12)

खंड 4:

सफलता सूचकांकों का विवरण और परिभाषा

1. **कार्यशालाओं का आयोजनः**

निवेशकों को समूह/गैर–सरकारी संगठनों को विभिन्न कानूनों के अंतर्गत उनके अधिकारों की जानकारी देने के लिए कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

2. **एक्जिट मैनेजमेंट प्लानः**

एमसीए–21 एक सरकारी निजी भागीदारी परियोजना है जिसे टीसीएस, पार्टनर– ऑपरेटर के रूप में चला रहा है। संविदा समय से पहले समाप्त होने के मामले में एक्जिट मैनेजमेंट प्लान की व्यवस्था है। इस प्रकार यह मद नागरिकों की सेवा सुपुर्दगी को प्रभावित करती है। इस वर्ष इस प्लान पर आगे कार्रवाई की जाएगी और इसे अंतिम रूप देने की संभावना है।

3. **पूर्णतः कार्यरत परिसरः**

इसमें सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्य, लोक स्वास्थ्य, आईटी सेवाएं, प्रशिक्षण, कार्यशाला, सेमिनारों का आयोजन, ई–लर्निंग शुरू करना, प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम आदि समस्त अवस्थापना शामिल है। भोजन/आवास सुविधा शुरू की जा रही है। सचिवालय, हाउस कीपिंग, परिवहन तथा भोजन सेवाओं में नियुक्ति सहित आउटसोर्सिंग।

4. **राजपत्र में प्रकाशन की तारीखः**

यदि अधिसूचनाएं राजपत्र में 31.3.2012 तक प्रकाशित की जाती है तो उन्हें समय पर प्रकाशित माना जाएगा।

5. **निवेशक शिक्षा के लिए मीडिया अभियानः**

निवेशक शिक्षा के लिए मीडिया अभियान पूरा करने का अर्थ मीडिया में सभी संबंधित मुद्रित/टीवी स्पॉट जारी करना है।

6. **क्षेत्रीय निदेशक कार्यालयों को कागज रहित बनानाः**

क्षेत्रीय निदेशक कार्यालयों (छः स्थानों) में अनेक ऐसे कार्य किए जाते हैं जहां अब तक कागजी दस्तावेज प्राप्त किए जाते हैं। इस वर्ष क्षेत्रीय निदेशक कार्यालयों द्वारा दी जा रही तीन प्रमुख सेवाओं के संबंध में प्रक्रिया संशोधित करने का प्रस्ताव हैं यथाः

(i) कंपनी अधिनियम की धारा 621 के अंतर्गत समाधेय आवेदन

(ii) कंपनी अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत नाम की त्रुटि दूर करना

(iii) कंपनी अधिनियम की धारा 297 के अंतर्गत संबंधित पार्टी लेन–देन

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के लिए परिणाम संरचना दस्तावेज (आरएफडी) (2011–12)

खंड 5:

अन्य विभाग से विशेष निष्पादन अपेक्षाएं

विभाग	संबंधित सफलता सूचकांक	क्या अपेक्षित है?	क्यों अपेक्षित हैं?	कितना अपेक्षित है?	यदि न मिला तो क्या होगा?
विधि मंत्रालय	i) संसद में विधेयक प्रस्तुत करना	विधायी जांच एवं हिन्दी अनुवाद	विधायी अपेक्षा	मात्रा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता	लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता
	ii) अधिसूचना जारी करना				
	iii) कंपनी अधिनियम तथा नियमों, एलएलपी अधिनियम तथा नियमों के अंतर्गत निर्धारित फार्मों में संशोधन				
वित्त मंत्रालय	आईईपीएफ के अंतर्गत विज्ञापन की संख्या	बजट	सभाव्यय	5 करोड़ रुपए	लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता
आईईपीएफ पर समिति/ आईईपीएफ पर उप–समिति	प्रस्तावों की जांच	समय पर अनुमोदन करना	कार्य शुरु करने के लिए	मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती	कार्य शुरू करने में विलंब हो सकता है।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के लिए परिणाम संरचना दस्तावेज (आरएफडी) (2011–12)

खंड 6:

विभाग/मंत्रालय का परिणाम/प्रभाव

विभाग/मंत्रालय का परिणाम/प्रभाव	निम्नलिखित विभाग (गों) के साथ इस परिणाम/प्रभाव को प्रभावित करने के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी	सफलता सूचकांक	वित्त वर्ष 09/10	वित्त वर्ष 10/11	वित्त वर्ष 11/12	वित्त वर्ष 12/13	वित्त वर्ष 13/14

निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट : वर्ष 2011–12 के लिए आरएफडी

(कारपोरेट कार्य मंत्रालय)

क्र.सं.	उद्देश्य	अधिमान	कार्रवाई	सफलता सूचकांक	इकाई	अधिमान	लक्ष्य/मानक मूल्य						निष्पादन		एचपीसी द्वारा यथा अनुमोदित
							उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	खराब	उपलब्धि	अंतरित अंक	अधिमान अंक	
							100%	90%	80%	70%	60%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	प्रभावी अनुपालन और विवकेपूर्ण नियामक तंत्र लाने के लिए कारपोरेट क्षेत्र को शासित करने वाले कानूनों को सरल बनाना।	26	[1.1] धारा 166 के अंतर्गत अधिकार सुपुर्दगी में परिवर्तन	[1.1.1] परिपत्र और अधिसूचना जारी करना	तारीख	2.90	15/05/11	31/05/11	15/06/11	30/06/11		15/05/11	100.0	2.9	
			[1.2] विदेशी कंपनियों में भारत में मुख्य व्यापार स्थल की प्रक्रिया में परिवर्तन	[1.2.1] परिपत्र और अधिसूचना जारी करना	तारीख	2.90	15/05/11	31/05/11	30/06/11	31/07/11		15/05/11	100.0	2.9	
			[1.3] कंपनी अधिनियम, 1956 में संशोधन	[1.3.1] मंत्रिमंडल में कंपनी संशोधन विधेयक, 2009 पुनः प्रस्तुत करना	तारीख	17.30	30/11/11	15/12/11	31/12/11	15/01/12		30/11/11	100.0	17.3	
			[1.4] कार्यशालाओं द्वारा एलएलपी अधिनियम का संवर्धन	[1.4.1] विभिन्न नगरों में चार कार्यशालाओं का आयोजन	संख्या	2.90	4	3	2	1		4	100.0	2.9	
2.	सभी रजिस्ट्री संबंधी सेवाएं शीघ्रता, निश्चितता और पारदर्शिता के साथ ऑनलाइन उपलब्ध कराना, सार्वजनिक सूचना उपलब्ध कराना और कंपनियों द्वारा सांविधिक अनुपालन की प्रभावी मॉनीटरिंग।	25	[2.1] एक्सबीआरएल का कार्यान्वयन	[2.1.1] एक्सबीआरएल शुरू करने की तारीख	तारीख	3.25	01/09/11	15/09/11	01/10/11	15/10/11		01/09/11	100.0	3.25	
			[2.2] डीआईएन प्रक्रिया को सरल करना	[2.2.1] नई प्रक्रिया का एमसीए–21 के साथ एकीकरण	तारीख	3.25	01/08/11	15/08/11	01/09/11	30/09/11		01/08/11	100.0	3.25	
			[2.3] धारा 25 को सरल करना	[2.3.1] नई प्रक्रिया का एमसीए–21 के साथ एकीकरण	तारीख	3.25	01/08/11	15/08/11	01/09/11	30/09/11		01/08/11	100.0	3.25	
			[2.4] नाम उपलब्धता सरल करना	[2.4.1] नई प्रक्रिया का एमसीए–21 के साथ एकीकरण	तारीख	3.25	15/09/11	30/09/11	15/10/11	31/10/11		15/09/11	100.0	3.25	

क्र.सं.	उद्देश्य	अधिमान	कार्रवाई	सफलता सूचकांक	इकाई	अधिमान	लक्ष्य/मानक मूल्य						निष्पादन		एचपीसी द्वारा यथा अनुमोदित
							उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	खराब	उपलब्धि	अंतरित अंक	अधिमान अंक	
							100%	90%	80%	70%	60%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			[2.5] कंपनी का निगमन सरल करना	[2.5.1] नई प्रक्रिया का एमसीए–21 के साथ एकीकरण	तारीख	5.00	15/09/11	30/09/11	15/10/11	31/10/11		15/09/11	100.0	5.0	
			[2.6] प्रादेशिक निदेशक कार्यालयों के कार्यकलापों को पेपर रहित बनाना (न्यायालय से संबंधित को छोड़कर)	[2.6.1] नई प्रक्रिया का एमसीए–21 के साथ एकीकरण	तारीख	3.50	01/07/11	31/07/11	01/08/11	15/08/11		01/07/11	100.0	3.5	
			[2.7] एलएलपी बैक ऑफिस को कार्यात्मक बनाने के लिए 1. ई–फार्म से जोड़ना 2. सार्वजनिक दस्तावेज देखना 3. एसटीपी मोड में वार्षिक फाइलिंग करना	[2.7.1] समय–सीमा	तारीख	3.50	15/09/11	30/09/11	15/10/11	31/10/11		15/09/11	100.0	3.5	
3.	देश में कारपोरेट क्षेत्र के विकास के लिए समुचित व्यापार परिवेश के सृजन हेतु निवेशक शिक्षा एवं जागरूकता को बढ़ावा देना।	6	[3.1] भुगतान न किए गए लाभांश के निवेशक वार ब्यौरों के लिए सब–साइट बनाकर निवेशकों का सशक्तिकरण	[3.1.1] वेबसाइट शुरू करना	तारीख	4.02	31/01/12	15/02/12	29/02/12	15/03/12	31/03/12	20/03/12	66.88	2.69	
			[3.2] निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों का मूल्यांकन	[3.2.1] प्रभाव मूल्यांकन पॉच क्षेत्रों मे करवाना	तारीख	1.98	01/12/11	01/01/12	01/03/12			01/12/11	100.0	1.98	
4.	आईआईसीए को प्रचालित करने के माध्यम से क्षमता निर्माण को विकसित करना एवं नीति परामर्श सहायता पाना	10	[4.1] आईआईसीए परिसर का निर्माण पूरा करना	[4.1.1] पूर्णतः कार्यात्मक परिसर	तारीख	6.00	31/08/11	30/09/11	31/10/11	30/11/11		31/08/11	100.0	6.0	

क्र.सं.	उद्देश्य	अधिमान	कार्रवाई	सफलता सूचकांक	इकाई	अधिमान	लक्ष्य/मानक मूल्य						निष्पादन		एचपीसी द्वारा यथा अनुमोदित
							उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	खराब	उपलब्धि	अंतरित अंक	अधिमान अंक	
							100%	90%	80%	70%	60%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			[4.2] व्यापार उत्तरदायित्व के लिए राष्ट्रीय प्रतिष्ठान की स्थापना (सीएसआर और सीजी को बढ़ावा देने के लिए)	[4.2.1] एनएफबीआर अलग संरचना और कोष के साथ कार्यात्मक हो गया है	तारीख	4.00	31/12/11	31/01/12	29/02/12	31/03/12		05/03/12	78.39	3.14	
5.	कारपोरेट धोखाधड़ी को रोकने के लिए प्रभावी प्रवर्तन सहित मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले कंपनी अधिनियम और अन्य अधिनियमों का प्रशासन।	15	[5.1] 31.03.2011 तक प्राप्त निरीक्षण रिपोर्टों पर कार्यवाही और अभियोजन दायर करने के संबंध में अनुवर्ती निर्देश जारी करना	[5.1.1] निरीक्षण रिपोर्ट का निपटान	तारीख	3.00	15/02/12	29/02/12	15/03/12	31/03/12		15/02/12	100.0	3.0	
			[5.2] 31.03.2011 तक प्राप्त निरीक्षण रिपोर्टों पर कार्यवाही और अभियोजन दायर करने के संबंध में अनुवर्ती निर्देश जारी करना	[5.2.1] जांच रिपोर्टों का निपटान	तारीख	3.00	15/02/12	29/02/12	15/03/12	31/03/12		15/02/12	100.0	3.0	
			[5.3] 31.03.2011 तक प्राप्त निरीक्षण रिपोर्टों पर कार्यवाही और अभियोजन दायर करने के संबंध में अनुवर्ती निर्देश जारी करना	[5.3.1] तकनीकी संवीक्षा रिपोर्टों का निपटान	तारीख	3.00	15/02/12	29/02/12	15/03/12	31/03/12		15/02/12	100.0	3.0	
			[5.4] पूर्व चेतावनी प्रणाली के अंतर्गत 150 मामलों की जांच और अभियोजन दायर करने के संबंध में अनुवर्ती निर्देश जारी करना	[5.4.1] मामलों का निपटान	तारीख	3.00	01/12/11	01/01/12	01/02/12	01/03/12		01/12/11	100.0	3.0	

क्र.सं.	उद्देश्य	अधिमान	कार्रवाई	सफलता सूचकांक	इकाई	अधिमान	लक्ष्य/मानक मूल्य						निष्पादन		एचपीसी द्वारा यथा अनुमोदित
							उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	खराब	उपलब्धि	अंतरित अंक	अधिमान अंक	
							100%	90%	80%	70%	60%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			[5.5] कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत धोखाधडी/गंभीर उल्लंघन के लिए शीघ्र कार्यवाही हेतु आपदा प्रबंधन योजना का विकास	[5.5.1] योजना को अंतिम रूप देना	तारीख	3.00	01/10/11	01/11/11	01/12/11	01/01/12		31/03/12	0.0	0.0	
6.	[6] प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना।	3	[6.1] प्रतिस्पर्धा अधिनियम के शेष प्रावधानों की अधिसूचना	[6.1.1] धारा 43क और 44 के लिए अधिसूचना जारी करना	तारीख	1.50	30/06/11	30/09/11	31/12/11	31/03/12		30/06/11	100.0	1.5	
			[6.2] प्रतिस्पर्धा पर समर्थन कार्यों का कार्यान्वयन	[6.2.1] सेमिनार/कार्यशाला/सम्मेलनों का आयोजन	संख्या	1.50	6	6	6	6	6	6	100.0	1.5	
*	*आरएफडी प्रणाली का सक्षम कार्यकरण	3	अनुमोदन के लिए प्रारूप समय पर प्रस्तुत करना।	समय पर प्रस्तुत	तारीख	2.00	07/03/11	08/03/11	09/03/11	10/03/11	11/03/11	07/03/11	100.0	2.0	
			परिणाम समय पर प्रस्तुत करना।	समय पर प्रस्तुत	तारीख	1.00	01/05/12	03/05/12	04/05/12	05/05/12	06/05/12	01/05/12	100.0	1.0	
*	*मंत्रालय/विभाग मे आंतरिक कार्यक्षमता/प्रत्युत्तर/सेवा सुपुर्दगी में सुधार	10	सेवोत्तम का कार्यान्वयन	नागरिक/ग्राह चार्टर का संशोधित प्रारूप पुनः प्रस्तुत करना	तारीख	2.00	16/01/12	18/01/12	20/01/12	23/01/12	25/01/12	16/01/12	100.0	2.0	
				शिकायत समाधान तंत्र के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखापरीक्षा	%	2.00	100	90	80	70	60	1.41	0.0	0.0	
			आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के साथ अनुपालन सुनिश्चित करना	मदों की संख्या जिन पर 10 फरवरी, 2012 तक सूचना अपलोड की गई है	संख्या	2.00	16	15	14	13	12	16	100.0	2.0	

क्र.सं.	उद्देश्य	अधिमान	कार्रवाई	सफलता सूचकांक	इकाई	अधिमान	लक्ष्य/मानक मूल्य						निष्पादन		एचपीसी द्वारा यथा अनुमोदित
							उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	खराब	उपलब्धि	अंतरित अंक	अधिमान अंक	
							100%	90%	80%	70%	60%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			विभागीय कार्यों से संबंधित भ्रष्टाचार के संभावित क्षेत्रों की पहचान और उन्हें दूर करने के लिए कार्य योजना बनाना	संभावित क्षेत्रों के भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप देना	तारीख	2.00	26/03/12	27/03/12	28/03/12	29/03/12	30/03/12	26/03/12	100.0	2.0	
			आईएसओ 9001 प्रमाणीकरण लागू करने की कार्य योजना बनाना	आईएसओ 9001 प्रमाणीकरण लागू करने के लिए कार्य योजना को अंतिम रुप देना	तारीख	2.00	16/04/12	17/04/12	18/04/12	19/04/12	20/04/12		N/A	N/A	
7	फ्रेमवर्क के अनुपालन में वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करना।	2	सीएजी के लेखापरीक्षा पैरा पर कार्रवाई रिपोर्ट समय पः प्रस्तुत करना।	वर्ष के दौरान सीएजी द्वारा संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से निर्धारित तारीख (4 माह) के अंदर प्रस्तुत कार्रवाई टिप्पणी का प्रतिशत	%	0.50	100	90	80	70	60	100	100.0	0.5	
			पीएजी रिपोर्टों पर पीएसी सचिवालय को कार्रवाई रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करना।	वर्ष के दौरान पीएसी द्वारा संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से निर्धारित तारीख (6 माह) के अंदर प्रस्तुत कार्रवाई टिप्पणी का प्रतिशत	%	0.50	100	90	80	70	60	100	100.0	0.5	
			संसद को प्रस्तुत सीएजी रिपोर्टों के लेखापरीक्षा पैरा पर लंबित कार्रवाई टिप्पणी का दिनांक 31.3.2011 से पहले निपटान।	वर्ष के दौरान निपटाए गए बकाया कार्रवाई टिप्पणियों का प्रतिशत।	%	0.50	100	90	80	70	60	100	100.0	0.5	
			संसद को प्रस्तुत पीएसी रिपोर्टों लंबित कार्रवाई रिपोर्ट का 31.03.2011 से पहले निपटान।	वर्ष के दौरान निपटाए गए बकाया कार्रवाई टिप्पणियों का प्रतिशत।	%	0.50	100	90	80	70	60	100	100.0	0.5	
													कुल योगः	90.80	

MCA21
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

ए विंग, शास्त्री भवन, राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली – 110 001
दूरभाष – 011 – 23384158, 23384660, 23384659
ई–मेल : hq.delhi@mca.gov.in
oandm.dca@sb.nic.in